खण्ड-211, अंक-8
बुधवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1882
(23 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालो, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरालाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कड़सरवा तथा मझौली ग्राम की डकैतियां

**१--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके पास गत सप्ताह में इस बात की शिकायत आयी है कि देवरिया जनपद के ग्राम कड़सरवा, थाना खामपार तथा मझौली, थाना लार में भीषण डकैतियां २७ फरवरी की अर्धरात्रि में पड़ीं ? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री उक्त डकैतियों का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां। प्रश्नकर्ता का एक पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है।

दोनों घटनाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९६ पर।)

**२--श्री उग्रसेन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त डकैतियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन-सी कार्यवाही अब की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव——पुलिस जांच कर रही है और कुछ अभियुक्त पकड़े भी जा चुके हैं ।

श्री उग्रसेन——क्या यह सही है कि राजेन्द्र ने, जिस के घर डकैती पड़ी, प्रथम सूचना रिपोर्ट मझौली के टिमूनाही हल्का चौकीदार को लिख कर दी जिसकी प्रतिलिपि पर उस ने दस्तखत किया मगर दारोगा ने उसे जलवा कर दूसरी रिपोर्ट दफा ४५७ में लिखायी ?

श्री रामस्वरूप यादव——जलवाने की तो खबर नहीं है । जांच के बाद धारा ३९५ में यह मामला दर्ज किया गया ।

श्री उग्रसेन——क्या माननीय मन्त्री जी जांच करावेंगे कि दूसरी रिपोर्ट दफा ४५७/३२५ में लिखी गयी जिसे मेरे प्रश्न के बाद ३९५ में बदला गया ?

श्री रामस्वरूप यादव——जांच करा ली जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)——क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ फरवरी को जो भीषण डकैतियां पड़ीं वे कितनी थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—— २ डकैतियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक श्री राजेन्द्र के यहां और दूसरी श्री लाल बचन के यहां।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——इनमें जान व माल की कितनी हानि हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव——श्री लाल बचन के यहां ३८५.५० रुपये के कपड़े और गहने लूटे गये और चोटें भी थोड़ी आयीं, लेकिन वे सब अब स्वस्थ हैं। दूसरे में ४२७ रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी जिसमें कपड़े और गहने भी हैं।

श्री उग्रसेन——राजेन्द्र पुत्र रघुनाथ के यहां १० बज कर ५ मिनट डकैती का सुबह का समय है या रात्रि का ?

श्री रामस्वरूप यादव——मैं जहां तक समझता हूं, रात्रि का है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)——क्या इन डकैतियों की रिपोर्ट पहले दफा ४५७ में लिखी गई और पीछे ३९५ में बदली गई या किसी की पहले ही ३९५ में थी ?

श्री रामस्वरूप यादव——सम्भवतः एक ४५७ में पहले थी।

तारांकित प्रश्न

*१——**श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)——[१८ मार्च, १९६० को प्रश्न ६४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

पंचायतराज मंत्रियों व सेक्रेटरियों की कथित बहाली

*२——**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)——क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १-१२-५८ से ३१-१२-५९ तक प्रदेश के समस्त जिलों से कितने ऐसे पंचायतराज मंत्री हाई कोर्ट द्वारा पुनः नौकरी पर बहाल किये गये हैं जो पंचायतराज विभाग द्वारा सेवा से पृथक किये गये थे ? उन्हें कुल कितना वेतन एवं हर्जाने के रूप में देना पड़ा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)——कोई नहीं।

*३—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समय में प्रदेश में कितने पंचायतराज इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो विभाग द्वारा सेवा मुक्त किये जाने पर हाईकोर्ट द्वारा पुनः बहाल किये गये और उन्हें कुल कितना धन, वेतन एवं हर्जाने के रूप में सरकार को देना पड़ा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई नहीं।

*४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दोनों प्रश्नों के मुताबिक जो धन सरकार को हर्जाने व वेतन के रूप में देना पड़ा उसमें से कितना सरकार को भुगतना पड़ा और कितना संबन्धित उत्तरदायी अधिकारियों (जिनके आदेश हाई कोर्ट ने अवैध कर दिये थे) से recover किंवा realise किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत मंत्रियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ का प्रस्ताव

*५—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २६ दिसम्बर, १९५९ को अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ ने क्या कोई प्रस्ताव पास करके सरकार से अनुरोध किया है कि पंचायत मंत्रियों का स्थानान्तरण, जो उनके घर से २५ मील के बाहर करने का है उसे लागू न किया जाय ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी हां।

*६—**श्री मुक्तिनाथराय**—यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—इस मामले में संचालक, पंचायत राज के विचार मांगे गये हैं और उनका उत्तर प्राप्त होने पर यथासमय निर्णय लिया जायगा।

*७—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि परिषद् ने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा और प्रस्ताव के बारे में किसी प्रकार का उत्तर अभी सरकार की ओर से नहीं भेजा गया कि इसी बीच में पुनः अधिकारियों ने पंचायत मंत्रियों के स्थानान्तरण का आदेश इसी मास में दे दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—चूंकि इस सम्बन्ध में शासकीय स्तर पर अब तक कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं, अतः स्थानीय प्रशासन की सुविधानुसार संचालक, पंचायत राज, ने जिलाधिकारियों को पंचायत मंत्रियों का स्थानान्तरण करने की अनुमति दी।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने संचालक महोदय को अपनी राय भेजने के लिये कब लिखा था ?

श्री जयराम वर्मा—१९ मार्च, १९६० को यह पत्र उनके पास भेजा गया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में ऐसे भी पंचायत मंत्री हैं जो अपने घर से पहले से ही २५ मील दूर थे और उनकी बदली इससे भी अधिक दूर कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---जब दिसम्बर, १९५९ में अन्तरिम जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास किया तो सरकार द्वारा डाइरेक्टर से इतनी देर से, मार्च में, पूछने की क्या वजह थी ?

श्री जयराम वर्मा---यह प्रस्ताव तो जरूर २६-१२-५९ को पास हुआ, लेकिन जिलाधीश ने इसे शासन के पास २७-२-६० को अग्रसारित किया ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या मंत्री जी अन्तरिम जिला परिषद् की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---सारे प्रदेश के लिये नियम समान होंगे। सिवाय आजमगढ़ के इस प्रकार का विरोध सरकार के पास कहीं से नहीं आया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---आजमगढ़ के लिये मंत्री जी चाहे जो कुछ करें लेकिन औरों के लिये क्या पालिसी है ?

श्री जयराम वर्मा---साधारणतया यह है कि वे अपने घर के ब्लाक में न रहें और २५ मील की दूरी पर रखे जावें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---स्वायत्त शासन विभाग के नियमों के अनुसार प्रत्येक लोकल बाडी को अपने प्रस्ताव १० दिन में सरकार को पहुंचा देने होते हैं, तो इसमें इतनी देर क्यों लगी ?

श्री जयराम वर्मा---जिलाधीश ने २७ फरवरी को फारवर्ड किया है। पता नहीं देरी का क्या कारण था।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह का प्रस्ताव अन्तरिम जिला परिषद् के लिये वैध था कि तबादले के सम्बन्ध में इस प्रकार का सुझाव दे सकें ?

श्री जयराम वर्मा---इस पर विचार नहीं किया गया। परन्तु इस पर विचार अवश्य किया जावेगा कि प्रस्ताव में की गई मांग कहां तक उचित है ।

श्री झारखंडेराय---क्या इस बात को देखते हुए, जैसा मैंने पूछा कि आजमगढ़ में कुछ पंचायत मंत्री २५ मील की दूरी पर पहले थे और उनको अधिक दूर भेज दिया गया है, तो मेरे प्रश्न को सूचना मान कर सरकार तहकीकात करेगी कि यह ठीक है या नहीं, और इस बात को रोकने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, जांच करा ली जायगी।

अर्द्ध कुम्भी मेला, प्रयाग पर व्यय

*८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद के अर्द्ध कुम्भी मेले को लगाने के लिये वहां के जिलाधीश ने कितने धन का बजट बना कर पहिले भेजा था तथा अब तक कितना धन मेला लगाने में व्यय हुआ ?

श्री जयराम वर्मा---३८,६७,००० रुपये का बजट था तथा अब तक १४,२१,२२८.६० रुपया व्यय हो चुका है।

*९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद के अर्द्ध कुम्भी मेला क्षेत्र में कितने स्थानों पर मेला के दिनों में आग लगी और प्रत्येक स्थान में उससे कितनी कितनी हानि हुई ?

श्री जयराम वर्मा—सात स्थानों पर अग्निकाण्ड हुआ जिससे हुई क्षति का ब्योरा निम्न प्रकार है :

स्थान	अनुमानित क्षति रु०
१—त्रिवेनी रोड स्थित दूकान	३२५
२—मेलाग्राफिसर, कैम्प	१५०
३—बाबा निम्बार्क नगर, झूंसी क्षेत्र	५००
४—बैरागी कैम्प, गंगा पट्टी क्षेत्र	३५
५—अरइल क्षेत्र के वायुयान कर्मचारी टेन्ट	७००
६—यमुना पट्टी कल्पवासी झोपड़ी	१०,०००
७—गंगा पट्टी पंडा वाडा	७००
योग ..	१२,४१०

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को यह पता है कि मेला अधिकारी ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी कि ६५ लाख रुपया खर्च हो चुका है, तो क्या वह विज्ञप्ति सही थी या यह उत्तर सत्य है ?

श्री जयराम वर्मा—पिछली बार भी यह प्रश्न पूछा गया था और उस बार भी यही जवाब दिया गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि साढ़े पांच टन टीन जो दी गयी वह कल्पवासियों को न दी जाकर, दूसरे लोगों को दी गयी जिन्होंने उसको बाहर ही बेच दिया ?

श्री जयराम वर्मा—यह टीन के बारे में है, इसका सम्बन्ध इस सवाल से नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि जिलाधीश ने जो ६५ लाख रुपया खर्च किया वह दूसरे विभागों का कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये अलहदा से नोटिस दीजिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन कल्पवासियों की कुटिया जलीं उनके लिये क्या छूट दी गयी ?

श्री जयराम वर्मा—उनको कोई छूट अभी तक नहीं दी गयी।

नगर प्रमुखों की मुख्य मंत्री से भेंट

*१०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने पांच महानगरपालिकाओं के नगर प्रमुख की मीटिंग २० जनवरी, १९६० को लखनऊ में बुलाई थी ? यदि हां, तो उस मीटिंग में कौन से सुझाव आये थे और उन सुझावों में कौन-कौन से सुझाव सरकार ने स्वीकार किये ?

श्री जयराम वर्मा—मुख्य मंत्री जी के यहां यह मीटिंग अनौपचारिक रूप से बुलाई गई थी। न इसका कोई कार्यक्रम बना था और न कोई कार्यवाही लिखी गई थी। इस बैठक में कोई सुझाव भी नहीं आये थे वैसे ही बातचीत हुई थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसमें यह भी बात आयी थी कि महापालिका होने के पहले एडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में कर्जा १८ लाख से करोड़ों में हो गया, लेकिन चूंकि वह कर्जा सरकारी आदमी के द्वारा बढ़ाया गया, इसलिये सरकार उसको राइट आफ कर दे?

श्री जयराम वर्मा—बातचीत क्या हुई, इसकी कोई कार्यवाही नहीं लिखी गयी और न औपचारिक ढंग से किसी मामले पर विचार-विनिमय हुआ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतायेगी कि यह मीटिंग जो बुलाई गई थी, जिसकी औपचारिक ढंग से कार्यवाही नहीं हुई, तो यह मीटिंग क्यों बुलाई गयी थी और इसमें कितना खर्च हुआ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अपने प्रदेश में एक नया नया प्रयोग हुआ था और पांच महानगरियों में ५ मेयर चुने गये थे। सोचा गया कि उनसे बातचीत की जाय कि नये ढंग से कैसे काम हो, इसलिये अनौपचारिक ढंग से बातचीत हुई। खर्चा कुछ नहीं हुआ। चाय पिलाने पर भले ही रुपया दो रुपया खर्च हो गया हो।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस मीटिंग में यह सुझाव आया था कि ऐडमिनिस्ट्रेटर रूल में जो लोन दिया गया है, उसको सरकार माफ कर दे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझको याद है ऐसी कोई बात नहीं हुई।

गोरखपुर नगरपालिका में जटाशंकर पोखरे की खराब हालत

*११—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर नगरपालिका के अन्तर्गत जटाशंकर पोखरे में जलकुम्भी ने पानी को घेर लिया है जिससे जनता उसमें स्नान वगैरह नहीं कर सकती?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

*१२—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार को यह मालूम है कि उपरोक्त पोखरे में महिलाओं के लिये स्नान करने के लिये जो अलग व्यवस्था थी वह गिर रही है?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

*१३—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार उपरोक्त बातों पर तत्काल ध्यान देकर उसे ठीक कराने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा—चूंकि यह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति है अतः सरकार द्वारा इसके मरम्मत कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह पोखरा किस व्यक्ति का है?

श्री जयराम वर्मा—वह पोखरा श्री महादेवप्रसाद का है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार उनको यह हिदायत देगी कि जिस जलकुम्भी के उस पोखरे में रहने से वहां के लोगों को अपार कष्ट है, उसे उस पोखरे से जल्द से जल्द निकलवाने की व्यवस्था करें?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने बतलाया कि वह एक निजी व्यक्ति का है, उनसे आप प्रार्थना कीजिये। सरकार क्या कर सकती है?

गौरा बरहज नगरपालिका में पेय जल योजना लागू करने की प्रार्थना

*१४—**श्री उग्रसेन**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि नगरपालिका गौरा बरहज, जिला देवरिया में पेय जल की नल योजना के सम्बन्ध में कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका गौरा बरहज की जल सम्भरण योजना के लिये अभी कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ है ।

*१५—**श्री उग्रसेन**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त पेय नल योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नगरपालिका गौरा बरहज में लागू कर दी जायेगी ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास नगरपालिका गौरा बरहज ने यह आवेदन पत्र दिया है कि उनके यहां यह योजना अविलम्ब लागू की जाय ?

श्री जयराम वर्मा—वह तो चाहती है कि इस तरह की योजना उसके यहां हो लेकिन नियम यह है कि पहले उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है और प्रोजेक्ट के लिये पहले शुल्क देना पड़ता है । कई बार उस नगरपालिका को लिखा गया कि अब आवश्यक शुल्क जमा कर दे तब प्रोजेक्ट बनाने की कार्यवाही हो सकती है लेकिन वहां से कोई उत्तर अभी तक इसका नहीं आया है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि उस नगरपालिका के प्रांगण में ही एक नलकूप की बोरिंग हुई है और उसी तरह से बोरिंग करके छोड़ दिया गया है, आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, वहां पर एक नलकूप बनाया गया है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पेय नल योजना चलती है तो उसके साथ-साथ ड्रेनेज योजना भी चलती है, तो जब इस नगरपालिका में पेय जल योजना चलायी जायगी तो उसमें ड्रेनेज योजना को भी शामिल किया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—यह नगरपालिका के ऊपर है, अगर नगरपालिका उसके लिये चाहती है तो उस पर विचार किया जायगा ।

गृह निर्माण योजनान्तर्गत रोजगार मिलने का अनुमान

*१६—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री ने प्रदेश की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये गृह निर्माण-कार्यों की क्षमता पर विचार किया है और क्या वे नगर और ग्रामों में इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निम्नलिखित गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत २५,५०० आदमियों को रोजगार मिलने की संभावना है :

१—सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम;
२—मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम;
३—लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम;
४—स्लम क्लियरेन्स स्कीम,

५—विलेज हाउसिंग स्कीम;
६—प्लांटेशन लेबर हाउसिंग स्कीम; तथा
७—लैन्ड एक्वीजिशन ऐन्ड डेवलपमेन्ट स्कीम।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लान्टेशन लेबर हाउसिंग स्कीम और लैंड एक्वीजीशन एंड डेवलपमेंट स्कीम की रूपरेखा क्या है और अब तक इन योजनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्य हो चुका है?

श्री जयराम वर्मा—यह तो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, यह तो विस्तार की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—आपने बतलाया कि योजना है, तो फिर उसकी रूपरेखा क्या है इसे बतलाइये।

श्री जयराम वर्मा—कोई रूपरेखा इस वक्त तो नहीं है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मन्त्रीगण से निवेदन करूंगा कि सप्लीमेन्टरी में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, इसके लिये तैयार होकर आना चाहिये, क्योंकि उक्त योजना तो इस प्रश्न की बुनियाद है ही।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी योजना भी बनायी गयी है जो बेकारी को दूर करने की दृष्टि से विशेष तौर पर बनायी गई हो?

श्री उपाध्यक्ष—एक बार कह चुके हैं कि कोई योजना उनके सम्मुख है नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी जो आप ने आदेश दिया है मन्त्रियों क बारे में, इससे पहले भी आप कई बार इस तरह के आदेश दे चुके हैं फिर भी मन्त्री लोग भूल जाते हैं। तो क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई ऐसा क्लाज बनाया जाय जो उनके गले के नीचे उतर जाय?

श्री उपाध्यक्ष—इतना मैं कह सकता हूं कि पहले से काफी सुधार हुआ है, आप निश्चित रहें।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना उन्होंने अभी तक तैयार नहीं की है उसे कब तक तैयार करके सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—योजना तो यह है, वह सदन में इस समय लाये नहीं हैं।

*१७-१८—**श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)**—[दसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)**—[६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सोरों नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*२०—**कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला एटा के सोरों कस्बे की नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव १६ में से १० सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त २५-१-६० को उक्त जिले के जिलाधीश को मिला है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री जयराम वर्मा---जी हां ।

नगरपालिका की एक बैठक, उसके कार्यालय में मुंसिफ, कासगंज की अध्यक्षता में २६ फरवरी, १९६० को हुई जिसमें अविश्वास का प्रस्ताव ७ के विरुद्ध १० वोटों से पास हो गया। अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने के बजाय यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ४७-ए(१) (अ) के अन्तर्गत शासन से प्रार्थना की है कि वह नगरपालिका को भंग (dissolve) कर दे। उनकी प्रार्थना सरकार के विचाराधीन है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस नगरपालिका पर किन अपराधों का आरोप लगाया गया है जिन के आधार पर उसे भंग करने की मांग की गई है?

श्री जयराम वर्मा---कई आरोप लगाये गये हैं। एक तो यह है कि उनको निकालने के लिये २०,००० रुपया खर्च किया गया। दूसरी बात यह है कि बोर्ड ने अपने कर्मचारियों का वेतन बराबर नहीं दिया। तीसरे बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन से प्राविडेन्ट फन्ड से जो रुपया काटा था न वह जमा किया और न अपना हिस्सा ही जमा किया। चौथे औषधालय के रखरखाव के लिये जो हिस्सा बोर्ड को देना चाहिये वह ८ वर्ष से नहीं दिया है, पांचवें सरकारी कर्ज जो बाकी है, उसकी किस्तें अदा नहीं हो रही हैं। छठें बिजली के ड्यूज करीब ८,००० रुपये के बकाया हैं। सातवें आडिट फी २ साल की बाकी है अदा नहीं हुई है, रहने के मकानों के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनको बोर्ड ने लागू नहीं किया और उसमें लापरवाही की है और इस सम्बन्ध में जिलाधीश व कमिश्नर ने जो उसे हिदायतें दी हैं उनकी भी उसने परवाह नहीं की। एक श्रीमती कृष्णप्यारी देवी, हेड मिस्ट्रेस जो डिस्मिस हो गई थीं उनको फिर से अपनी जगह पर रख कर जब कि मामला अभी चल रहा है उनकी सभी वेतन वृद्धियों को देने का फैसला कर दिया है। बोर्ड ने हाउस टैक्स नहीं लगाया, लेकिन ....

श्री उपाध्यक्ष---आप ने मुख्य मुख्य बातें बता दीं, वह अब सन्तुष्ट हो गये होंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन शिकायतों की जांच की गई? यदि हां, तो क्या वह सही पाई गई और अगर सही पाई गईं तो क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री जयराम वर्मा---इसके बारे में जांच हो रही है, उसके बाद निर्णय लिया जायगा।

खीरी जिले के पंचायत मंत्री

*२१---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में ऐसे कितने पंचायत मन्त्री हैं जो कि इस समय अपने निवास-स्थान से २५ मील से अधिक दूर पर हैं?

श्री जयराम वर्मा---११६ ।

*२२---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में पंचायत मंत्रियों के कितने स्थानान्तरण जुलाई, सन् १९५९ से लेकर जनवरी, १९६० तक किये गये हैं?

श्री जयराम वर्मा--- ३६ ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले के पंचायत मंत्रियों की कुल कितनी संख्या है जिसमें से ११६ का उत्तर मिला है?

श्री जयराम वर्मा---कुल संख्या १४९ है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १४९ मंत्रियों में से केवल ११६ ही २५ मील से दूर हैं तो बाकी का २५ मील के भीतर रहने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा---हो सकता है कि कुछ का काम अच्छा हो और उनका ट्रान्सफर करना मुनासिब न हो।

दूसरे यह कि सभी ट्रान्सफर एक साथ नहीं हुये थे, धीरे-धीरे हो रहे थे। तो जो ट्रांसफर बाकी रह गये थे उनके ट्रांसफर करने के बारे में जिलों से ऐसी प्रार्थना आई कि इधर कर-वसूली का काम हो रहा है, अगर इस बीच में ट्रांसफर किया जायगा तो कठिनाई होगी। इसलिये उनको यह सुझाव दिया गया है कि अगर वे चाहें तो इस वक्त जो बाकी ट्रांसफर रह गये थे उनको न करें और ३१ मार्च के बाद ट्रांसफर करें।

श्री उपाध्यक्ष---राज्यादेश में क्या इस तरह का आप्शन है कि २५ मील से कम भी रखा जा सकता है?

श्री जयराम वर्मा---मैंने बताया कि ऐसा आप्शन है कि जिन पंचायत मंत्रियों का काम अच्छा है उनको नजदीक रख सकते हैं।

*२३---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---[हटा दिया गया।]

*२४---श्री देवकीनन्दन विभव---[६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर जिले के पंचायत राज विभाग में हरिजन कर्मचारी

*२५---श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में इस समय पंचायत राज्य बिभाग में कितने पंचायत इन्स्पेक्टर, क्लर्क तथा चपरासी हैं और उनमें कितने हरिजन इंस्पेक्टर, क्लर्क व चपरासी हैं?

श्री जयराम वर्मा---सीतापुर जिलें में पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या इस प्रकार है:---

	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
पंचायत निरीक्षक ..	१० ..	१
पंचायत लिपिक ..	१० ..	१
पंचायत चपरासी ..	१० ..	शून्य

श्री मूलचन्द---मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन जो पंचायत लिपिक की संख्या १० में १ है तो वह कितने समय से अपने अस्थायी पद पर काम कर रहा है?

श्री जयराम वर्मा---असलियत यह है कि एक पंचायत निरीक्षक निलम्बित हैं, उनकी जगह पर एक पंचायत लिपिक को जो हरिजन हैं रख दिया गया है और उसी समय से वह काम कर रहे हैं।

गांव सभा बार के कागजात की जांच

*२६---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बार (तहसील महरौनी, जिला झांसी) के गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन का दुरुपयोग, गबन और अवैधानिक कार्य करने के सम्बन्ध में बार निवासियों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अक्टूबर, १९५८ में दिया गया था, जिसके बाद गांव सभा के समस्त कागज अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिये थे? यदि हां, तो क्या उक्त कागजों के हिसाब-किताब का आडिट करा लिया गया है? यदि नहीं, तो आडिट न करवाने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, प्रधान गांव सभा, बार, जिला झांसी, के विरुद्ध अक्टूबर, १९५८ में प्राप्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में उक्त गांव सभा क कागजात जांच के लिये ले लिये गये थे। चूंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध परगनाधीश, ललितपुर, ने पंचायत राज अधिनियम की धारा ९५(१)(जो) के अन्तर्गत कार्यवाही की, अतः आडिट कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कागजात जांच के लिये लिये गये थे उनमें क्या-क्या शिकायत सही पाई गई और जो परगनाधीश ने कार्यवाही की है उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री जयराम वर्मा--नतीजा यह निकला कि ३७ पये का अपव्यय किया गया है और यह आदेश दे दिया गया है कि चूंकि अपव्यय अनधिकृत था इसलिये इतना रुपया वह जमा कर दें।

शाहजहांपुर जिला जेल के अधीन खेती

*२७--**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, शाहजहांपुर के अधीन कितने बीघे जमीन पर खेती होती है ? उसकी आमदनी वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कितनी हुई और क्या-क्या फसलें पैदा हुईं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--१०.२५ एकड़ भूमि पर। चूंकि १९५९-६० का वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिये पूरी आमदनी बताना सम्भव नहीं है। फसलें चरी, आलू, कद्दू, अर्बी, पेठा, करमकल्ला, गांठ-गोभी, पालक, कुलफा, चौलाई, गरम साग, इत्यादि की हुईं।

श्री बालकराम--जो रकबा बताया है, १०.२५ एकड़, यह जेल के अन्दर का है या जेल के बाहर का भी है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जेल के अन्दर का सारा रकबा १२.३७ एकड़ है, जिसमें २.१२ एकड़ पर ऊसर भूमि है जिस पर कोई खेती नहीं हो रही है। शेष भूमि जो बतायी उस पर कोई खेती नहीं हो रही है। शेष भूमि जो बतायी उस पर सब्जी लगायी जाती है।

इलाहाबाद नगरपालिका का वाटर तथा हाउस टैक्स

*२८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका को १९५४-५५ से १९५९ -६० तक कितना धन हाउस-टैक्स तथा वाटर-टैक्स में प्राप्त होता था और १९६० में जो असेसमेन्ट हुआ है उसके अनुसार कितना धन हाउस-टैक्स तथा वाटर टैक्स प्राप्त होगा ?

श्री जयराम वर्मा-- १९५४-५५ से १९५९-६० तक इलाहाबाद नगरपालिका को हाउस-टैक्स तथा वाटर-टैक्स से निम्नलिखित आय हुई---

वर्ष	हाउस-टैक्स	वाटर-टैक्स
	रुपये	रुपये
१९५४-५५	३,४६,००८	८,१३,४७०
१९५५-५६	३,९४,९२४	९,४४,६९४
१९५६-५७	४,२६,३२६	१०,०६,४६७
१९५७-५८	४,३२,५७८	१०,२४,३५४
१९५८-५९	६,७७,९३६	९,५६,७७८
१९५९-६० ..	में फरवरी १९६० तक हाउस-टैक्स तथा वाटर-टैक्स दोनों से कुल १२,६६,०८८ रुपया की आय हुई।	

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मेरा प्रश्न था कि सन् ६० में जो एसेसमेंट हुआ है उसमें कितनी आय होगी ?

श्री जयराम वर्मा---अगर आपका मतलब ६०-६१ से था, तो मतलब साफ नहीं था। वैसे २ लाख और आमदनी बढ़ने की आशा की जाती है, लेकिन निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। कार्यकारिणी की एक उप-समिति आपत्तियों पर विचार कर रही है। जब उन पर निर्णय हो जायगा तभी निश्चित रूप से कहना सम्भव होगा कि ६०-६१ में कितनी वृद्धि होगी।

*२९--**श्री काशीप्रसाद पाण्डेय** (जिला सुल्तानपुर)---[सातवें गुरुवार के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०-३१---**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---[हटा दिये गये।]

जेलों में हाथ से चक्की चलाना बन्द करने की प्रार्थना

*३२--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री टीकाराम पुजारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जेलें हैं और उनमें ऐसी कितनी जेलें हैं कि जिनमें कैदियों से चक्की पिसाने का कार्य लिया जाता है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---कुल ६३ जेलें हैं। इनमें से ४२ जेलों में कैदियों से चक्की पिसाने का कार्य लिया जाता है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन ४२ जेलों में कैदियों से चक्की पिसाने का काम लिया जाता है वहां से चक्की पिसाने की प्रथा हटा ली जाय ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जी हां, यह सरकार के विचाराधीन है। अभी तक १३ जेलें ऐसी हैं जिनमें बिजली के जरिये या आयल इंजन के जरिये से यह काम लिया जा रहा है और धनाभाव के कारण अभी तक और जेलों में यह नहीं कर सके हैं। जेल रिफार्म कमेटी जो सन् ४६ में बैठी थी उसने यह कहा था कि जेल के कैदियों से जो हाथ की चक्कियों से काम लिया जाता है वह बन्द कर दिया जाय। सरकार के पास धन ज्यों-ज्यों होता जा रहा है त्यों-त्यों यह व्यवस्था की जा रही है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---हाथ की चक्कियां कैदियों से चलवाने का मकसद यह होता था कि उनको शारीरिक दन्ड दिया जाय। उसके पीछे उनके सुधार का तथा उनकी श्रम शक्ति की आर्थिक उत्पादकता का उद्देश्य नहीं होता था। तो क्या यह जो पुरानी प्रणाली शारीरिक दन्ड के रूप में उनको दन्डित करने की है उसके स्थान पर उनके श्रम से आर्थिक उत्पादकता हो सके, ऐसी किसी व्यवस्था पर सरकार विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---आप की राय से ऐसा होना चाहिये ?

आचार्य दीपंकर---मेरा उद्देश्य है कि उनका श्रम उत्पादक हो, शारीरिक दन्ड देने का उद्देश्य न हो।

श्री उपाध्यक्ष---यानी, इसके अलावा कोई ऐसा काम निकाला जाय, यह मतलब है ?

आचार्य दीपंकर---जी हां ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जैसा मैंने अभी कहा है, आज कल जेलों में इस तरह से काम कराने की विचार धारा है कि जो काम वहां कैदी सीखें उससे कुछ धनोपार्जन कर सकें। यह काम ऐसा समझा गया है कि इसमें उनकी शारीरिक शक्ति जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा लाभ उनकी उस शारीरिक शक्ति से और कामों में हो सकता है और इसलिये और व्यवसाय सिखाये जा रहे हैं जिनमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चक्की व्यवसाय कुटीर उद्योग है तो उसको बढ़ाने की दृष्टि से वहां हर कैदी से सेर-सेर या दो-दो सेर आटा पिसवाने को प्रथा को सरकार कायम रखेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मैंने अर्ज किया कि हमारे यहां अभी भी ४२ जेलें ऐसी हैं जहां हाथ से चक्कियों से पिसाई होती है और १३ ऐसी हैं जिनमें आयल इंजन के जरिये या बिजली के जरिये पिसाई का काम हो रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि १३ जेलों में तेल की चक्की लगायी गयी है, तो एक तेल की चक्की लगाने में कितना खर्चा बैठता है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब से जेलों में यह चक्की छुड़ाई गई और कैदियों को आराम दिया जाने लगा तब से उनका डर कम हो गया है और अपराध ज्यादा होने लगे हैं?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---उसके बाद से जनसंघ के लोग अब जेल नहीं जाते हैं। (हंसी)

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि जेल रिफार्म्स कमेटी की सिफारिश हुए १२ वर्ष से ऊपर हो गये, इस विषय में कुछ तेजी करने की कृपा करेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मैंने अभी अर्ज किया कि १३ जेलों में तो यह कार्यान्वित भी हो गया है और बाकी में जैसे धन मिलता जायगा हम करते जायेंगे।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह कौन-कौन सी जलें है जिनमें चक्की पीसने का काम बन्द कर दिया गया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---आगरा, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, फैजाबाद, गोंडा, हरदोई, कानपुर, मेरठ, सीतापुर और उन्नाव। इसके अतिरिक्त चार जेलें ऐसी हैं जहां बिजली की चक्कियां तो लगी हुई हैं परन्तु कभी ये खराब हो जाती हैं तो वहां हाथ से भी आटा पीसने की व्यवस्था है, ये हैं वाराणसी, गोंडा, हरदोई और उन्नाव।

*३३---**श्री प्रतापसिंह**---[६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३४---**श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**---[६ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले के पंचायत विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*३५---**श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में जनवरी, १९६० में पंचायत विभाग में कुल कितने कर्मचारी किस किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने अनुसूचित जाति के थे ?

श्री जयराम वर्मा---वांछित सूचना इस प्रकार है :---

पद	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या
सहायक जिला पंचायत अधिकारी	१	..
पंचायत निरीक्षक	८	१
पंचायत लिपिक	७	१
पंचायत मंत्री	१३२	९
पंचायत चपरासी	८	..
कुल संख्या	१५६	११

श्री रामदीन---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि पंचायत मंत्री तथा चपरासियों की जगहों के लिये जिले के हरिजनों ने बहुत काफी प्रार्थना-पत्र दिये मगर फिर भी उनको नहीं लिया गया ?

श्री जयराम वर्मा---ऐसी सूचना तो नहीं है कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये हों और न लिये गये हों ।

फैजाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन

*३६---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या २६ सितम्बर, सन् ५७ के जी० ओ० के मुताबिक १ अक्टूबर, ५७ से फैजाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों को ए० ग्रेड का वेतन दिया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १ अक्टूबर, १९५७ से उस म्युनिसिपैलिटी को ए ग्रेड का बना दिया गया है तो अब तक वह लागू नहीं हुआ या सूचना नहीं इकट्ठा हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा---सूचना मांगी गयी थी, वह अभी तक आ नहीं पायी है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---सूचना चाहे देर में आये लेकिन जब से यह जी० ओ० लागू हुआ है क्या तभी से ये सुविधायें उपलब्ध करायी जायंगी ?

श्री जयराम वर्मा---पूछा यह गया है कि वह वहां लागू हुआ है या नहीं । इसके बारे में सूचना आते ही बतला दिया जायगा ।

*३७-३८---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद नगरमहापालिका में वापसी चुन्गी का बकाया

*३९---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद की महानगरपालिका में अब तक कितने दुकानदारों के ऊपर वापसी चुंगी का कितना कितना रुपया बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—इलाहाबाद नगर महापालिका के कत्थे के जिन-जिन दुकानदारों पर जितना जितना रुपया बाकी है, वह संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९७ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया कितने दिनों से बाकी है और वसूल क्यों नहीं किया गया ?

श्री जयराम वर्मा— यह रुपया तो काफी दिनों से बाकी है । लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं । ऐसा हुआ था कि कत्थे के व्यापारियों पर जो चुंगी लगाई उसको उन्होंने देना बन्द कर दिया । मामला अदालत में गया । मजिस्ट्रेट के यहां से उनके खिलाफ फैसला हुआ । लेकिन दूकानदार सेशंस जज के यहां मामला ले गये और वहां से उनके माफिक फैसला कर दिया गया और कह दिया गया कि कत्थे के व्यापारियों पर यह चुंगी नहीं लगाई जा सकती है । फिर मामला ऊपर गया और हाई कोर्ट से फैसला हुआ कि चुंगी लगाई जा सकती है । यह हो जाने के बाद जब वसूली की कार्यवाही शुरू हुई तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लग गया है जिसको देना हमारे लिये नामुमकिन है, इसलिये कुछ छोड़ दिया जाय । इस पर से ७५ फीसदी लेना तय किया गया और २५ फीसदी छोड़ दिया गया ह । अब कुछ रुपया वसूल हो गया है । जो बाकी है उसकी वसूली की कार्यवाही अदालत द्वारा की जा रही है ।

सरायमीरा ग्राम में सार्वजनिक नल लगाने की प्रार्थना

*४०—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सराय मीरा के चौराहे पर एक सार्वजनिक नल लगाने के संबंध में ग्राम सराय मीरा, जिला फर्रुखाबाद, के ग्रामवासियों का ३-४-५८ को भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र सिंचाई मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । इस पर विचार हो रहा है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि प्रार्थना-पत्र भेजे हुए दो वर्ष हो गये हैं वहां नल शीघ्र लगवाने के लिये विचार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—हां, इसी अगले साल में इसका प्रबंध हो जायगा ऐसी आशा है ।

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—[सोलहवें बुधवार के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अपहृत महिलायें

*४२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १-१-५९ से ३१-१२-५९ तक की अवधि में राज्य में अपहृत (abducted) महिलाओं की जिलावार संख्या क्या थी जो recover की जा सकी थीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—वांछित सूचना तालिका में दी गई है । केवल अल्मोड़ा जिले की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९८ पर)

*४३—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त संख्या में कितनी अभी समाज कल्याण संस्थाओं में और सरकार के तत्वावधान में चलने वाले आवासों में ३१-१२-५९ को थीं और कितनी सामान्य जीवन में (rehabilitate) कर दी गई थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस संबंध में केवल ४५ जिलों की सूचना उपलब्ध है। इन जिलों में बरामद की गई महिलाओं में से २१ महिलायें ३१-१२-५९ को समाज कल्याण संस्थाओं और सरकार के तत्वावधान में चलने वाले आवासों में थीं। १२ महिलाओं का सामान्य जीवन में पुनर्वास कर दिया गया तथा २४५ महिलाओं को उनके अभिभावकों को दे दिया गया।

*४४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में उपरोक्त समय में अपहृत की जाने वाली महिलाओं की सूचना जिलेवार कितनी कितनी सरकार को मिली और कितनी कितनी recover नहीं की जा सकीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वांछित सूचना तालिका "ख" में दी गई है। अल्मोड़ा जिले की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९९ पर)

रामनगर नगरपालिका संबंधित क्वार्टर तथा ऋण

*४५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाटर वर्क्स इंजीनियर के लिये व मशीन आपरेटरों के लिये सरकार ने क्वार्टर्स बनाकर नगरपालिका रामनगर को दिया है ? यदि हां, तो क्या उसमें म्युनिसिपल बोर्ड का दफ्तर है तथा इंजीनियर तथा आपरेटर को न रख कर अन्य कर्मचारियों को रखा गया है ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका, रामनगर, में जल कल अभियन्ता तथा मशीन आपरेटरों के लिये क्वार्टर्स का निर्माण हुआ है। परन्तु अब तक कोई जल कल अभियन्ता नगरपालिका रामनगर में नहीं है। इसलिये जल कल अभियन्ता के लिये बनाया गया क्वार्टर अभी उसे नहीं दिया जा सका है। नगरपालिका रामनगर का जल कल विभाग संबंधी कार्य बढ़ गया है। जल कल अभियन्ता का क्वार्टर खाली होने के कारण इस क्वार्टर को उक्त कार्य में प्रयोग किया जा रहा है।

उक्त जल कल के अन्तर्गत केवल एक ही आपरेटर है, जो रामनगर का ही स्थाई निवासी है। उसको एक आपरेटर का क्वार्टर दिया गया, पर चूंकि उसका परिवार बहुत बड़ा है इसलिये वह अपनी सुविधा के लिये अपने ही मकान पर रहता है। आपरेटरों के ही लिये निर्मित क्वार्टरों में से एक क्वार्टर जल-कल के चौकीदार को दिया गया है। दो क्वार्टर जल कल कार्यालय के प्रयोग में हैं। एक क्वार्टर के बारे में पूर्ण सूचना अभी नहीं मिली है।

*४६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, रामनगर, वाराणसी, के ऊपर सरकार का कितना रुपया कर्जा है और वह किस किस मद में दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका रामनगर पर सरकार का ४,५२,५०० रु० कर्ज है। यह कर जल-संभरण योजना के संबंध में दिया गया है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जल कल अभियन्ता वहां कितने दिनों से नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—यह अभी तक रखा ही नहीं गया है और आशा की जाती है कि वहां जल्दी ही रक्खा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—कितने दिनों से नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, इसकी ठीक सूचना नहीं है।

श्री ऊदल—जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि आपरेटर का परिवार बहुत बड़ा है इसलिये उसने क्वार्टर नहीं लिया, तो क्वार्टर का कुछ एलाउंस दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा—नहीं, एलाउंस सभवतः नहीं दिया जाता है।

वाटर वर्क्स, रामनगर से पृथक किये गए कर्मचारियों को प्रतिकर तथा ग्रेचुइटी

*४७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाटर वर्क्स, रामनगर, वाराणसी, जिसको सरकार ने अक्टूबर, सन् ५० में अपने अधिकार में ले लिया है, उसके २१ कर्मचारियों को फरवरी, सन ५२ में कार्य से इस शर्त पर पृथक कर दिया कि उन्हें पेन्शन या मुआवजा दिया जायेगा? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को पेंशन या मुआवजा दिया गया और कितनों को देना बाकी है?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, ६ कर्मचारियों को प्रतिकर पेन्शन (ग्रेचुइटी) दे दी गई है। ३ और कर्मचारियों को प्रतिकर पेन्शन (ग्रेचुइटी) की स्वीकृति हाल ही में दी गई है। शेष ६ कर्मचारियों के मामले अभी विचाराधीन है।

श्री ऊदल—यह मामला बहुत पुराना है और शेष ६ कर्मचारियों का जो मामला विचाराधीन है उसके कब तक तय हो जाने की उम्मीद है?

श्री जयराम वर्मा—हमारा खयाल है कि जल्दी ही तय हो जायगा। उनके मामले में कुछ दिक्कतें थीं और सूचना इकट्ठी करने में देरी हुई। आपत्तियां करीब २ दूर हो रही हैं और शायद मामला जल्दी ही तय हो जाय।

वाराणसी जी० टी० रोड सीवर लाइन बनाने का ठेका

*४८—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करगे कि सन् १९५५-५६ में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वाराणसी जी० टी० रोड सीवर लाइन बनाने का ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया था उसका कार्य करने का क्या रेट था और प्रति दिन कितनी लम्बाई में सीवर लाइन उसने तैयार की?

श्री जयराम वर्मा—सन् १९५५-५६ में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा वाराणसी जी० टी० रोड सीवर लाइन बनाने का जो ठेका श्री एस० एन० राय को दिया गया था उसके कार्य करने के रेट की प्रतिलिपि† संलग्न है और उसके प्रति दिन सीवर निर्माण का औसत १०-१/२ फुट है।

*४९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में जिस ठेकेदार से वाराणसी में सीवर लाइन बनाने का एग्रीमेन्ट था उसको कैंसिल करके जो दूसरे ठेकेदार से यह कार्य कराया गया उसको क्या रेट दिया गया और कितने समय में उसने कितनी लम्बी सीवर लाइन बनाई और कितनी लम्बी सीवर लाइन का कुल कितना रुपया इस ठेकेदार को भुगतान किया गया?

श्री जयराम वर्मा—श्री एस० एन० राय, ठेकेदार का ठेका कैंसिल करके सर्वश्री महन्तसिंह एन्ड संस को दिया गया और उसके एग्रीमेन्ट के रेट की प्रतिलिपि† संलग्न है। उन्होंने १६२ दिन में २७ इंच व्यास का ईंट का सीवर कुल १,९२४ फुट बनाया और इसके लिये उन्हें कुल लगभग १,२१,५०० रुपया भुगतान किया गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५५-५६, १९५६-५७, और १९५७-५८ में अलग अलग श्री राय ने कितने कितने फीट सीवर लाइन डाली?

श्री जयराम वर्मा—इस विस्तार की सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर माननीय सदस्य ऐसे प्रश्नों में इंटरेस्टेड हों तो उनको ब्योरे में देना चाहिए।

---

†रेट की प्रतिलिपि छापी नहीं गयी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—डिटेल में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—यह दिया था कि कितने दिन में कितनी लम्बी सीवर बनायी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री महन्त ऐंड संस को ६४ हजार रुपये में १९२४ फीट सीवर लाइन बनाने को क्यों दिया, जबकि श्री राय ने उसी को बनाने के लिये ५० हजार रुपये के रेट दिये थे ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी तो निश्चित सूचना नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि श्री महन्त ऐंड संस ने २२ फीट गहरी खुदाई करके १९२४ फीट सीवर लाइन डाली जबकि श्री राय ने ढाई हजार फीट सीवर लाइन ३० फिट गहरी खुदाई करके डाली, तब श्री महन्त एंड संस को पेमेंट क्यों ज्यादा किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—दिक्कत यह है कि इतनी विस्तार की सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण—सरकार की ओर से जो सूचना दी गयी है क्या सरकार अपने उत्तर को देखेगी कि जो ठेका श्री राय को एक हजार पर तीस रुपये का दिया गया वही श्री महन्त को २६ रुपये हजार दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि जब विस्तृत सूचना नहीं है तो फिर से दूसरा प्रश्न पूछ लें।

श्री राजनारायण—उत्तर तो संलग्न है।

श्री उपाध्यक्ष—फिर आप पूछ लें। उनको भी सुविधा हो जायगी और आपको भी उपयुक्त जानकारी हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमको सूची दी गयी है, वह अंग्रेजी में दी गयी है। दुर्भाग्यवश मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं, लेकिन यह प्रथा अच्छी नहीं है। एक दिन मैंने परिवहन मंत्री जी के उत्तर के संबंध में भी कहा था। जब सदन की भाषा हिन्दी है तो हिन्दी में ही आनी चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—व्यवस्था पहले भी दी जा चुकी है। आपका एतराज बिलकुल उचित है। मैं माननीय मंत्रिगण से आग्रह करूंगा कि भविष्य में हिन्दी में ही सूची भेजी जाय।

मैनपुरी में लगाये गए पम्पों के सम्बन्ध में शिकायत

*५०—**श्री रामदीन**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी शहर, जिला मैनपुरी, में जो सन् १९५९ में पानी पीने हेतु पम्प लगाये गये हैं उनके बारे में शिकायती पत्र सरकार के पास आये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—सन् १९५९ में मैनपुरी शहर, जिला मैनपुरी, में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कोई पम्प पानी पीने के हेतु नहीं लगाया गया है; अतः उसके बारे में शिकायत-पत्र प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

*५१—**श्री रामदीन**—यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जयराम वर्मा—उपरोक्त स्थिति में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदीन—श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था कि सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी शहर, जिला मैनपुरी, में सन् १९५९ में पानी पीने हेतु पम्प लगाये गये। मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से कोई पानी के पम्प नहीं लगाये गये। तो यह मैं जानना चाहूंगा कि वे किस विभाग की तरफ से पम्प लगाये गये ? और प्रार्थना-पत्र कोई आया है जांच-तलब ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, वहां पर जल संभरण योजना कार्यान्वित की गई है, लेकिन जो पम्प लगाने की बात कही गई है वह तो नहीं हुई है और न कोई उसके बारे में शिकायत आई है।

कानपुर नगरमहापालिका के उद्यान विभाग के कर्मचारी

*५२—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर, के उद्यान विभाग के कर्मचारियों की फरवरी, सन् १९५७ में कोई मेडीकल जांच हुई थी ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं।

*५३—**श्री राजनारायण**—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की लिस्ट व विवरण देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो कब इस प्रकार की जांच सन् १९५४ के बाद अब तक हुई जिसके आधार पर कर्मचारियों की सर्विस बुक तैयार की गई ?

श्री जयराम वर्मा—सन् १९५४ के बाद इस प्रकार की जांच सन् १९५६ में हुई थी और उसके बाद सन् १९५९ से पुनः जारी है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जो जांच सन् १९५६ में हुई थी उसी के अनुसार वहां सर्विस बुक तैयार की गई है ?

श्री जयराम वर्मा—हां, उसी के अनुसार तैयार की गई है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना भी आई है कि जो सर्विस बुक तैयार की गई है वह सन् १९५४ की जांच के मुताबिक तैयार की गई है और उसके बाद अभी तक कोई जांच नहीं हुई ?

श्री जयराम वर्मा—हमारे पास तो सूचना यही है कि १९५६ में भी जांच हुई और १९५९ में भी जांच शुरू हुई थी, वह अभी तक खत्म नहीं हुई है, जारी है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि १९५४ में जो जांच हुई थी और फिर १९५६ में जो जांच हुई, इन दोनों जांचों में क्या फर्क है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसा हो सकता है कि सन् १९५६ में बहुत से नये कर्मचारी हुये हों और उनकी आयु का प्रश्न रहा हो। उनके पास कोई लिखित प्रमाण न रहा हो, तो सिवाय मेडिकल एग्जामिनेशन के कोई और तरीका है नहीं।

अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के अधिकारों में कमी

*५४—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला बोर्ड का अध्यक्ष, जो अब अन्तरिम जिला परिषद् में उपाध्यक्ष हैं, पहले जिले की सरकार द्वारा निर्मित जिन बहुत सी कमेटियों का अध्यक्ष अथवा सदस्य रहा है, अब किन-किन कमेटियों का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं रहा है ?

श्री जयराम वर्मा---अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर एक तालिका के रूप में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८००-८०१ पर)

*५५---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण हुआ है तब से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक किन-किन जिलों के उपाध्यक्षों को अध्यक्षों द्वारा परिषद् का कार्य करने के लिये आदेश दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा---अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जिला देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, जालौन, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, नैनीताल, गढ़वाल, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा बाराबंकी के उपाध्यक्षों को अध्यक्षों द्वारा परिषद् का कार्य करने के लिये कुछ अधिकार हस्तान्तरित किये गये हैं। जिला बिजनौर से अभी सूचना नहीं प्राप्त हुई है। जौनपुर के उपाध्यक्ष को सौंपे गये अधिकार २१-१२-५९ को वापस ले लिये गये।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब वह जिला बोर्ड का अध्यक्ष था तो बहुत सी कमेटियों का सदस्य था, और अब अन्तरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष है, तो उसकी सदस्यता से वह वंचित कर दिया गया है, तो क्या वह अधिकार उसे फिर देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---यह तो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग कार्यवाही हुई है। यह उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया है, जैसा चाहें वे करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि जौनपुर के उपाध्यक्ष से जो अधिकार छीन लिये गये हैं, उसका कारण क्या है ?

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष ने यह महसूस किया कि उपाध्यक्ष उन अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि और जगह के उपाध्यक्ष अधिकारों का सदुपयोग कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---जाहिर है।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में अध्यक्ष ने कुछ अधिकार उपाध्यक्ष को हस्तान्तरित कर दिये हैं और इनके अलावा उत्तर प्रदेश में जो जिले बच गये हैं उन जिलों के उपाध्यक्षों को भी मंत्री जी अधिकार देने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---यह उन्होंने बता दिया है कि यह अध्यक्ष का अधिकार है। यदि वे दें तो मंत्री जी उनको मजबूर नहीं कर सकते।

बरेली जिले में ग्राम पंचायतों व न्याय पंचायतों का निर्माण न होना

*५६---**श्री शिवराजबहादुर** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कितनी ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि ऐसा है, तो उनके निर्माण न होने का क्या कारण है, और ऐसी ग्राम सभाओं का प्रबन्ध किस प्रकार होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जिला बरेली की १,३७३ गांव सभाओं में २०० गांव सभायें ऐसी हैं जिनमें गांव पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है । इनमें से १९९ गांव सभाओं में प्रधानों का निर्वाचन हो गया है परन्तु गांव पंचायत के लिये इतने सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ कि कोरम पूरा हो सके । एक गांव सभा ऐसी भी है जिसके प्रधान का चुनाव भी नहीं हुआ है । फलस्वरूप यह गांव सभा कार्य नहीं कर रही है। प्रधानों के द्वारा, गांव सभाओं की बैठकें न बुलाकर, कार्य का प्रबन्ध किया जाता है ।

गांव सभाओं के निर्माण न होने का कारण यह है कि दोबारा निर्वाचन कराने पर भी आवश्यक संख्या में लोग निर्वाचन के लिये खड़े नहीं हुये । नाम निर्देशन के लिये भी प्रयत्न किया गया किन्तु सम्बद्ध व्यक्तियों के नियत शुल्क न देने के कारण नाम निर्देशन भी पूरा नहीं किया जा सका है।

*५७--**श्री शिवराजबहादुर** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कितनी न्याय पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि ऐसा है, तो उनके निर्माण न होने का क्या कारण है और जिन स्थानों पर न्याय पंचायतें नहीं हैं उन क्षेत्रों के याय पंचायत सम्बन्धी मुकदमों का निर्णय किस प्रकार होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--केवल एक न्याय पंचायत का निर्माण अभी नहीं हुआ है क्योंकि उसमें सम्मिलित गांव पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से पंचों का नाम निर्देशन नहीं हो पाया है । जहां न्याय पंचायत नहीं स्थापित हुई है, वहां के निवासी अपने मुकदमे प्रचलित कानून तथा प्रथा के अनुसार जिले के न्यायालय में दायर कर सकते हैं ।

बस्ती तथा देवरिया जिलों में समाज कल्याण कार्यों पर व्यय

* ५८--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायगे कि जिला बस्ती को समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि सन् १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ में दी गई और वह कहां-कहां खर्च की गई ?

*५९--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया को समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि सन् १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में दी गई और वह कहां-कहां खर्च की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८०२-८०३ पर)

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् को दिये गये अनुदान का व्यय

* ६०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् की वित्तीय वर्ष १९५३-५४ से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तक क्षति-ग्रस्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के लिये अलग-अलग वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया है तथा उसका उपयोग किन-किन वर्षों में किन-किन सड़कों तथा किन-किन भवनों की मरम्मत में कितना-कितना पया हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा--प्रश्न का उत्तर देने के लिये ६ वर्षों के आंकड़े एकत्र करना है । यदि दो व्यक्ति केवल इसी कार्य के लिये नियुक्त किये जावें तो कम से कम दो मास का समय लग जावेगा। बहरहाल सूचना एकत्र की जा रही है । उपलब्ध हो जाने पर आश्वासन समिति के द्वारा सदस्य महोदय को बता दी जावेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १--३--६० को उत्तर दिया गया था उसके देखने के बाद क्या यह सही है कि केवल ६ वर्ष का हिसाब नहीं देना है बल्कि ३ वर्ष का ही हिसाब देना है और यह ६ वर्ष का उत्तर बिलकुल गलत है ?

श्री जयराम वर्मा---वह यह चाहते हैं कि इन ६ वर्षों में किन-किन वर्षों में कितना-कितना धन कहां-कहां उसमें खर्च हुआ है । तो वह ६ वर्ष की बात तो है ही ।

आनन्द बाजार गोदौलिया का नक्शा

*६१---**श्री ऊदल**---क्या सरकार आनन्द बाजार नं० ४०।२७, ४०।१६ गोदौलिया वाराणसी का जो नक्शा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास हुआ है उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---वांछित नक्शे की प्रतिलिपि † सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*६२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार लक्सा, जिला वाराणसी, में गुरुद्वारा के पास जो कटरा लोकपति त्रिपाठी का बना है जिसका नक्शा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, वाराणसी, ने पास किया है उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---गुरुद्वारा के पास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने श्री लोकपति त्रिपाठी के नाम का कोई नक्शा पास नहीं किया है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि ४०/२७ और ४०/१६ के लिये जो नक्शा उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है वह नक्शा मकान मालिक ने मरम्मत के लिये दिया था ? वह मरम्मत न करा कर उस मकान का पूरा नक्शा बदल दिया और मकान को नया रूप दे दिया ?

श्री जयराम वर्मा---इस मालिक मकान ने कई बार प्रार्थना-पत्र दिया । पहली बार प्रार्थना-पत्र ६ जनवरी, ५८ को दिया मरम्मत के लिये। वह मन्जूर हो गया और मरम्मत करा ली। उसके बाद फिर दूसरा प्रार्थना-पत्र २७ फरवरी, ५८ को दिया कि कुछ एडीशन और आल्टरेशन करना चाहते हैं। उसकी मन्जूरी भी देदी गई। ऐसा हो जाने के बाद फिर उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें और तब्दीली की बात कही गई थी। उस तब्दीली को बगैर परमिशन के ही उन्होंने करा लिया, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो तब्दीली जरूर हुई परन्तु वह तब्दीली कुछ ऐसी नहीं थी जो नियम के विरुद्ध कही जाय । इसलिये वह तब्दीली भी मन्जूर कर ली गई।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतलायेगी कि वह कटरा किसका है और उसके मालिक कौन हैं ?

श्री जयराम वर्मा---यह प्रश्न तो यहां पर नक्शे के सम्बन्ध में है।

श्री राजनारायण---इसमें कहा है कि यह लोकपति त्रिपाठी का कटरा बना है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा कि वह उस नाम से पास होने के लिये नहीं आया ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि ४०/२७ और ४०/१६ के लिये जिस तरह से उन्होंने दरख्वास्त की थी उसी के अनुसार उन्होंने कराया है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---मैंने बताया कि उन्होंने कई प्रार्थना-पत्र दिये । उनको बार बार देखा गया और आखिर में बगैर इजाजत के जो तब्दीली की थी उसको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वह नियम विरुद्ध नहीं है ।

---

† नक्शे की प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

उपाध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, शाहजहांपुर, से अधिकार वापस लेने की प्रार्थना

*६३--श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकांश सदस्यों ने उपाध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् से अधिकार वापस लेने के वास्ते जिलाधीश को फरवरी, १९६० के प्रथम सप्ताह में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर जिलाधीश महोदय ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां । उक्त प्रार्थना-पत्र अभी जिलाधीश के विचाराधीन है ।

जालौन अन्तरिम जिला परिषद् का अनुदान

*६४--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन अन्तरिम जिला परिषद् जब से बनी तब से सन् १९५९ तक कितना रुपया जिला की सड़कों, स्कूल की इमारतों की मरम्मत के लिये ग्रान्ट में राज्य सरकार द्वारा दिया गया और कितना परिषद् द्वारा तदर्थ खर्च किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अन्तरिम जिला परिषद्, जालौन को उसके बनाने की तिथि ३०-५-५८ से ३१-१२-५९ तक सड़कों तथा स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों तथा परिषद् द्वारा उन अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :

राजाज्ञा संख्या व दिनांक	अनुदान	परिषद् द्वारा व्यय
१	२	३
(क) सड़कों की मरम्मत		
(१) ४०४३सी/९-ए--५०-सी-जी(६)-५७, दिनांक ७ अगस्त, १९५८	१३,६२५	
(२) ६०२६-ए/११-ग--५८५-५८, दिनांक ८ जनवरी, १९५९	१८,३००	१९,६९५
(ख) स्कूल भवनों की मरम्मत		
(३) डी० ए० १(१) बी/२८३८/३१ए-२(५७)-५८-५९, दिनांक २८ जनवरी, १९५९	३०,०००	१,०००
(४) वी-१९८७/१५, दिनांक १३ मार्च, १९५९ ..	२०,०००	..

नोट--तारांकित प्रश्न ६३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में डेपुटेशन पर आये आफिस सुपरिण्टेण्डेन्ट

*६५--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर कार्य करने वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे सरकारी विभागों से डेपुटेशन पर लिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६६--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि उक्त डेपुटेशन में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना प्राप्त होने पर जांच की जायेगी ।

*६७--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या स्वायत्त शासन मंत्री ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर इस सूचना के साथ रखेंगे कि उनमें से प्रत्येक कितने दिनों से किस सरकारी विभाग से डेपुटेशन पर लिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

१-३--श्री गौरीराम गुप्त--[हटा दिये गये ।]

आजमगढ़ जिले में पंचायत मन्त्रियों का निलम्बन

४--श्री मुक्तिनाथराय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५८ व १-१-५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक कितने पंचायत मंत्री निलम्बित हुए और उक्त अवधि में निलम्बित कितने पंचायत मंत्री अपने पदों पर बहाल हुए और अभी कितने पंचायत मन्त्रियों के निलम्बन पर कोई निर्णय नहीं हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आजमगढ़ जिले में वर्ष १९५८ व १ जनवरी, १९५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक की अवधि में क्रमशः १५ व १२ पंचायत मंत्री निलम्बित हुए और उक्त अवधि में उनमें से क्रमशः १२ व १० पंचायत मंत्री अपने पदों पर बहाल हुये। उनमें से इस समय किसी पंचायत मंत्री का मामला अनिर्णीत नहीं है ।

५--श्री मुक्तिनाथराय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में कुछ पंचायत मंत्री सन् १९५८ में निलम्बित किये गये किन्तु उनके मामले अभी तक निर्णीत नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं ।

६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में पंचायत के कुछ मन्त्रियों तथा पंचायत निरीक्षक कार्यालय के क्लर्कों को सन् १९५२ व १९५७ के विधान सभाओं के आम चुनाव के समय का पारिश्रमिक अभी तक नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और कितना देना बाकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं । इस समय भुगतान के लिये कोई बिल शेष नहीं है ।

७—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिये प्रति मास तथा प्रत्येक पंचायत मंत्री को प्रति मास कितना व्यय स्टेशनरी के निमित्त दिया जाता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिये स्टेशनरी के निमित्त कोई धन नहीं दिया जाता है तथा पंचायत मंत्री लेखन-सामग्री हेतु प्रत्येक गांव सभा से ५० नये पैसे प्रति मास सीधे ही प्राप्त कर लेते हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था की मांग

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आप लोगों से सविनय निवेदन किया....

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैं एक मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर उसे लिख कर भेज दीजिये। 'आफ हैंड' में उसका क्या जवाब दूंगा? अगर मंत्री जी के खिलाफ शिकायत होगी तो मैं उसे देख लूंगा, आप जिद न करें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैं लिख कर दे दूंगा, लेकिन सदन में आप अपनी व्यवस्था दे दीजिये ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। बड़ा हास्यास्पद हो रहा है..

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर दे दीजिये और मेरा निवेदन मानिये।

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहान के कारण मुसलमान परीक्षार्थियों को जुमा की नमाज से वंचित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत ३ प्रश्न उपस्थित किये गये हैं, जिनमें सबसे महत्व का प्रश्न मैं श्री अब्दुल रऊफ लारी का समझता हूं। वह इस प्रकार है: "हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट बोर्ड, उत्तर प्रदेश ने इंटर की परीक्षा के दो पर्चे पहली अप्रैल व ८ अप्रैल को, शुक्रवार को, ११ बजे दिन से ढाई बजे दिन तक रखे हैं। इससे आम मुसलमान विद्यार्थियों को जुमा की नमाज से वंचित कर दिया जाता है, जिससे आम मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है।"

मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराना चाहूंगा।

शिक्षा उप मन्त्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—श्रीमन्, यह तो आज ही मिला है और इलाहाबाद से इस बारे में इत्तला मंगवायी गयी है। परसों इस सम्बन्ध में बतला सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। मैंने इसी को सबसे महत्व का समझा, इसलिये ले लिया; और सब अपनी जगह पर रह गये।

पूर्वी जिलों में ओला-वृष्टि के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने कल सदन में कहा था कि वह सभी जिलों से ओला-वृष्टि आदि के बारे में सूचना मंगा रहे हैं कि कहां कितना ओला पड़ा, कहां कितना नुकसान हुआ। पूर्वी जनपद में इससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई व्यक्तव्य देंगे ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---वह सूचना इकट्ठा हो रही है। कतई तौर पर अभी नहीं आयी है। अगर आज ही पूरी हो गयी तो आज ही, नहीं तो कल या परसों तक, वक्तव्य दे सकूंगा।

मलियाना शुगर मिल, मेरठ, को मलियाना गांव की भूमि का बलपूर्वक पुलिस द्वारा कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह उप-मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—श्री रामस्वरूप वर्मा की सूचना पर मलियाना शुगर मिल के सम्बन्ध में गृह मंत्री जो आज वक्तव्य देंगे।

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---उपाध्यक्ष महोदय, जसवन्त शुगर मिल ने एक नार्दर्न इंडिया पेपर मिल्स मलियाना गांव में स्थापित करने की योजना बनायी है। उसका इम्पोर्ट लाइसेंस केन्द्रीय सरकार ने दे दिया है और वह कम्पनी ७-१-५७ को इनकारपोरेट हुई। उन्होंने अपने गोदाम आदि बनाने के लिये ५५ बीघा जमीन लेने के लिये निवेदन किया। धारा ४, लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, के अनुसार १२ सितम्बर, १९५७, को उसकी विज्ञप्ति निकली और २१ जनवरी, १९५९ को धारा ४०, सब-सेक्शन (२), के अनुसार मेरठ के जिलाधीश से उसकी जांच करायी गयी। जांच के फलस्वरूप यह पाया गया कि जमीन देना उचित ही है और अन्य कोई स्थान नहीं था जहां पर वह लोग जमीन ले सकते।

इसके बाद धारा ६, सब-सेक्शन (आई), और धारा १७ (१) के अनुसार १० अक्टूबर, १९५९ को गजट में उस भूमि के बारे में नोटिफिकेशन निकला। धारा ९ के सब-सेक्शन (१) के अनुसार १२-१०-५९ को जिन सज्जनों के ऊपर इसका असर पड़ता था उनके ऊपर नोटिस तामील हुई और तहसीलदार के पास, १५ दिन का समय समाप्त होने पर, आदेश भेज दिये गये कि वह भूमि का पजेशन दे दें। २३-११-५९ को मिल के अधिकारियों को उस भूमि का पजेशन दे दिया गया। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इधर कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में एक रिट दायर कर दिया और उसमें २८-११-५९ को स्टे आर्डर हो गया। उसके बाद ८-२-६० को उच्च न्यायालय द्वारा वह आर्डर भंग कर दिया गया। फिर १७-३-६० को मिल के अधिकारियों ने पुलिस की सहायता मांगी जिससे कि वे उस भूमि पर अपना भवन बनवा सकें।

२० मार्च, ६० को मिल के अधिकारी अपनी भूमि पर गये। उस समय बहुत से लोग लाठियां लेकर आ गये और उन्होंने झगड़ा करने के इरादे से यह भी कहा कि अगर कोई वहां पर इमारत बनायेगा तो वे उसको किल कर देंगे और इमारत नहीं बनाने देंगे। पुलिस जो उस समय वहां मौजूद थी उसने वहां की ऐसी परिस्थिति देख कर २९ आदमियों को अन्डर सेक्शन १५१, सी० आर० पी० सी०, गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। कुछ महिलायें भी वहां खेतों में गयीं और उनको एस० डी० एम० ने समझाया लेकिन फिर भी वे खेतों में रहीं। वे वहां से समझाने पर भी न हटीं। लेकिन कोई कार्यवाही उनके साथ नहीं की गयी, केवल कुछ कान्स्टेबिल्स को और एक सब-इन्सपेक्टर को वहीं छोड़ दिया ताकि वे स्थिति को देखते रहें।

२०-३-६० की शाम को कुछ लोग जिलाधीश से भी मिले और उन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखा। उन्होंने एक मांग तो यह रखी कि उन खेतों में जो फसल खड़ी हुई है उसको काटने का उनको अधिकार दिया जाय और जब तक वह कट न जाय तब तक वहां कोई इमारत न बने। नियमों के अनुसार तो दिक्कत थी, किन्तु जिलाधीश ने उनको यह परामर्श दिया था कि यदि कोई झगड़ा न हो, तो जब तक फसल न कट जाये तब तक के लिये उस जगह इमारत न बनायी जाय। यह भी मांग की गयी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाय। उसके लिये उन्होंने जो जमानतें दीं वे मंजूर हो गयीं, किन्तु जमानत दाखिल नहीं हुई। जमानत दाखिल होने पर वे छोड़ दिये जायेंगे। जिलाधीश के पास और कोई शिकायत नहीं आई कि पुलिस ने ज्यादती की।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो गत्ता मिल पहले से मौजूद है उसमें वही माल इस्तेमाल होता है जो पेपर मिल में होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन किसानों की हालत बहुत खराब है और इस जमीन के निकल जाने से वे बिल्कुल बरबाद हो जायेंगे ? और पुलिस का व्यवहार वहां के किसानों के साथ अमान्य रहा---क्या यह रिपोर्ट उनके पास आई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने, श्रीमन्, निवेदन किया कि जिलाधीश से २० तारीख की शाम को ये लोग मिले थे। उन्होंने कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं की। अब उनकी स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी नहीं है। पेपर मिल का बनना जरूरी था, इसलिये भूमि उनको दी गयी।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन काश्तकारों के पास अपनी रोज़ी का दूसरा कोई जरिया नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी जानकारी इस समय नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि उन किसानों से, जिनकी यह जमीन ली गयी है, और मिल के मालिकों से कुछ मुआहिदा हुआ था कि इसके नजदीक जो फार्म लगा हुआ है वहां एक सड़क निकाली जायेगी और उस मिल का गन्दा पानी उनको दिया जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस मुआहिदे की जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के संविधान और कानून की दृष्टि में पुरुषों और महिलाओं में कोई भेद-भाव नहीं है, लेकिन यह यौन के आधार पर भेद-भाव क्यों किया गया कि पुरुष गिरफ्तार किये गये और महिलाएं गिरफ्तार नहीं की गयीं ?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे, जैसा कि अभी माननीय वर्मा जी ने कहा है, कि इस तरह का समझौता मिल वालों और किसानों के दर्मियान हुआ था, क्या इसकी जांच करा करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच की आवश्यकता तो नहीं समझी जाती है। अगर वहां के लोगों को शिकायत हो तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो उस क्षेत्र के स्थानीय एम० एल० एज़० थे उनसे भी पूछा गया था कि कितने अत्याचार काश्तकारों के ऊपर हुए और मिल मालिक के पास १,००० एकड़ से अधिक भूमि मौजूद है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एम० एल० एज़० से तो कुछ नहीं पूछा गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि सरकार ने जो इस सदन में नीति घोषित की थी कि जिन खेतों में किसानों की फसल खड़ी होगी, जब तक वह फसल नहीं काटी जायगी तब तक सरकार नहर के लिए या और इस प्रकार के कामों के लिये जमीन अक्वायर नहीं करेगी, तो उसके विपरीत कार्यवाही क्यों की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, एक्वीजीशन की कार्यवाही बहुत पहले से जारी थी। पजेशन भी जो हुआ है वह मैंने निवेदन किया कि २३ नवम्बर, १९५९ को हो चुका था और आज की स्थिति में अगर कोई झगड़ा नहीं किया जायगा तो मिल के अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वह अपनी फसल को काट लें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की भूमि ले ली गयी है और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, क्या मिल वालों से ऐसी कोई शर्त करने की कृपा करेंगे कि उन किसानों को उन मिलों में रखने के लिए प्राथमिकता दी जाय और उनके बच्चों को भी वहां एम्प्लायमेंट दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी किसी शर्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां मिलें कायम होती हैं वहां आस-पास के लोगों को रोजगार मिलता ही है।

आचार्य दीपंकर—मेरे इस कथन को सूचना मानकर कि पुलिस ने उस गांव के किसानों पर जबर्दस्त आतंक मचाया, क्या मंत्री जी इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरी सूचना है कि ऐसी कोई शिकायत जिलाधीश को नहीं की गयी, लिहाजा इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष को शिकायत हो तो लिख कर दें, तब जांच करायी जा सकती है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—क्या सरकार कृपा करके यह जांच करायेगी कि उन काश्तकारों के पास कोई दूसरा जरिया गुजर का नहीं है ? अगर यह सच हो तो उसके लिये सरकार कोई प्रबन्ध करायेगी कि उनकी गुजर के लिए कोई दूसरा रास्ता निकले ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जब कभी लैंड एक्वीजीशन में भूमि ली जाती है तो हमेशा यही परिस्थिति आती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई दूसरा रोजगार नहीं दिया जाता, मुआविजा दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि जब मिल मालिक ने इस मिल की स्थापना के लिए भूमि मांगी थी तो उसने वह आधार दिखलाया होगा कि कितनी उसकी क्षमता होगी और कितने स्पेस की जरूरत होगी, तो उस आधार पर भूमि ली गयी है या किसी और आधार पर ली गयी है, इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की कार्यवाही में लिखा हुआ है कि पहले जरूरियात को लिख कर भेजते हैं कि यहां गोदाम बनायेंगे, फिर उसकी जांच के बाद ही जो विज्ञप्ति होती है, वह निकाली जाती है।

२१ मार्च, १९६० तक आय-व्ययक पर वाद-विवाद के भाषणों का विवरण

श्री उपाध्यक्ष—कल श्री राजनारायण द्वारा इस बात की आपत्ति की गई थी कि उनकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का अवसर कम दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में मैंने जांच कराई जिससे पता चला कि बजट पर सामान्य विवाद एवं अनुदानों की मांगों पर विवाद में २१ मार्च, १९६० तक भाषणों की कुल संख्या ४४८ थी।

विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की संख्या, पार्टियों के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों की संख्या तथा उसका अनुपात निम्नलिखित है :—

पार्टी का नाम	सदस्यों की संख्या	सदस्यों का प्रतिशत	दिये गये भाषणों की संख्या	भाषणों का प्रतिशत
कांग्रेस ..	२९२	६७.९	२२५	५०.२
प्रजा समाजवादी दल	४४	१०.२	६५	१४.५
स्व० प्र० धा० स० दल	२९	६.७	२३	५.१
सोशलिस्ट पार्टी ..	२०	४.७	४९	११.०
जन संघ ..	१४	३.३	२९	६.५
कम्युनिस्ट पार्टी	११	२.६	२३	५.१
समाजवादी एकता दल	१२	२.८	२९*	६.५
स्वतंत्र ..	८	१.८	५	१.१
योग ..	४३०	१००	४४८	१००

कुल १९६ माननीय सदस्य बोले और उन सबने ४४८ भाषण दिये। विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों की संख्या इस प्रकार है :—

श्री नारायणदत्त तिवारी	३
श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल	२
श्री राजनारायण	९
राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे	४
श्री झारखंडे राय	२
श्री दीपंकर	४

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, पार्टी की संख्या को देखते हुए, अन्य दलों के अनुपात में सब से अधिक बोले हैं और उसी दल के नेता, श्री राजनारायण, ने सबसे अधिक भाषण दिये हैं—जिनकी संख्या ९ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने जो आंकड़े दिये उसमें आपने उस समय को शामिल नहीं किया जो कि कांग्रेस की तरफ से मन्त्रिगण लेते हैं। अगर इसमें मन्त्रिगण का टोटल समय मिला लिया जाय और फिर अनुपात देखा जाय तो इस प्रकार का अनुपात नहीं निकलेगा। यह अनुपात जो निकला है वह गलत है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो यह सूची पढ़कर सदन को सुनायी इस के लिए हम आप के बड़े आभारी हैं, मगर मेरा जो प्रश्न था वह दूसरा था। मैंने निवेदन किया था कि पंचायत विभाग के अनुदान पर सम्भवतः मेरे दल के एक व्यक्ति को भी नहीं बोलने दिया गया, एक मेरा प्रश्न यह था। दूसरे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि विभिन्न दलों के किन-किन नेताओं ने कितनी बार बोलने की इच्छा की और कितने दिनों तक सदन में उपस्थित रहे, उसका अनुपात बतावें तब सत्य का उद्घाटन होगा। हो सकता है कि मैं हर अनुदान पर बोलना चाहूं और हर रोज सदन में उपस्थित रहूं तो मेरी संख्या अवश्य ज्यादा हो जायगी लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि दूसरे लोगों को बोलने नहीं दिया गया और हम को बोलने दिया गया।

* इनमें श्री टीकाराम पुजारी के ६ भाषण भी सम्मिलित हैं।

श्री उपाध्यक्ष—कितनी बार कोई माननीय सदस्य खड़े हुए, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी मशीन लगाने की व्यवस्था करें जिससे इसका पता चल सके तभी, इसका उत्तर दिया जा सकता है। (बहुत जोर की हंसी)

श्री राजनारायण—आप हाजिरी देख सकते हैं कि कौन नेता कितने दिन हाजिर रहे।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन खड़े हुये या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो भाषणों की तालिका बतलायी है, आपकी बड़ी कृपा होती अगर आप यह भी नोट करके बताते कि बीच बीच में कितने विद्युत विसकी ओर से हुआ करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि इस किस्म के प्रश्न न उठाये जायं जिस से माननीय सदस्यों के मन में मनमुटाव पैदा हो।

अनुदान से सम्बन्धित साहित्य के समय से वितरण की मांग

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि विभिन्न विभागों की ओर से लाखों रुपया किताबों के छापने पर खर्च किया जाता है, मगर हर साल हमें वह साहित्य तब मिलता है जब कि अनुदान शुरू होता है और कभी उस के बाद मिलता है। नतीजा यह होता है कि माननीय सदस्य उनका कोई उपयोग नहीं कर पाते और कभी कभी कोई कांग्रेस के माननीय सदस्य उन किताबों में नोट भी रख देते हैं जोकि रद्दी में उन किताबों के साथ ही चले जाते हैं और वापिस नहीं मिलते। मैं समझता हूं कि सरकार की भी यही मंशा होती है कि हम उस साहित्य का सदुपयोग करें लेकिन हम वह कर नहीं पाते क्योंकि वह बंडल के बंडल आजाते हैं और विभागों का यह आदेश होता है कि अगर ता० २५ को उनका अनुदान है तो उसकी सुबह ही उसको बांटा जाय। इससे होता यह है कि सरकार का जो रुपया इन पर खर्च होता है वह बेकार खर्च हो जाता है और उसका लाभ कोई नहीं उठा पाता; कारण कि जो अनुदान जिस दिन रखा जाता है उसका साहित्य अगर बाद को मिले तो उसी शाम को भी उसका महत्व खत्म हो जाता है।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मुझे इस बात का दुःख है कि जो साहित्य बांटा जाता है वह समय से नहीं मिलता है। हमारी कोशिश जरूर यह रहती है कि जो लेटेस्ट सूचना मिल सके वह इन रिपोर्टों में शामिल कर दी जाय और यह भी कि वह काफी समय पहले मेम्बरों को मिल जाय; फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मुझे अफसोस है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि इस किस्म की शिकायत न हो।

१९६०--६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—वृहत् जोत-कर की उगाही पर व्यय

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोत-कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक : ४—निगम-कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर कर के अन्तर्गत २,९८,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १--वृहत् जोतकर की उगाही पर व्यय --लेखा शीर्षक : ४--निगम-कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर कर के अन्तर्गत २,९८,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता तथा अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--भू-राजस्व (मालगुजारी)

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक : ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संकलित धनराशि के अन्तर्गत ३५,१६,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--भू-राजस्व (मालगुजारी)--लेखा शीर्षक ७--भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ६,५५,८६,००० पये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इन अनुदानों के सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपने दिल से तो समझता हूं कि मैं बहुत ठीक तरह से इन्तजाम कर रहा हूं, यही मेरे दिल में खयाल है और यह सर्वमान्य है कि अपनी गलती अपने को नहीं मालूम होती, इसलिए हम ने यह सोचा है कि हम अपने माननीय मित्रों की बातें सुनें। मैं आशा करता हूं कि वे अच्छे अच्छे सुझाव देंगे, जिनसे हम को रोशनी मिलेगी, जिनके प्रकाश में हम, शासन में जो गलतियां है, उन को सुधारने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए मैं इस समय वक्त नहीं लेना चाहता। केवल माननीय मित्रों से मेरी यही प्रार्थना है कि वे ऐसे सुझाव दें जिनसे हम लाभान्वित होकर प्रगति कर सकें। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि ये दोनों अनुदान पास किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस अनुदान के लिए पुरानी प्रथा ही चालू रखी जाय। नेतागण को २०-२० मिनट और अन्य सदस्यों को १०-१० मिनट का समय दिया जायगा। अगर माननीय गेंदासिंह अधिक समय चाहते हों तो बता दें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, १० मिनट सदस्यों के लिए और १५ मिनट नेताओं के लिए रखा जाय जिससे पीछे बैठने वालों को भी समय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष--मैं धीरे-धीरे आपको भी पीछे बैठने वालों का नेता मानने के लिए तैयार हो रहा हूं। (हंसी)।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत दोनों अनुदानों में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है :--

टेस्ट वर्क में दी जाने वाली मजदूरी की कमी और उसके खोलने में पक्षपात पूर्ण नीति तथा सूखा बाढ़ के अवसरों पर प्रभावित व्यक्तियों को सहायता न दिये जाने की चर्चा करना तथा अनुदान संख्या २--भू-राजस्व (मालगुजारी) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

श्रीमन्, माननीय माल मन्त्री जी ने बहुत सादगी के साथ लेकिन प्रभावकारी ढंग से एक दो बातें कही हैं और मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि मालगुजारी विभाग की जानकारी उनको है । उन्होंने उन कमियों को शायद महसूस किया है लेकिन वह हमारा इम्तहान लेना चाहते हैं कि हमको क्या मालूम है, उन बातों को हम उनकी खिदमत में पेश करें। मैं उनके जितना अनुभवी नहीं हूं, यह पहले कबूल करता हूं। मालगुजारी विभाग का जितना अनुभव उनको है उतना अनुभव मुझे नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन दिन भर में उनको अपने अनुभवों से लाभ पहुंचाने की चेष्टा करेगा और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि उस से वे लाभ उठावेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि उनको कोई कड़ी बात भी कहे, कोई उनको चिढ़ाने की गरज से भी कुछ कहे उनके विभाग के सिलसिले में, तो वे उसके तत्व को लेंगे और वे नाराज होकर उसका खयाल नहीं करेंगे।

मालगुजारी विभाग के मुख्यतः तीन काम हैं। कुछ जमीन सम्बन्धी कानून बनाना, मालगुजारी वसूल करना और जमीन का कागज तैयार करना। इन तीनों कामों के सम्बन्ध में मैं थोड़ी बात कहना चाहूंगा। कानून बनाने के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून बनाने का काम जो पिछले १०, १५ वर्ष में जमीन सम्बन्धी हुआ है उसमें जमींदारी प्रथा के विनाश का एक बड़ा कदम है। वह बड़ा कदम था, उस बड़े कदम के आधार पर जो कुछ भी कार्यवाही हुई है, यह सोचने की बात जरूर है कि उससे किसानों का हित नहीं हुआ है, उससे किसान दिन प्रति दिन तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस पर सोच विचार करना चाहिए ।

एक तो यह बात कि प्रदेश भर में अनेक प्रकार के जमीन सम्बन्धी कानून रखे गये हैं, मैं माननीय माल मन्त्री जी का ध्यान थोड़ा-सा उस ओर दिलाना चाहता हूं। जौनसार भावर तराई क्षेत्र के लिए एक दूसरा कानून, दुद्धी क्षेत्र के लिए एक दूसरा कानून, रामपुर क्षेत्र के लिए एक दूसरा कानून, कुमायूं के लिए एक दूसरा कानून, नगर क्षेत्र के लिए कोई दूसरा कानून और सरकारी आस्थानों के लिए कोई दूसरा कानून, अब इतना तो मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के कानून हैं। इस तरह के कानून भी हैं जो जमीन जोतने वालों के हकूक को छीनते हैं, मैं समझता हूं कि उनको बदलना चाहिए ताकि जमीन जोतने वाले आदमियों को अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर करने का मौका मिले।

श्रीमन्, एक क्लेयरिंग एक्जाम्पुल जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की गलती की है। जमीन जोतने वाले को भूमिधर बनने का अधिकार दिया गया है और सीरदार जो हैं उनको भूमिधरी का अधिकार है। वह अपनी जमीन को रेहन न करके बयनामा कर सकता है। अगर रेहन करेगा तो कानून में यह गुञ्जाइश है कि रेहन जिसको करेगा उसी को वह बयनामा समझा जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह के कानून बनाने का क्या अर्थ है और क्यों इस तरह का कानून बनाया गया है कि एक आदमी भूमिधर है जो इस उम्मीद में अपनी जमीन को रेहन लिखना चाहता है कि आगे चल कर उसके बाल बच्चे रुपया देकर अपनी जमीन वापस ले लेंगे, उसे सरकार की तरफ से मजबूर किया जाता है कि या तो वह बयनामा करे या अगर रेहन लिखता है तो उसे बयनामा समझा जायगा, आखिर इसका क्या अर्थ है ? हो सकता है कि माननीय माल मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ न गया हो।

श्री हुकुमसिंह : विसेन—कब्जे वाले रेहन को बयनामा का रूप दिया गया है।

श्री गेंदासिंह---ठीक है, मैं यह नहीं कहता कि वह जमीन सरकार को चली जायगी। सीरदार के लिए यह कानून है कि अगर कोई रेहन लिखता है तो वह जमीन से बेदखल हो जायगा और वह जमीन गांव समाज को चली जायगी। श्रीमन्, आप समझें कि जब कर्जा देने का बन्दोबस्त हो सकता है तो वहां पर कर्जा लेने के लिए रेहन लिखने की प्रथा है। जिस जिले से मन्त्री जो आते हैं वहां वह पता लगायें तो उन्हें मालूम होगा कि लाखों आदमी इस तरह के कर्ज

लेते हैं और रेहनदखली लिखते हैं, उसमें आज इतना जुल्म हो रहा है कि फर्जी कागजात तैयार हो रहे हैं और तहसीलों में उसके कारण भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना है और हजारों किसान बेदखल किये जा रहे हैं, जो हमारी हमदर्दी के पात्र हैं। ऐसे कानून में जितनी जल्दी हो सके हमें परिवर्तन करना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि उनकी यह तकलीफ रफा हो जाय।

प्राकृतिक आपदाओं के विषय में मैं कहूंगा कि जो नियम अंग्रेजों के जमाने के बने हुए चले आते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो है भी वह भी ठीक तरह से लागू नहीं है, जो ८ आने से ज्यादा के नुकसान की बात है वह फैसला और गिनती का जो हिसाब है वह आना पाई कभी ठीक नहीं हो पाता, मालूम नहीं कितनी बार इसकी सदन में चर्चा हुई कि फसल खराब होती है लेकिन कलक्टर के यहां से हमेशा नीचे से ८ आने से कम का ही नुकसान दिखाया जाता है, अजीब बात है कि कभी भी ८ आने से अधिक नुकसान नहीं होता, किसान की कमर टूट जाती है लेकिन नुकसान कभी ८ के नजदीक भी आने पाई में नहीं आता।

अब माननीय मन्त्री जी ने कुछ कलेक्टरों को संकेत किया है लेकिन फिर भी अगर छूट देनी होती है और ८ आने से अधिक नुकसान दिखाया जाता है तो छूट वगैरा का तमाम काम बढ़ जाता है, इसलिए नीचे से ऊपर तक पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर सब इस बात की चेष्टा करते हैं कि यह नुकसान ८ आना से अधिक न बढ़ जाय चाहे किसान की कमर क्यों न टूट जाय। इसका प्रबन्ध ठीक से होना चाहिए। इस बार ही देवरिया में, गोरखपुर में मैंने देखा है और बस्ती के भी कुछ भाग को देखा है। वहां रबी की फसल बरबाद हुई है और ८ आने और दस आने बरबाद हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि माननीय माल मन्त्री ने पत्थर गिरने वाले क्षेत्रों का जिक्र किया है, इसलिए पत्थर के नुकसान से आगे किसी अधिकारी की आंख दूसरी जगह नहीं जायगी। श्री उग्रसेन जी ने सवाल भी किया कि सरकार बताये कि वहां की क्या कैफियत है लेकिन मैं समझता हूं कि फसल इतनी बरबाद हुई है कि किसान को कुछ राहत मिलनी चाहिए। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि प्राकृतिक क्षति के नियम और रिलीफ देने का कानून जरूर परिवर्तित होने चाहियें।

अब मैं वसूली के कार्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अव्वल तो इस विभाग के द्वारा भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की वसूली का काम होता है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर बड़ी आय वालों का जो आय-कर है वह इस विभाग द्वारा उनसे कितना वसूल किया गया और पिछले साल में इस विषय में विभाग की क्या कारगुजारी रही। मेरी तो यह जानकारी है कि जितने बड़ी आय वाले आयकर अदा करने वाले हैं उनकी मालगुजारी वसूल करने में सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गयी है, यह मैं इन्कम टैक्स की बात कहता हूं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया जाता है। मेरा कहना है कि जितने भी ऐसे बड़ी आय वाले लोग हैं उनके साथ रियायत की जाती है, मैं ठीक तो नहीं बता सकता हूं लेकिन जिन मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया बकाया है उनके ऊपर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाती है।

चीनी मिलों के मालिकों पर आज ५ साल का केन सेस का रुपया बकाया पड़ा है लेकिन आज तक किसी की कमर में कलेक्टर ने रस्सी नहीं कसी कि रुपया दो, लेकिन हजारों काश्तकारों की कमर में कुर्क अमीन रस्सी कस कर पैसा वसूल कर रहे हैं। जब यह बुकलेट छापी जाय तो उसमें कम से कम यह सूचना चाहिए और यह बताया जाय कि इस देश में न्याय के नाम पर बड़े लोगों के साथ क्या हुआ। क्या उनके साथ सख्ती की गयी? और हम लोगों के साथ जो सख्ती होती है उसको भी सुन लें।

मैं स्वयं भुक्तभोगी तो नहीं हूं लेकिन मेरे भाई पर वारन्ट जारी किया गया और अब भी ऐसी खबर है, किस वजह से है, यह मैं नहीं कह सकता। मैं तो मालगुजारी देने में नादेहन्दगी नहीं करता और मैंने तो घर पर कह रखा है कि मालगुजारी देने में कभी भी विलम्ब नहीं

[श्री गेंदासिंह]

होना चाहिए। मुझसे हो सकता है कि तहसीलदार नाराज हों लेकिन जो लाखों आदमी हैं उनसे तो नाराजगी नहीं हो सकती फिर भी उनको बगैर वारन्ट के गिरफ्तार किया जाता है और उनके माल की कुर्की की जाती है। कलेक्शन अमीन सादा कागज लिये, जिस पर तहसीलदार के दस्तखत होते हैं, घूमता है और जिस वक्त किसी ने उसे रेजिस्ट किया वहीं उसका नाम भर कर दिखा दिया कि यह देखो, तहसीलदार का वारंट है। तो कोई उससे झगड़ा नहीं करता, लोग डर जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आज मारपीट, बेइज्जत करना, कुर्की करना, गिरफ्तार करना जारी है। मैं पूरे सूबे के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन अपने यहां के १०-२० गांवों के उदाहरण दे सकता हूं जिसकी जांच होनी चाहिए।

अभी मैं देवरिया में सुन कर आया हूं। बड़े लोगों पर तो कलेक्टर सख्ती नहीं करता, मिल मालिकों पर आज भी कन सेस का ५ करोड़ पया बकाया है जबकि कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि साल ब साल वह रकम पूरी की पूरी वसूल हो जानी चाहिए; और दूसरी तरफ गरीब किसानों को इस तरह सताया जाता है।

कलेक्टर के ऊपर लार्ज लैन्ड होल्डिंग टैक्स की भी जिम्मेदारी है। जो किताब हमें मिली है उसको देख कर आश्चर्य होता है। १३६५ फसली में ८६,५०,००० रु० असेस हुआ लार्ज होल्डिंग टैक्स का, जिसमें से वसूल हुआ ४८,९३,००० रु०। १३६६ फसली में ६९,९४,००० रु० असेस हुआ और वसूल हुआ २०,६९,००० रु०। १३६७ फसली में १,४०,९६२ रु० असेस हुआ, उस में से वसूल हुआ केवल १३२ रु०। तो १३६५ फसली में जो रकम ८६,५०,००० रुपया थी वह १३६७ फसली में १,४०,९६२ रु० रह गयी, जब कि अभी सीलिंग फिक्स नहीं हुई, तो लार्ज होल्डिंग खत्म तो हो नहीं गयी फिर इस टैक्स की रकम कैसे कम हो गयी और उस में से भी १३२ ० ही वसूल हुआ? आखिर सार्वजनिक कोष पर यह डाका कहां पड़ा और कौन इसके जिम्मेदार हैं? इसके विपरीत मालगुजारी की बकाया का अनुपात बहुत ही कम है।

एक बात वसूली के सिलसिले में और कहनी है। बड़ी चर्चा थी कि जमींदारी प्रथा अबालिश करने के बाद पंचायतों को यह काम सौंपेंगे। ३९८ पंचायतों के जिम्मे वसूली का काम किया गया और इन पंचायतों में कोई किसान गिरफ्तार नहीं हुआ, फर्जी वारन्ट पर बेइज्जत नहीं किया गया तो फिर क्यों न बड़े पैमाने पर यह काम पंचायतों को दिया गया? क्या वजह है कि इनको न देकर कुछ ऐसे लोग रखे जाते हैं जो यह समझते हैं कि किसान उनके गुलाम हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि वसूली के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी जब जाता है तो वह यह नहीं समझता कि वह अपने आका से रुपया वसूल कर रहा है, बल्कि वह यह समझता है कि मैं पुराने जमींदार का बेटा हूं। जैसे पुराना जमींदार किसान को अपने जूते के नीचे रखना चाहता था उसी तरह से वह अपने को उसका वारिस समझता है और वह यह समझता है कि किसान उसके जूते के नीचे रहने वाला है। इस जहनियत के बदलने की बड़ी आवश्यकता है। अगर यह जहनियत नहीं बदलती है तो हमारी सारी कार्यवाही बेकार है, सारे कर्मचारी बेकार हैं। अगर उनकी जहनियत बदलने में ठाकुर साहब कामयाब हो सकें तो बड़ा भारी काम वह कर देंगे।

भूमि सम्बन्धी कागजात के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। जमींदारी अबालीशन के बाद जमीन का रकबा बढ़ गया। लेकिन उस जमीन का पता नहीं चला कि वह जमीन कहां से आयी। यह बात लम्बी है, इसको छोड़ देता हूं। इन्तखाब देने का काम लेखपाल करता है। ठाकुर साहब दौरा करने जायं तो सभाओं में यह पूछें कि इन्तखाब का क्या भाव है। उनको कहीं सुनने में नहीं मिलेगा कि जो रेट सरकार ने तय कर रखा है उस रेट पर इन्तखाब किसान को मिलता है। ८ आने, ४ आने की बात तो छोड़ दीजिये, अगर १ पये में भी इन्तखाब मिल जाय और ठाकुर साहब उसे दिला दें तो मैं उनको बधाई दूंगा। ५०, २५, २० रुपये में इन्तखाब मिलता है और ५ पये से कम तो सुनना वह पसन्द हो नहीं करता। अगर एक रुपये पर ठाकुर साहब उसे दिलवा दें तो मैं समझूंगा कि बड़ा भारी काम हो गया।

थे, जिनके पास १०० बीघा कच्चा है या १५० बीघा कच्चा है, ऐसे किसानों को यदि वे ४, ५ जगह थे, तो उनको एक जगह लाने की कोशिश की जाती है। इससे एक किसान जो ४, ५ जगह बिखरा हुआ था, वह एक जगह जरूर इकट्ठा हो जाता है परन्तु इससे १०,२० बीघा वाले छोटे छोटे किसान, न जाने कितनी तादाद में वे होते हैं, उन्हें अपनी जगहों से खदेड़कर दूर फेंक दिया जाता है। इसकी वजह से वे लोग परेशान हैं। आपके विभाग की डाइरेक्टिव के मुताबिक यह हो रहा है।

जहां तक मुमकिन हो, चक एक हो परन्तु पहले छोटे किसानों का चक एक होना चाहिये। उनका चक होने के बाद उनकी सुविधा को देखते इस बात की सम्मति देना चाहिये। जैसा कि पहले था वैसा ही उनको एक जगह जमा किया जाना चाहिये। बाद में दूसरे बड़ी होल्डिंग वाले किसानों को एक चक मुहैया किया जाना चाहिये। यह बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। लेकिन उनकी ही कीमत पर छोटे किसानों को उखाड़ना यह अपनी जगह पर गलत होगा। नई डाईरेक्टिव का नतीजा यह होगा कि छोटे किसान अपनी जगह से उखड़कर कहीं दूर पहुंच जायेंगे और बड़े किसान छोटे किसानों की अच्छी जमीन अपने अधिकार में कर लेंगे। मैं समझता हूं सरकार इस पर विचार करे।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुकदमों का फैसला जो किया जाता है उनमें बहुत समय दिया जाता है जिसके कारण बहुत अव्यवस्थित-सा वह मामला हो जाता है। उस समय जब चकबन्दी कानून लागू होता है तो भूमि सम्बन्धी अन्य तमाम कानून सस्पेन्ड हो जाते हैं और उस सस्पेंशन का नतीजा यह होता है कि चकबन्दी करते समय जितने अख्तियार हैं वह सब नायब तहसीलदार के पास कान्सेन्ट्रेट हो जाते हैं वह और अन्ततः उनका निर्णय अन्तिम हो जाता है और जमीन सम्बन्धी विवादों का निर्णय करते समय हाईकोर्ट तक जाने की बात उसके दिमाग में नहीं रहती है। किसी कांपिटेन्ट एजेन्सी के हाथ में वह मामला जाने के बगैर ही तहसीलदार के आदेश के ऊपर जब निर्भर करता है तो जितनी गम्भीरता से उसको अपनी उन चीजों की छानबीन करनी चाहिये, वह नहीं कर पाता है। इससे मैं समझता हूं कि किसानों के साथ बहुत अन्याय होता है।

यह बात जरा बड़ी है और पता नहीं माननीय माल मन्त्री इस पर क्या सोचेंगे मगर मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक चकबन्दी कानून को लागू करने की बात है वहां पर दूसरे जमीन सम्बन्धी कानून आटोमेटीकली सस्पेन्ड करके अदालत के सारे के सारे रास्ते बन्द करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द मुकदमों का निर्णय हो जाय और जल्दी से चकबन्दी का काम पूरा हो जाय लेकिन इसकी वजह से जो एक मद और अहंकार पैदा होता है सी० ओ० और ए० सी० ओ० के दिमाग में, कि उनका निर्णय अंतिम होता है, यह गलत है। यह अंतिम निर्णय मैं इसलिये कहता हूं कि कलेक्टरों को धारा ४८ के अनुसार रिवीजन सुनने का अधिकार है, लेकिन वह कुछ सुनते नहीं हैं और इस प्रकार अंतिम निर्णय उन्हीं लोगों का होता है। उसका प्रकाशन भी नहीं होता। जब उसके ऊपर अपील करने का, आब्जेक्शन करने का अख्तियार नहीं है तो उसके प्रकाशन करने का भी प्रश्न नहीं पैदा होता।

कलेक्टर अपने अख्तियार को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। चकबन्दी का काम सेटिलमेंट अफसर भी करता है, लेकिन एस० डी० एम० के दूसरे काम भी करता है और इस तरह से उसे अधिक समय रहता नहीं और सारा का सारा काम सी० ओ० और ए० सी० ओ० को ही करना पड़ता है और इस प्रकार उनके फैसले अंतिम होते हैं। सारे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जजों के बड़े से बड़े अधिकार नायब तहसीलदार तक ही समाप्त हो जाते हैं और वह जिस प्रकार लापरवाही से काम करता है उसका अनुभव पुराने चकबन्दी के क्षेत्रों का जिनको अनुभव है, वे सभी जानते हैं, उनको है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार

[आचार्य दीपंकर]

को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि जो कम्प्लीकेटेड और डिस्प्यूटेड प्वाइंट्स हैं उनका फैसला करने के लिये कोई ऐसा प्राविजन किया जाय कि वे लोग दूसरी अदालतों तक भी जा सकें और वहां पर उनका निर्णय का पुनर्विचार कराया जा सके।

एक बात मैं आप से अर्ज करूं कि चकबन्दी कर्मचारी ऐसे रास्ते ढूंढ़ते रहते हैं कि जिनमें उनको ज्यादा झंझट न हो और वे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर सकें और अपना व्यक्तिगत कैरियर भी बना सकें। इसके लिये मेरा अनुभव हर जिले का, जहां भी मैं गया हूं, यह है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं क्षेत्र के, वे उनको अपने कांफीडेंस में लेकर काम करते हैं और ये प्रभावशाली व्यक्ति, जिनका प्रभाव कई बार प्रापरटी का होता है, कई बार उनका संबंध पुलिस से होता है या वे सरकार के ज्यादा विश्वासपात्र होते हैं, उनसे संबंध कायम कर जब चकबन्दी कराते हैं तो आमतौर पर जनता उसमें नुकसान उठाती है और यह थोड़े से लोग उसका फायदा उठाते हैं। मेरठ, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ का यही अनुभव है और मैं समझता हूं कि जो वहां के माननीय सदस्य बोलेंगे वे इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। चकबन्दी विभाग से यह आदेश है कि आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया जाय लेकिन बजाय इसके, जनता के नाम पर वे कुछ लोगों के इंफलूयेंस में रहते हैं और उनके इंटरेस्ट में ही चकबन्दी का काम करते हैं।

मैं सरकार से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस चकबन्दी विभाग में जो चकबन्दी एडवाइजरी कमेटी बनायी गयी है वह स्वागत के योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे जनता को जो दिक्कतें हैं उनको वेंटीलेट होने का मौका मिल जाता है और भूतपूर्व माल मंत्री जी ने जो यह कदम उठाया था, मैं समझता हूं कि हमारे नये माल मंत्री जो उसको और १० कदम आगे बढ़ायेंगे। लेकिन इसके साथ ही चकबन्दी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने के लिये विशेष रूप से एक समिति होनी चाहिये ताकि आम जनता को जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत है, उनको रद्दी की टोकरी में न फेंका जा सके और वह समिति उनको सुने और उन पर कार्यवाही करे।

इसी तरह से मैं चकबन्दी के संबंध में और बातें न कह कर एक बात चकबन्दी कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और इतनी ज्यादा हैं कि जमीन, जो किसान को सबसे ज्यादा अजीज है, चकबन्दी कानून लागू होने पर उनके हाथ में चली जाती है। उनका वेतन, डी० ए०, टी० ए०, उनको रहन-सहन की सुविधायें और उनका स्थायित्व, ये सब ऐसे प्राब्लम्स हैं कि जो उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। निस्संदेह सरकार की जो आर्थिक पोजीशन है, वह सीमित है। लेकिन जिस प्रकार की जिम्मेदारी का काम हम उनसे लेते हैं उसके लिये हमें उनको कुछ सहूलियतें देना चाहिये। सरकार को उनकी सहूलियतों की तरफ ध्यान देना चाहिये। खास तौर से जब कि यह मुहकमा अभी २०–२५ वर्ष और चलने वाला है। तो जो कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी कर देना चाहिये।

आखिरी एक बात यह कहना चाहता हूं जिसकी ओर बराबर इस सरकार का ध्यान दिलाया गया है। दो सगे भाई वाकई अपनी जमीन को जोतते हैं—मैं अपने भाई की जमीन का शिकमी हूं, और यह परम्परा हर जिले में, हर तहसील में, है। जमीन उसकी है जो उसे विरासत के रूप में अपने बुजुर्गों से मिली है, लेकिन हर जगह लगान चौगुना अदा करना पड़ता है। बार-बार सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। पता नहीं सरकार क्या सोचती है? इस कानून में यह तरमीम होनी चाहिये और जो इस तरह की दिक्कत है इसे दूर करना चाहिये।

एक आखिरी बात मैं अलाभकर जोत वालों के संबंध में और कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। जो भी किसान ढाई एकड़ के जोत वाले हैं उन पर पूर्णतया लगान माफ होना चाहिये।

*श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, यह माल का मुहकमा सबसे पुराना और सबसे बूढ़ा मुहकमा है, इसकी उम्र सबसे ज्यादा है। मेरा यह कहना गालिबन गलत न होगा कि अगर मैं यह कहूं कि यह मुहकमा एक ऐसा मुहकमा है जिसने हिन्दुस्तान की कोई सरे जमीन ऐसी नहीं है जिसकी मिट्टी को चलनी लेकर छाना न हो। हमें यहां के मिजाज को नजर में रखना होगा, अपने काश्तकारों के मिजाज को नजर में रखना होगा। हम यह देखते हैं कि हमारे काश्तकार जितना एक तहसीलदार को अच्छी तरह जानते हैं, उससे जितनी अच्छी तरह वाकिफ हैं; एक पटवारी से, लेखपाल से, डिप्टी कलेक्टर से जितनी अच्छी तरह वाकिफ हैं, उतने अन्य किसी अफसरों से नहीं। जो अभी हाल ही में कायम हुये, जैसे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट वगैरह, इनसे वे वाकिफ नहीं है क्योंकि यह नये मुहकमें हैं।

यह जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इस पर हमारे काश्तकारों की नजर बहुत आसानी से पहुंचती है। इंजीनियरिंग विभाग है इसको लोग जानते तक नहीं। इस विभाग ने अपने मुहकमें के सामने एक अजीब-सा खौं खौं खड़ा कर दिया है। वह गरीब जानता ही नहीं कि यह क्या बला है? इससे सड़क दुरुस्त की जायेगी सड़क कूटी जायेगी, या क्या होगा, यह वह जानता नहीं। हमारे यहां इतनी साइन्स की तरक्की नहीं हुई है जिससे कि वह इन सब चीजों से वाकिफ हो। आज की साइन्स से वह वाकिफ है नहीं। अगर तहसीलदार कोई गलती करता है, लेखपाल कोई गलती करता है, तो वह उनकी शिकायत कर सकता है; लेकिन और मुहकमों में जो बुराइयां होती हैं, उनको वह इतनी आसानी से नहीं कह पाता है। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब यह होता है कि जहां तक बुराइयों का ताल्लुक है कोई खास बात इस मुहकमे की बुराइयों के मुताल्लिक नहीं कही गयी।

करप्शन कोई मोनोपोली इस मुहकमे की नहीं है, वह तो एक इंटरिम पीरियड है जिससे हम गुजर रहे हैं—गुलामी के जाने और आजादी के आने के बाद। इसमें मेरे सभी भाई इत्तफाक करेंगे कि क्राइसिस आफ कैरेक्टर यह है और यह बिला सोशल सर्विस के दूर नहीं हो सकता। जब्र करके, लाठी से, कानून-साजी से करप्शन दूर नहीं हो सकता; हो सकता है, लेकिन किसी हद तक, वक्ती तौर पर; लेकिन वह हिन्दुस्तानियों का मिजाज नहीं बन सकता है। वह क्राइसिस आफ कैरेक्टर सोशल सर्विस से ही दूर हो सकता है जिसमें ट्रेजरी बेंचेज को ही नहीं, बल्कि अपोजीशन की हर पार्टी को, सारे मुल्क को लगाये जाने की जरूरत है।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुए।)

और सही तौर पर यह अहसास करने की जरूरत है। अब वह जमाना आया है कि अगर हम अपने को बचाना चाहते हैं तो हमारा इखलाकी फर्ज होता है कि यह आवाज लगाना छोड़ दें कि लाओ; बल्कि हमारा फर्ज होना चाहिए कि "दो", कुर्बानी करो, पैसा अपनी जेब से निकाल कर अपने भाई पर खर्चा करो बजाय इसके कि भाई की जेब से निकाल कर अपने ऊपर खर्च करो। अपने हर डिपार्टमेंट आफ लाइफ को बदलना होगा, बिला इसके वह इस्लाह नहीं हो सकती है जिसकी बार-बार जरूरत होती है। इसलिए कि पुरानी कद्रें, वैल्यूज, बदल चुकी हैं, नयी वैल्यज आ रही हैं और यह सोशल रेवोल्यूशन जो हुआ है उसमें यह चीज लाजमी है कि रिश्वत-सतानी हो, करप्शन हो। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए।

मैं गेंदासिंह जी की बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर एक लेखपाल इन्तखाब करे, जिससे काश्तकार को तकलीफ होती हो तो कानून बना हुआ है, कि एक दरख्वास्त ४ आने के टिकट लगाकर दे दें; अगर फिर भी उसकी तकलीफ रफा नहीं होती है तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, और दूसरे जो असर-अन्दाज लोग हैं उनके पास जाता है, शिकायत करता है। वह शिकायत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उबैदुर्रहमान]

किसी हद तक रफा हो पाती है, लेकिन पूरे तौर पर रफा नहीं हो पाती है, इससे हम अपनी आंख नहीं बन्द कर सकते हैं। गुजारिश यह है कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है। यह त्रुटियां, यह खामियां, यह कमजोरियां, ये नकायस अपनी जगह पर हैं और यह अन्डरस्टेंडेबिल है कि हर कौम व मुल्क में इस दौर में ये चीजें रही हैं और अगर हममें स्टैमिना है, हममें सोचने और समझने की सलाहियत मौजूद है तो यह दूर होकर रहेंगी। तो मैं समझता हूं कि जिस रफ्तार से हम इन खराबियों को दूर कर रहे हैं वह ऐसी नहीं है कि हमें शरमिन्दा होने की जरूरत है। यह सही है कि हमें बहुत कुछ करना है, जिसकी तरफ इशारा हमारे विरोधी दल के लोगों ने किया है। मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। ऐसी हालत में मैं दो-तीन बातों की तरफ मोहतरिम मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा।

एक तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बहुत-सी दफात का कानून है और जैसा कि इसकी तरफ इशारा किया गया कि सुबह को कुछ तरमीम आयी, दोपहर को कुछ और शाम को फिर एक तरमीम आयी और फिर उस तरमीम में तरमीम आयी। गरज कि एक अनसरटेंटी है और काफी उसकी एक गुंजायश है, और मजबूरी इसलिये है कि कोई ऐक्ट बनता है सौ, दो सौ, चार सौ, दफात का, तो एक तो वह इतना बड़ा कानून और फिर उसके रूल्स और रूल्स के पैराग्राफ और फिर हमारे बदलते हुये हालात, हमारी बदलती हुई पसन्द और बदलती हुई नापसन्द। जमींदारी और काश्तकारी के ताल्लुकात टूटे, नये ताल्लुकात पैदा हुए, कुछ जमीन जोती हुई और कुछ बगैर जोती हुई और फिर मुख्तलिफ सरजमीन, तो यह जो तमाम एडजस्टमेन्ट्स हैं यह होंगे और इनकी जरूरतें पड़ेंगी। यह अलामत इस बात की नहीं है कि कानून बनाने वालों में कोई कमजोरी हो या उनकी जहनियत में कोई खराबी हो। हो सकता है उसमें १९-२० किया जा सकता होता, दोपहर के बदले शाम को तरमीम हुई होती। लेकिन आपको देखना यह है कि जो तरमीमात किये गये वह अपनी जगह पर कैसे रहे। उनसे हम एक कदम आगे बढ़े या आगे नहीं बढ़े। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम जरूर आगे बढ़े हैं।

बिलखुसूस कचहरियों में जो इसका अमलदरामद होता है, मुकदमात जाते हैं उसका कुछ तजुर्बा मैं रखता हूं। इस सिलसिले में मैं मोहतरिम वजीर साहब से निहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जमींदारी अबालिशन रूल्स की एक मखसूस दफा ११५ (सी) है, जिसमें तहसीलदार को यह अख्तियार दिया गया है कि अगर गांव समाज की सम्पत्ति, उसकी जमीन या और दीगर जायदाद पर कोई हमला करे या नुकसान पहुंचाये; और वह नुकसान ऐसा न हो जिसे उसी शक्ल में पूरा किया जा सके तो तहसीलदार को यह हक दिया गया है कि वह उसमें तावान लगा सकता है और उस तावान की कोई हद मुकर्रर नहीं है, वह पांच सौ भी हो सकता है और ५ लाख भी हो सकता है। चुनांचे तजुर्बे में ऐसे केसेज आये कि तहसीलदार ने १० हजार का तावान लगा दिया या ५ हजार लगा दिया लेकिन फिर उसकी कोई अपील आगे प्रोवाइडेड नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि उसके अपील के प्राविजन की जरूरत है।

आज एक जो मुंसिफ है वह ५ हजार से ज्यादा का फैसला नहीं कर सकता जिसकी कि शुरू से कानून समझने की और उसके जहन की ट्रेनिंग होती है इन्साफ करने के लिये, उसके भी आगे सिविल जज और इसी तरह से दूसरी अदालतें हैं लेकिन तहसीलदार का वह फैसला फाइनल होता है। यह एक लैकुना है जिसकी तरफ मैं मन्त्री जी की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उसमें इस तरमीम की जरूरत है इसलिये उसमें अपील का प्राविजन कर दिया जाय।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस तजवीज की ताईद में खड़ा हुआ हूं और जो इसके दलायल पेश किये गये हैं उन सब से इत्तफाक करता हूं। मैं सिर्फ चन्द बातें और कहना चाहता हूं। इस कानून माल के इतिहास से यह नतीजा निकलता है कि यह नाकिस रहा और अब भी इसमें नुकायस हैं। अगर मैं यह कहूं तो बेजा न होगा कि पहले के मुकाबले में यह कानून ज्यादा नाकिस है। मैं चन्द बातें पुराने और मौजूदा कानून का मुकाबला करते हुए दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जो तरीका

वसूलयाबी है वह इतना कड़ा कर दिया गया और उसमें वह बातें बढ़ा दी गईं यानी इजाफा किया गया जो पुराने कानून में नहीं था। मसलन पहले कानून में सरकारी मतालबे में किसानों की गिरफ्तारी होती थी। मानता हूं, लेकिन जैसी उधर से आवाज आई कि वाकयात बदले, वक्त बदला, खयालात बदले, इस तौर से उसमें भी तरमीम हुई कि मतालबे सरकारी में किसानों की गिरफ्तारी नहीं की जायगी लेकिन आज जमींदारी कानून के खात्मे के बाद गिरफ्तारी तो होती ही है लेकिन उसके साथ-साथ कुर्की भी होती है और दोनों प्रोसेस साथ-साथ चलते हैं।

मौजूदा कानून के ज्यादा सख्त होने की एक दलील यह भी है कि पहले कानून में किसान के आलात कश्ना, वरजी व खेती करने वाले मवेशी, मवेशियों के रहने के मकान कुर्क व नीलाम नहीं हुआ करते थे, ये मुस्तसनियात थीं। आज की जमाना जबकि दौरे जम्हूरियत का हम दावा करते हैं और कहते हैं कि अखलाक और तहजीब अगर आई है तो आज के ही जमाने में आई है, तो ऐसे जमाने में किसान की गिरफ्तारी मेरे नजदीक बहुत ही बेजा है। जब सरकार के पास और तरीके मौजूद हैं, और जबकि किसान की चल और अचल सम्पत्ति को कुर्क कर के सरकारी मतालबा वसूल हो सकता है, तो ये दोनों प्रोसेस आज इन्साफ पर मबनी नहीं है। इससे उनके जमीर पर बहुत बड़ा वजन पड़ता है। जब हम चर्चा करते हैं कि जेलों में चक्की की मेहनत व मशक्कत खत्म कर दी जाय, तो फिर इस कानूने-माल में गिरफ्तारी क्यों मौजूद है ?

अब मैं आपके जरिये वजीरे-माल की तवज्जह मसले माफियात की तरफ दिलाना चाहता हूं। जालाबारी और फ्लड्स में माफी होती है। लेकिन इनके अलावा और भी कुदरत की जानिब से आफते आती हैं, मस्लन खुश्कसाली, फसल में बीमारी या पाले का पड़ना; लेकिन इन सूरतों में किसान को मालगुजारी में कोई माफी नहीं मिलती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, मिलती है।

श्री रघुराजसिंह चौधरी—ऐसा आज तक तो नहीं देखा गया कि पाला पड़ा हो और माफी दी गई हो। जैसा उधर से भी कहा गया कि जब माफियात के नक्शे बनाये जाते हैं तो कोशिश यह की जाती है कि ८ आने से कम नुकसान दिखाया जाय और वह इस वजह से कि ८ आने से ज्यादा नुकसान पर ही माफी होती है और उसका भी सिर्फ कुछ प्रोपोर्शन। अलावा इसके, अनइकोनामिक होल्डिंग्स पर लगान की छूट, जिसके लिये यह सरकार कमिटेड है, आज तक उन पर लगान चला आ रहा है। उनके साथ यह साफ वायदा था कि जिन जोतों में कोई मुनाफा नहीं होगा, और जो छोटी-छोटी जोतें हैं, उनका लगान हमेशा के लिये माफ किया जायगा। लेकिन वह लगान आज तक कायम है। मैं खास तौर से छोटे किसानों की तरफ सरकार को उसके उस वादे की याद दिलाना चाहता हूं और उसकी बिना पर जायज मतालबा करता हूं कि वह इस पर गौर करे और जल्द से जल्द उनकी परेशानी को रफा करे। छोटे छोटे किसानों की आज हालत यह है कि वे अपनी पैदावार का ८० फीसदी तो शिकमपुरी में, यानी अपने खाने में, इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ २० फीसदी उनकी फसल बाजार में जाती है जिसमें उनकी शादी, गमी, तालीम, बीमारी और जिन्दगी की सभी जरूरियात शामिल हैं। ऐसी हालत में मेरी यह दलील काबिले तस्लीम है कि उनके लगान में जल्द से जल्द माफी देकर उन्हें रिलीफ पहुंचाया जाय।

हैरत की बात मुझे एक और नजर आ रही है कि हमारी हुकूमत को कायम हुये काफी अर्सा हो गया, और जैसा उधर से बतलाया गया कि यह महकमा बहुत ही अहमियत रखता है। जमीन के एक-एक जर्रे को इसने छाना है और एक-एक इंच की पैमाइश की है लेकिन आज तक, एक ही गांव में एक ही किस्म की जमीन पर मेंड़ मिलती है दो खेतों की, दो शरहें मौजूद हैं। आज तक, इसके लिये कुछ भी नहीं किया जा सका है। जैसा बतलाया गया, जब कोई मर जाता है तो उसकी विरासत के लिये कितनी तवालत उठानी पड़ती है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे इस बयाने सदाकत पर यकीन भी होगा या नहीं कि दाखिल-खारिज के मुकदमात में बड़ी-बड़ी रिश्वतें ली जाती हैं।

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

इस करप्शन के बारें में काफी जिक्र हो चुका और आज से नहीं बल्कि अरसे से । अभी मेरे दोस्तों ने बड़े जोरदार अल्फाज में बतलाया लेकिन आज तक इसका दफैया हमको नजर नहीं आया। अगर यह बीमारी कुछ भी कम होती तो तसल्ली हो सकती थी लेकिन ज्यों-ज्यों दवा की जाती है, बीमारी बढ़ती चली जाती है; या तो हमारी इस तरफ काफी तवज्जह नहीं है या हमारे अन्दर वह आराम-तलबी आ गई है कि हम इस बात की जरूरत को महसूस ही नहीं करते कि हम को गरीबों की तकलीफ दूर करनी है ताकि करप्शन को बन्द करें । यही दिक्कत दाखिल-खारिजों में और गलत इन्दराजों में है । गलत इन्दराजात अभी मौजूद हैं हालांकि अरसे से इस बारे में अहकामात जारी किये जा रहे हैं और पूरी मशीनरी भी मौजूद है । लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है ।

ये चन्द नकायस मैंने आपके जरिये सरकार के सामने रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इन का खातिरख्वाह जवाब ही नहीं मिलेगा बल्कि मैं आइन्दा मसर्रत के साथ उनको मुबारकबादी पेश कर सकूं, यह मौका भी सरकार मुझको देगी ।

इस तरफ से यह भी कहा गया कि जमींदारी खात्मे के बाद जो हम मसमझते थे कि किसानों को नफा होगा, वह नहीं हो सका । किसी ने कहा है :

"खैर भूले नहीं वह मेरी वफाओं को जल्द,
यह गनीमत है कि जौर अपने उन्हें याद रहे ।"

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी को तथा सहायक मंत्री जी को, जो ला-ग्रैजुएट हैं, धन्यवाद देता हूं और जो प्रगति, वे इस प्रदेश में माल विभाग द्वारा ला रहे हैं, उसके अनेक अंशों पर मैं सन्तोष प्रकट करता हूं । इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब माननीय गेंदा सिंहजी ने अपने भाषण में माल विभाग के ऊपर यह आपत्ति की कि वह सीरदारों को रहन व कब्जा देने का अधिकार क्यों नहीं देता है । मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चहता हूं कि सारी जमींदारी विनाश की भूमि-व्यवस्था ही इस बात पर निर्भर है कि कोई अपना खेत स्वयं जोत सकता है, जुतवा नहीं सकता । यदि भूमिधरों को कोई अधिकार रहन और कब्जे के दिये जाते और सीरदारों को न दिये जाते तब तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन सारे जमींदारी विनाश कानून की आधारशिला ही यही है कि कोई अपने खेत को जोतने के लिये दे नहीं सकता है सिवाय अक्षम (डिसएबिल्ड) लोगों के । आगे यह कह दिया गया कि सीरदारों को अधिकार दे दिये जायं । पता नहीं किस स्वप्नलोक में है । क्या आप सारे जमींदारी विनाश के कानून को उल्टा करना चाहते हैं ?

दैवी आपत्तियों के बारे में कहा गया कि ८ आना ही छूट दी गई है, ज्यादा होनी चाहिये । लेखपाल छूट कम लिख देता है । मुझे दुःख है कि मेरे मित्र ने कानून का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया, क्योंकि सारा जमींदारी कानून ही मैन्युअल्स पर बना हुआ है । उन्होंने कोई सुझाव भी नहीं दिया कि छूट की गणना किस प्रकार से की जाय । क्या उनकी इच्छा और सर्वतंत्रमय स्वतंत्रमय दृष्टि से उसकी गणना की जाय, जो कह दिया जाय वही कर दिया जाय । इसलिये ऐसी कोई बात कहने से पूर्व माल विभाग के कानूनों को भलीभांति से अध्ययन कर लेना चाहिये । मेरा तो विश्वास है कि अगर कोई उनको पढ़ कर नहीं आयेगा तो माल विभाग पर बोल नहीं सकता है । किसी पोलीटिकल स्लोगन की दृष्टि से इस पर बहस नहीं की जा सकती ।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब-जब माननीय मंत्री जी दौरे पर गये हैं वे कुछ न कुछ सस्पेंड कर देते हैं । अगर आप कानून को पढ़ कर देखें तो आपको मालूम होगा कि यह भी कानून के विरुद्ध होता है । उनको भी विधि विधान का तरीका फालो करना चाहिये । हर एक चीज प्रतिबंधित है । मैं अंग्रेजों की प्रशंसा तो नहीं करता लेकिन उन्होंने सब हिसाब लगा रक्खा था कि यदि पाला पड़े तो ८ दिन के अन्दर उसकी जांच होनी चाहिये । इस प्रकार की जो

मैन्युअल बनी हुई है वह भी आज देखी नहीं जा रही है । इस प्रकार से एक भ्रमपूर्ण रूप से चला जा रहा है । मैं प्रार्थना करूंगा माल मंत्री जी से कि माल विभाग के कानूनों का सिंहावलोकन एक कमेटी के द्वारा करायें और ऐसा प्रबंध करें जिससे सारा काम विधि-विधान से हो।

लगान वसूली के बाबत लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में कुछ धारायें हैं जिनके अनुसार जिलाधीश वसूली कराता है । उसमें कितनी सहानुभूति करनी चाहिये, यह जिलाधीश के ऊपर निर्भर करता है । मैं नहीं समझता कि उसमें किस प्रकार से पोलिटिकल स्लोगन्स के द्वारा शैथिल्य लाया जा सकता है । देते वक्त के लिये कोई पार्टी नहीं कहती कि जो दे सकते हैं उनको लगान देना पुण्य कार्य है । जिन लोगों के पास कर देने को है, उनको भूमि करों को आसानी से दे देना चाहिये, ऐसी विचारधारा का प्रचार नहीं किया जाता है । जैसे रोड सेंस के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब बात उठाई जाती है । इस प्रकार की छोटी-मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था कानून से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ । मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं । एक सज्जन ने कहा कि अधिवासी को सीरदार बना देने की बात क्या जल्दबाजी की बात नहीं हुई । तो जहां तक इसका प्रश्न है कि हमने जो भी सुधार किये हैं धीरे-धीरे किये हैं और जिस रास्ते पर चले हैं वह सुन्दर और कल्याणकारी है, हमें उधर जाना चाहिये था ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब चकबन्दी के बारे में माननीय दीपंकर ने प्रशंसा की । जब वे खड़े हुये तो मैं समझा कि वे चकबन्दी की आलोचना करेंगे लेकिन उन्होंने मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की । आर्बीट्रेशन बेसिस की उन्होंने आलोचना की । उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसमें चकबन्दी अधिकारियों का कोई दोष नहीं है बल्कि उसके लिये इस विधान सभा के सदस्य दोषी हैं, क्योंकि जब चकबन्दी का कानून सदन के सामने आया तो उसमें आर्बीट्रेशन का प्राविजन था जिसे यह कह कर निकाल दिया गया कि इससे बहुत विलम्ब हो जायगा और जैसे पुराने बंटवारे के मुकदमे में डिप्टी कलेक्टर को अधिकार था कि वह धारा १०९ और १११ के सिविल कोर्ट के प्रश्न को हल करता था उसी आधारशिला पर हमने यहां पर भी प्रापर्टी के प्रश्न को, टाइटिल के प्रश्न को, सामने रखा और अपील व रिवीजन का अधिकार कमिश्नर को दिया ।

अभी थोड़े दिन हुये इस सदन ने मुक्तकंठ से उसे स्वीकार किया और फिर गो बैक करे और आर्बीट्रेटर के प्राविजन को लावें तो यह उचित नहीं होगा । हां, विलम्ब इसमें होता है, पहले भी होता था लेकिन हमने सोच समझ कर विलम्ब करने वाला कानून बनाया है । इसमें चकबन्दी विभाग कुछ नहीं कर सकता है । बहुत सोच समझ कर अनुभव प्राप्त करके और परिणाम को सामने रख कर ही इस पर विचार किया जाय । अब तो जमीन के कई वर्गीकरण हो गये हैं । अब ए० सी० ओ० व सी० ओ० वह नहीं रहे जो पहले थे । अब जो जमीन का १६ आने, १४ आने व १२ आने में वर्गीकरण कर दिया गया है और उसका अधिकार गांव में रहने वाली चकबन्दी कमेटी को है, अब वह चकबन्दी कमेटी जाग्रत न हो तो बात दूसरी है। उसमें जीवन प्रदान कीजिये नहीं तो एक आशंका हो सकती है । बहुत अंशों में तो जमीन का सुधार कर लिया गया है । देर भले ही लगे लेकिन ७०, ७५ फीसदी में चक बन गये हैं ।

यद्यपि पूर्वी जिलों के अन्दर सबसे बड़ा भय था क्योंकि वहां जड़हन के खेत, गोंडैत खेत आदि दो-तीन प्रकार के होते हैं। वहां एक चक लगने में आशंका थी लेकिन अगर मूल्य ठीक लग जाय और मुरब्बा ठीक बन जाय तो जौनपुर व बस्ती जिले में एक चक से भी किसान सन्तुष्ट हो जाने वाले हैं । आगे की बात भगवान् जाने । पर जल्दी में जो कानून लाया गया है वह उद्देश्यपूरक प्रतीत होता है । इस वक्त चकबन्दी का जो सेक्रेटरिएट गोमती बन्धों पर है उसकी मैं थोड़ी प्रशंसा करता हूं कि उसने हजारों दृष्टि से अपने विभाग को देखा है । अब रही उसके शासन की कला, उससे मुझे सन्तोष नहीं है लेकिन जहां पर माल विभाग की प्रशंसा की बात है उसकी अवश्य प्रशंसा करता हूं । जमींदारी विनाश के बाद जो रेकार्ड्स में गलतियां थीं,

[श्री रामलखन मिश्र]

लेखपालों के समय न मिलने के कारण या किसी कारण से रेवेन्यू न लिख पाये हों, जो भूमिधरी के खेत थे वे सीरदारी में दर्ज किये गये हैं या दर्ज ही न किये गये हों, सन् १९५९ की खतौनी से लेकर सन् १९६२ तक की जो खतौनी है उसमें भूलें रह गई हों, उनको सरकारी रेकार्ड के अनुसार, चकबन्दी के जरिये दुरुस्त कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश की रेवेन्यू भी बढ़ रही है और यह प्रशंसा की बात है ।

कम्पेनसेशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार अपने किसी कानूनगो को वहां न रखे जो उसी तहसील में पहले रहा हो, या जिसको नायब तहसीलदार बना दिया जाय या जिसकी इन्टेग्रिटी पिछले दस साल में सर्टिफाइड रही हो, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। यद्यपि गवर्नमेंट प्रेस का भी दोष है लेकिन फिर भी सरकार का कार्य थोड़ा-सा सन्तोषजनक ही प्रतीत होता है ।

*श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार पेश कर रहा हूं । माल मंत्री महोदय की ओर से दुर्भिक्ष सहायता के लिये १९५८-५९ में १करोड़ ४४लाख रुपया रखा गया था, १९५९-६०में ९८ लाख रुपया रखा गया था लेकिन इस वर्ष कुल४५लाख की रकम ही रखी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष भी काश्तकारों की ओला और कम वर्षा से बहुत हानि हुई है । पिछली बार भी जब माननीय मंत्री जी ने नुकसान के बारे में बयान दिया था तो माननीय मंत्री जी बहराइच के रहने वाले हैं उन्हें पूर्वी जिलों से ज्यादा मोहब्बत है, पच्छिमी जिलों के बारे में उन्होंने अपने बयान में कुछ नहीं कहा । शाहजहांपुर में सूखा, हवा और बेवक्त की बारिश से फसल खराब हुई, पिछली बार होली से पहले वहां वर्षा हुई लेकिन माननीय मंत्री जी ने शाहजहांपुर के बारे में कोई बयान नहीं दिया। वहां के किसान बड़ी मुसीबत में हैं, अमीन वसूली करने में जबरदस्ती और ज्यादतियां करते हैं, अभावग्रस्त क्षेत्र में जाकर वह बैल खोलकर जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं इसलिये मंत्री जी हमारे जिले के किसानों का खयाल रखें । वैसे ही लोग सूखे से परेशान थे जो फसल हुई थी वह भी बरबाद हो गई । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह कृपा कर शाहजहांपुर जिले के लगान स्थगित करने की कृपा करें और मुसीबतजदा काश्तकारों को तकावी आदि की सुविधा देने की कृपा करें ।

साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि भू-राजस्व की वसूली के प्रशासन में खराबियां बढ़ रही हैं । आप इस वसूलयाबी या उगाही के लिये पौने २ करोड़ रुपया खर्च करते हैं । अगर वह चाहते हैं कि हम विकेन्द्रीकरण की ओर आगे बढ़ें तो मेरा सुझाव है कि यह रुपया ग्राम सभाओं को अनुदान के रूप में दिया जाय और वह इस मालगुजारी की वसूली करें तो कम से कम चौखम्भा राज्य के आधार पर गांव की जनता भी इसको समझे कि राज्य कार्य में हमें भी हिस्सा मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाय तो वसूलयाबी तो बेहतर होगी ही साथ ही गांव सभाओं को कुछ आय भी हो सकेगी और सरकार की जिम्मेदारी भी कम हो जायगी। लेकिन सरकार सारे काम अपने हाथ में ले लेना चाहती है इससे परेशानी बढ़ती है और कोई काम ठीक नहीं हो पाता। मेरा सुझाव है है कि प्रजातंत के आधार पर जो सोशलिस्ट पार्टी का चौखम्भा राज्य का सिद्धान्त है उसके अनुसार ग्रामसभाओं को यह वसूलयाबी का कार्य देने की कृपा करें।

साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने आज तक कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया। सोशलिस्ट पार्टी इस बात की मांग करती है कि अलाभकारी जोतों से लगान हटाया जाय। सरकार जानती है कि सवा ६ एकड़ जमीन लाभ कर नहीं है और अगर वह उससे लगान हटाती है तो केवल १० करोड़ रुपये की हानि होगी और उससे लगान ८० प्रतिशत किसानों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का माफ हो जायगा। अगर ऐसा किया जाय तो इससे एक बड़ा असर किसानों के दिमाग पर पड़ेगा कि हमें सरकार ने कुछ राहत दी है, और हमारी गरीबी को दूर करने के लिये एक कदम उठाया है। केवल १० करोड़ रुपये का घाटा है और जो १३३ करोड़ रुपये के बजट में प्रशासन में किफायत करने से पूरा किया जा सकता है।

चकबन्दी कानून के बारे में मेरा यह सुझाव है कि जहां काश्तकार चकबन्दी न चाहे वहां न की जाय क्यों कि इससे बड़े-बड़े काश्तकार ही फायदा उठा रहे हैं, छोटे काश्तकार नहीं। चकबन्दी-कर की वसूलयाबी सरकार इकट्ठा करती जा रही है क्यों कि सरकार का कहना है कि हम पिछले सालों की जमांबन्दी नहीं बना पाये हैं इस लिये लगान नहीं वसूल कर पाये हैं। तो इस तरह जो रकम इकट्ठा हो रही है इससे किसानों पर भार पड़ जायगा, वैसे ही वह टैक्सों के बोझों से दबे हुये हैं। इसलिये चकबन्दी कर को इकट्ठा नहीं करना चाहिये। बल्कि मैं मैं तो कहूंगा कि चकबन्दी-कर को काश्तकारों पर नहीं लगाना चाहिये। अंग्रेजी शासन में जिस प्रकार जमीन के बन्दोबस्त का टैक्स किसान से नहीं लिया जाता था उसी तरह से चकबन्दी का टैक्स भी किसानों से नहीं लेना चाहिये।

इसी तरह से कोई भी लगान ठीक तरीके से कागजात में इन्दराज करने पर ज्यादा गौर नहीं किया है। मैं मिसाल के लिये कहता हूं कि शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद परगने में शिवपुरी इकोने में मैंने देखा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनमें एक ही परिवार के लोगों को एक दूसरे के नाम अधिवासी भर रखा है; असली काश्तकार से भी लगान वसूल होता है और अधिवासी से भी। इस तरह से दुगना, चौगुना लगान वसूल किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एक ही परिवार के अलग-अलग नाम अधिवासी और सीरदारी में भर कर काश्तकारों पर जुल्म न ढायें।

सरकार कागजात का बन्दोबस्त करती है तो जहां लगान बढ़ जाता है उसको तो छूट नहीं देती है और जहां काश्तकार का लगान सर्किल रेट से घट गया उसको बढ़ा देती है। ऐसा नहीं करना चाहिये। शाजहांपुर में ऐसे सैकड़ों केसेज हैं असली मौरूसी काश्तकार पर १० रुपया लगान है लेकिन कागज पर ४० रुपया रख दिया। काश्तकार हाकिम परगना के यहां जाता है कि हमारे ऊपर बहुत लगान है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जहां सरकार काश्तकारों से इस बात की तवक्को रखती है कि वे अदालत में जायं वहां सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार का आदेश होना चाहिये कि वे अपनी ही तरफ से उनकी दिक्कतों को दूर कर दें जिससे किसान को सहूलियत हो सके।

हमारे जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र में अभी तक लगान स्थगित नहीं किया गया है और न उनको तकावी वगैरह दी गई है। अमीन ज्यादती करता है और जबरदस्ती लगान वसूल करता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि पहले ही वह अभावग्रस्त क्षेत्र था और इस पानी के बरस जाने से अफीम की काश्त बिलकुल बरबाद हो गई। दो बार पानी बरसा और दो बार अफीम बरबाद हो गई, धुल गई। तो इस तरह से चारों तरफ से काश्तकार के ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई है। शाहजहांपुर जिले की तरफ मंत्री जी ज्यादा तवज्जह करेंगे और अपने अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में तकावी का इन्तजाम किया जाय, लगान मुल्तवी किया जाय और लगान माफी का हुक्म दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान का सम्बन्ध सीमा प्रदेश के किसानों से ही केवल नहीं है बल्कि गांव की समस्त जनता से है इसलिये इसके महत्व के सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं। मुझे संतोष है और इत्मीनान है कि इतना अहम महकमा माल का हमारे वयोवृद्ध नेता और मंत्री ठाकुर हुकुम सिंह पर है जो तजरबे से भरपूर हैं और पब्लिक की शिकायत को बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और तत्परता से उनका निवारण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे अपनी छाप अपने महकमे के कर्मचारियों पर भी पूरी तरह से डालेंगे।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

भूमि व्यवस्था में जो तरमीमें इस प्रदेश में शुरू हुईं, उसका पहला कानून जमींदारी उन्मूलन ठाकुर साहब ने ही इस आदरणीय सदन में पेश किया था और वह ऐसे अच्छे वक्त में तथा ऐसे अच्छे शकुन से पेश किया गया था कि भूमि व्यवस्था की जो तारीफ इस प्रदेश की है उसका यदि अवलोकन किया जाय तो हमें गर्व होता है । मुझे खुशी है कि भूमि-व्यवस्था की करीब-करीब सभी स्कीमें समाप्त होने जा रही हैं सिवा चकबन्दी योजना और सीलिंग के कानून के । ये ही दो योजनाएं हैं जिनको ठाकुर साहब को पूरा करना है ।

भूमि व्यवस्था से जहां पैदावार बढ़ती है और उससे हमारा सोशल आर्डर एक निश्चित रूप का बनता है वहां भूमि व्यवस्था से जो तरमीमें होती हैं उनसे नुकसान भी होता है । नुकसान यह है कि इससे काश्तकारों के दिलों और दिमागों के अन्दर एक अनिश्चितता आती है । उनको इत्मीनान नहीं रहता कि अगले वर्षों में कौन-सा परिवर्तन आयेगा जिससे वे अपने खेत की उन्नति तथा खेती की पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेते । इसलिये मेरा अनुरोध है कि चकबन्दी योजना जितनी जल्दी इस प्रदेश में पूरी कर सकें, करें । इसके बाद सरकार की ओर से ऐलान होना चाहिये कि आने वाले १०-२० वर्षों में हम भूमि व्यवस्था में कोई तरमीम नहीं करने जा रहे हैं ताकि किसान इतमीनान के साथ भूमि पर उन्नत साधनों के साथ मेहनत कर सके और अपने खेत की पैदावार बढ़ा सके ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि लगान वसूल करने की जो दरें हमारे प्रदेश में हैं वे यूनीटरी बेसिस पर हैं, काश्तकार चाहे लाभकर जोत जोतता हो या अलाभकर जोत जोतता हो, चाहें बड़े-बड़े फार्म्स का सवाल हो वह जमीन की किस्म के हिसाब से लगान देता है । हम वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं । वेलफेयर स्टेट के मानी हैं कि जो बेरोजगार है उनको हम रोजगार देने का प्रयास करते हैं । दूसरे मुल्कों में जहां साधन पर्याप्त मात्रा में हैं वहां अनएम्प्लायमेण्ट पेंशन तक देते हैं । लेकिन जब हमारे वित्तीय साधन सीमित हैं तो हमको लगान वसूल करने के लिये स्लैब सिस्टम कायम करना चाहिये ।

जो लोग अलाभकर जोत जोतते हैं और अर्द्ध बेरोजगारी के शिकार हैं उनके खेतों की पैदावार कम होने का एक कारण यह भी है कि उनकी खेती वित्त पोषित अच्छी तरह से नहीं है । फिर अब अगर हम उनके लगान के रूप में कुछ पैसा ले लेते हैं तो हम उनके वित्तीय साधनों को और भी अधिक सीमित कर देते हैं और इससे उनकी पैदावार घटती है । इस प्रकार अलाभकर जोतों के कृषकों से लगान लेना न न्याय संगत ही है और न उत्पादन में वृद्धि के ही हित में है । मेरा मारूजा यह है कि उन लोगों से जो, इस प्रदेश में अनइकोनामिक होल्डिंग जोतते हैं, लगान न वसूल किया जाय और उस कमी को स्लैब सिस्टम द्वारा इकोनामिक होल्डिंग वाले और बड़े-बड़े काश्तकारों के लगानों से पूरा किया जाय । इस तरह से खेती की पैदावार बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी ।

चकबन्दी योजना जिस रूप में हमारे प्रदेश में आज की जा रही है उसमें और कोआपरेटिव फार्मिंग की योजना में मुझे तसादुम मालूम होता है । आज अगर ५-६ आदमी मिल कर कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहें तो उनके खेत फिर से बिखर जायेंगे । जाहिर है कि उनको जहां-जहां जितने चक मिले होंगे कोआपरेटिव फार्मिंग करने पर उनके उतने ही खेत हो जायेंगे । इसलिये ऐसा करना चाहिये जिससे कोआपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा मिले और उसके फलस्वरूप चकबन्दी नष्ट न हो । समय कम है, मैं थोड़े में ही कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के जितने अनइकोनामिक होल्डिंग वाले काश्तकार हैं उनको हर हार में चक एक तरफ सटे हुये मिलना चाहिये । कोआपरेटिव फार्मिंग सदैव एक साइज के काश्तकारों में होगी और सब से पहले हमारे प्रचार के स्वरूप यदि इस प्रदेश में कोआपरेटिव फार्मिंग आयेगी तो वह अनइकोनामिक होल्डिंग वाले काश्तकारों में ही आयेगी । और इसकी वजह है । अलाभकर जोत वाले जितने काश्तकार हैं खेती उनकी जिन्दगी का पेशा नहीं बल्कि तरीका बन गया है । लेकिन उनके लिये यह बहुत ही परेशानकुन पेशा और तरीका जिन्दगी का है ।

उनके पास साधन नहीं हैं । उन साधनों को इकट्ठा होकर ही जुटाने में उनको निश्चित रूप से सहूलियत मिलेगी । उनकी आमदनी बढ़ेगी, खर्च घटेगा । इसलिये चकबन्दी योजना में यह भी आवश्यक है कि अनएकोनामिक होल्डिंग वाले काश्तकारों को हम हर हार में एक तरफ इकट्ठा कर दें और हर-हार में एकही Sequence में उन्हे रखें । ऐसा करने से न केवल एक हार में उनके चक इकट्ठा हो जायेंगे बल्कि हर हार में इकट्ठा हो जायेंगे । मुझे आशा है कि इस पर आदरणीय मंत्री महोदय गौर करेंगे ।

चकबन्दी योजना के बारे में सरकार की एक नयी स्कीम है कि अब वह चकों के कोनों पर पत्थर लगाने जा रही है । इसमें मुझे एतराज है । चकबन्दी योजना का खर्च पहले से ही काफी ज्यादा है । पत्थर लगाने से वह खर्च और बढ़ जायेगा । जहां चकों के बहुत से कोने हैं वहां पर आपको बहुत से पत्थर लगाने पड़ेंगे । आज किसानों की ऐसी आर्थिक अवस्था नहीं है कि वह इन पत्थरों का खर्चा दे सकें । जाहिर है कि ये पत्थर सीमेंट कांक्रीट के होंगे । टूटने के पश्चात् इनका कोई इस्तेमाल गावों में नहीं होने का । जहां तक मेंड़ों के झगड़ों का सवाल है, तो जो काश्तकार मेंड़ तोड़ सकता है वह पत्थर को भी हटा कर दूसरी जगह लगा सकता है । मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस योजना को बन्द कर दें ।

एक शब्द मैं वसूलयाबी लगान के सम्बन्ध में और अर्ज करूंगा । लगान की वसूलयाबी में असुविधायें जमींदारों के जमाने में थीं आज कुछ इस तरह की सहूलियत होनी चाहिये जिससे कश्तकार यह महसूस करे कि लगान की वसूलयाबी में अब वह असुविधायें बाकी नहीं रह गई हैं । दिसम्बर या मई के बाद गांव के जितने भी काश्तकारों पर बकाया लगान रह जाता है वे सब बकायेदार करार दे दिये जाते हैं और गांव सभाओं के प्रधानों से फर्जी अंगूठे लगवा लिये जाते हैं और इस तरह की व्यवस्था कायम की जाती है कि कोई भी काश्तकार कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है । श्रीमन्, मैंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी में देखा है कि गांव के प्रधान जंगल से पकड़ कर बुलाये गये हैं और हवालातों में बन्द कर दिये गये हैं । प्रधान इत्यादि की गांव समाज में इज्जत है, उनसे लगान वसूल करने में सरकारी कर्मचारियों को जरूर उनकी इज्जत बकरार रखनी चाहिये । इसके अलावा लगान की फेहरिस्त काफी गलत होती है । उस ओर ध्यान देना चाहिये और लगान वसूल करते समय इस बात का ब्योरा होना चाहिये कि यह लगान उसके कौन कौन से खेत और खाते का है । केवल एक रकम होती है जो मांगी जाती है और वह किसी किस्म का ब्योरा बताने के लिये तैयार नहीं होते हैं । इतना ही नहीं जो काश्तकार फर्जी या शिकमी दर्ज हैं उनके लगान में भी बढ़ोत्तरी हो गई है । उन लोगों से लगान वसूल किया जा रहा है जिन्होंने उस जमीन को कभी जोता भी नहीं है । इसलिये मेरी मारूजा है कि पहले दुरुस्ती कागजात करा ली जाय फिर रकम वसूल की जानी चाहिये ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, मुझे चन्द बातें आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करनी है । आज हमारे क्षेत्र में परगना बूढ़ापार, सादुल्लानगर तहसील उत्तरौला है । वहां के काश्तकारों ने दरख्वास्त दी कि दस-साला का रुपया है ? उसमें रुपये को लगान में मुजरा किये जायं । १८ मार्च, १९५९ को मैंने स्वयं दरख्वास्तें दीं जिनकी रसीद मेरे पास मौजूद हैं । लेकिन आज तक उनका रुपया लगान में मुजरा नहीं हुआ और न उनकी जमाबन्दी में दुरुस्ती की गई । उनको बराबर परेशान किया जा रहा है और उनके वाउचर्स नहीं मिल रहे हैं । मैंने इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से भी कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसे आदेश दें कि उनके वाउचर्स तुरन्त दे दिये जायं ।

दूसरी शिकायत यह है कि जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ है तभी से काश्तकारों से सरकार द्वारा लगान वसूल हो रहा है । मैं प्रमाण के तौर पर कह रहा हूं कि एक वहीद खां ग्राम केशव नगर के हैं । उन्होंने अपना लगान १३६० फ० से दिया है और उसकी रसीद

[श्री रघुराज बहादुर सिंह]

भी मौजूद हैं । लेकिन फिर भी उनसे बकाया वसूल किया जा रहा है और उनके नाम में बकाया दर्ज है । इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं जिनके बारे में तहसीलदार, उत्तरौला को दरख्वास्त दी गयी पर अब तक उन काश्तकारों की जमाबन्दी नहीं ठीक की गई । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह की अनियमितताओं की दुरुस्ती तुरन्त होनी चाहिये और तब तक उन काश्तकारों से लगान की वसूली न हो ।

श्रीमन्, जो जमीन भूदान में दी गई उसकी निशानदेही अब तक नहीं की गई है और जो लेखपाल हैं वह बिना अपना शुल्क लिये, जाने के लिये तैयार नहीं हैं । ऐसी हालत में काश्तकारों पर लगान पड़ रहा है जब कि उनको जमीन पर कब्जा अब तक नहीं मिला है । दौलतपुर ग्रांट और केशव नगर ग्रांट तथा क्षेत्र के कई गांवों का वाकया है । वहां पर काश्तकार परेशान हैं । इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको जमीन पर कब्जा मिल जाय ताकि वह लगान देते रहें और इस समय जो उनसे लगान मांगा जाता है रोक दिया जावे ।

आज रेवेन्यू मैनुअल और तकावी के कानून में परिवर्तन होने की अत्यंत आवश्यकता है। यह बहुत पुराने हो गये हैं और अंग्रेजी जमाने के बनाये हुये हैं। जहां हमारे माल मंत्री जी ने रेवेन्यू के अन्य कामों में सुधार किया है वहां इनमें भी सुधार करें। आज पैदावार की जांच के लिये फसल का जो नक्शा बनाया जाता है उसको लेखपाल या कानूनगो बना देते हैं, वही सही माना जाता है । यह ठीक नहीं है । मेरा निवेदन है कि जिस समय यह नक्शा बनाया जाय तो उस पर गांव के पंच और प्रधान की तस्दीक कराई जाया करे कि आया यह सही है और किस तरह से नुकसान हुआ है। सिर्फ उन लोगों के लिख देने से लोगों की बरबादी होती है । रेवेन्यू मैनुअल में है कि पहले गांव का नुकसान, फिर परगने वार और तहसीलवार और अन्त में जिलेवार नुकसान का नक्शा बनता है तब उस क्षेत्र के नुकसान के परते का नक्शा बनता है। यह दुर्व्यवस्था हटाई जाय और प्रत्येक गांव के नुकसान के आधार पर ही छूट दी जाय ।

श्रीमन्, आज हमारे क्षेत्र में बड़े-बड़े बाग कट रहे हैं और फर्जी परमिट बन रहे हैं। जिला अधिकारियों से कहा जाता है लेकिन वह कोई ध्यान नहीं देते । पता नहीं परमिट कैसे लेते हैं। उसमें शर्त होती है कि जो बाग काटेगा वह लगायेगा । इसलिये इसकी जांच हो कि कितने बाग कटे और कितने उन बाग भूमि पर पेड़ लगाये गये। आज इस प्रदेश में करीब ६० लाख एकड़ भूमि काश्त के काबिल है। उसके लिये कोई खास व्यवस्था रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने नहीं की है, बल्कि अब जमीन पर सीलिंग लगाने की व्यवस्था की जा रही है । सीलिंग में मेरा खयाल है कुल ५ लाख एकड़ जमीन मिलेगी। इसके लिये सरकार को पांच, छः करोड़ रुपया मुआवजे में देना पड़ेगा । सीलिंग केवल देहाती क्षेत्रों पर लगायी जा रही है, शहरों के अन्दर इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, हालांकि जमींदारी अबालिशन और भूमि-व्यवस्था कानून बनाते समय यह आश्वासन दिया गया था कि और भी चीजों को नेशनलाइज किया जायगा। अतः मैं चाहूंगा कि जो शहरों में कई मकान रखे हुए हैं या बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, उनके ऊपर भी सीलिंग लगायी जाय और उनकी चीजों का भी वितरण किया जाय । यह सीलिंग की स्कीम, चीन वगैरह में लोगों के जो डेलिगेशन गये, उन्होंने वहां से आकर कहा कि यह बड़ी अच्छी चीज है, उसी का यह परिणाम है । मैं आपकी आज्ञा से मार्शल टीटो ने १५ जून को लेविइन में जो बयान दिया है, उसके कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं---

"Marx Engles and Lenin would turn in their graves if they knew what was happening in China."

श्रीमन्, जब कम्युनिस्ट कंट्री का प्रधान यह बात चीन के लिये कह रहा है तो वहां की चीजों को लेकर भारतवर्ष में चलाना कहां तक मुनासिब है ? यह सोचने की बात है ।

चन्द शिकायतें और हैं । वह मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । मेरे यहां एक करोड़पति नाम का लेखपाल है . . . . .

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य अगर नाम न लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह––मैं नाम वापस लेता हूं । दौलतपुर गेंट का एक लेखपाल है । वहां के किसानों ने इस के खिलाफ शिकायतें कीं, उसने रुपया ले लिया और खेतों को गलत तौर से तरमीम किया है , इसके बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जांच करवाएं और जहां के खेतों को गलत तरमीम किया है वह वहां पर ठीक हो जाय । वह दरख्वास्तें S. D. O. उतरौला के पास मौजूद हैं ।

अब मैं चकबन्दी के विषय में निवेदन करना चाहूंगा । चकबन्दी की स्कीम हमारे जिले में तरबगंज तहसील में चलायी गयी है । लोग इसके खिलाफ हैं । कुछ माफिक भी हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जिस गांव या क्षेत्र के ७५ फीसदी किसान यह न चाहते हों कि हमारे गांव में चकबन्दी की जाय वहां पर वह स्कीम लागू नहीं की जानी चाहिए ।

आज यह जो आये दिन भूमि-व्यवस्था कानून में संशोधन किये जा रहे हैं उससे किसानों में बड़ा असंतोष फैला हुआ है । किसी को यह पता नहीं है कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी या नहीं । इससे अन्न उत्पादन में और बड़ी बाधाएं पैदा हो रही हैं । इसलिए सरकार को चाहिए कि एक ऐसी स्कीम बनाये जिसमें १०, २० साल तक एक ही व्यवस्था हो, और उसमें किसी किस्म का परिवर्तन न किया जाय । जब भूमिधरी का कानून बना था तो कहा गया था कि किसी भूमिधर के पास से जमीन नहीं निकाली जायगी । अभी हाल में सी० एल० आर० डी० स्कीम सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है । उसके अन्दर भूमिधरी खातों पर जो काबिज हैं उनका अलग खाता बनाने का आदेश हुआ है । इस स्कीम के अन्दर अब उनकी जमीन निकल रही हैं । जो भूमिधर हैं । यह बड़े काश्तकारों की जमीनें नहीं हैं । ये छोटे-मोटे काश्तकारों की जमीनें हैं, जिन्होंने अपनी बसर औकात के लिये अपनी जमीन जबानी रेहन कर दी थी या बटाई पर दे दी थी । आज लेखपाल द्वारा पड़ताल करवा कर वह जमीनें भी उनसे निकाली जा रही हैं । मैं चाहूंगा कि इन जमीनों को उनसे न निकाला जाय ।

जो सवा ६ एकड़ के या इसके कम के खाते हैं उनका लगान आधा कर देना चाहिये क्योंकि छोटे-छोटे खातों से किसान को ज्यादा फायदा नहीं है । वह अलाभकर जोते हैं । इसलिये उनका लगान आधा किया जाय । आज जो खेतों के लिये मुआवजा सरकार निर्धारित किये हुए है वह बाजार भाव से बहुत कम है । फैक्ट्री बनाने के लिए, नालियों के लिए, नहरों तथा और कामों के लिए जो जमीन सरकार द्वारा ली जाती है उसका मुआवजा सौ रुपया और दो सौ रुपया एकड़ दिया जाता है जबकि गांवों में एक हजार या डेढ़ हजार रुपया एकड़ के हिसाब से उसका भाव होता है । मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके से जो मुआवजे की मौजूदा व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए । शहरों की जमीन और मकानों के मुआवजे के लिये तो कांस्टीट्यूशन में भी निर्धारित है । लेकिन किसान की जमीन के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं है । इसलिये उनके लिये भी जो जमीन पर आधारित हैं अपनी जीविका के लिये, कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनको उसका उचित दाम मिल सके । यह दो तरीके की व्यवस्था और दो तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिये कि एक तरफ शहर वालों को और कारखानेदारों को तो उचित मूल्य मिले लेकिन दूसरी तरफ किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य न मिले । अतः मेरा सुझाव है कि खेतों का मुआवजा कम से कम २,००० फी एकड़ हो । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ताकि जनता का कल्याण हो ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल) ––अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का हृदय से स्वागत करता हूं और जिस तत्परता और चतुरता और सुन्दरता से माल मंत्री जी हमारे

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस विभाग का नेतृत्व करते चले आये हैं, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु मुझे इतना अवश्य खेद है कि जमींदारी एबालीशन जो कि उत्तर प्रदेश के प्लेन्स के हिस्से में हो चुका है वह कानून अभी तक हमारे पहाड़ों के लिये नहीं बना और वह बार-बार टलता ही चला जा रहा है। मैं यह आशा करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं माल मंत्री जी से कि इस जमींदारी उन्मूलन बिल को बहुत जल्दी इस सदन में पेश किया जाय और उसको पारित कर दिया जाय क्योंकि इस कानून के इस हाउस में देर में पेश किये जाने के कारण वहां के टेनेन्ट्स को बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं और बहुत से टेनेन्ट्स की जमीन को उनसे निकाला जा चुका है।

माननीय बलदेव सिंह जी खुद इस बात को जानते हैं और उन्होंने पहाड़ के इलाके का दौरा किया है। वहां पर जितने गरीब लोग थे जो उनकी टेनेन्सी होल्डिंग्स थीं उनसे उनके हिस्से दारों ने उन गरीबों को महरूम कर दिया और कब्जा बेदखल कर दिया। मैंने सरकार से बहुत पहले यह प्रार्थना की थी कि ऐसे एक्सट्रीम केस में जहां कि बहुत गरीब लोग हैं जो कि अपनी जमीन के लिये अदालत में मुकदमे दायर नहीं कर सकते, न तो उनके पास पैसा है, न उनके पास कोई गवाह है और उन गांवों के जितने ठाकुर और पंडित हैं वह उन गरीबों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देते और कोई भी उनके मुकदमों में सहायता करने वाला नहीं मिलता, ऐसी हालत में मैंने सरकार से दरख्वास्त की थी कि कुछ ऐसे स्पेशल आफिसर्स तजुर्बेकार होने चाहिए जिनको कि Summary powers for restoration of the land (समरी पावर्स फार रेस्टोरेशन आफ दी लैन्ड) हों, उनको इस तरह के हुक्म करने की पावर्स हों।

परन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने इस तरह की कोई भी तजवीज हमारे इस सदन में पेश नहीं की जिससे कि उन गरीबों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाया जा सके। जहां तक कि सेटिलमेन्ट आपरेशंस पहाड़ के इलाकों में हुए हैं वहां पर उन गरीबों की जमीन उनसे निकाल ली गई है। इसके लिये मैं नहीं समझ पाया कि अब इस सदन के द्वारा और कौन सी ऐसी तजवीज हो सकती है जो कि रेगुलर सूट्स के द्वारा उन टेनेंसी होल्डिंग्स के बारे में डिक्री कराकर उन जमीनों पर अपना कब्जा करा देते हैं। मुझे खेद है कि अगर इस बिल के लाने में देर न होती तो इस कदर उन गरीबों को इन मुसीबतों का सामना न करना पड़ा होता। अब मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पेश करने में और पास कराने में अधिक देर न की जाय।

इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि पहाड़ के इलाके में एक जो नयाबाद कानून पास हुआ है उससे जंगलों के ऊपर और बहुत बड़ा प्रहार हुआ। और नई जमीनें कुछ पहाड़ों पर दी गईं जिससे पहाड़ों के ऊपर लैन्ड स्लाइड और इरोजन बड़े पैमाने पर हुए। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्लेन्स में बड़े फ्लड आये और खेती की बरबादी हुई। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार यहां की जमीन को बचाना चाहती है तो उनको अवश्य एक कदम आगे बढ़ाना होगा और पहाड़ों पर ऐसी चीजों को आगे से करना बन्द करना होगा जिससे लैन्ड स्लाइड बन्द हों और प्लेन्स में फ्लड का अधिक आना बन्द हो और जमीन जो बिलकुल खत्म हो जाती है वह भी बन्द हो सके।

इसी के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जो पापुलेशन एक्सेस हो गई है उसका भार जमीन पर इतना ज्यादा हो गया है जिससे जमीन के अन्दर वह ताकत नहीं रह गई है कि वह उस पापुलेशन को पैदा करके खिला सके और उसका गुजर-बसर कर सके। उस पापुलेशन को तराई-भाबर के इलाके में जमीन दी जाय जिससे वह उस जमीन को काटकर कोलोनाइज करे। मैं दरख्वास्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस तरह की स्कीम को अपने हाथ में लेना चाहिये जिससे एक्सेस पापुलेशन को मदद पहुंच सके ताकि मैदान में और पहाड़ों में जो नुकसान होता है उससे बच सके।

इसके साथ ही साथ मैंने कई बार इस सदन में सरकार से यह प्रार्थना की थी। कि कैले-मिटीज, जो हमारे देश में बराबर आया करती हैं और हर साल चली आती हैं और जो एक

तरह से परमानेन्ट फीचर हमारे उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं उस तरफ सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। एक दुर्भिक्ष विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से अवश्य खुलना चाहिये। यह कैलेमीटीज हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बराबर चली आ रही हैं। मैं समझता हूं उस का मुकाबला करने के लिये हमारी सरकार को एक विभाग अवश्य खड़ा करना चाहिये ताकि हम लोग उन मुसीबतों पर विजय पा सकें। हम लोग अपने यहां फैमिन रिलीफ फंड बहुत बड़े पैमाने पर चालू करें ताकि तुरन्त ही सहायता पहुंचाने के लिये हमारे पास फंड की कोई कमी न रहे। उस स्कीम को भी सरकार चालू करे और उसमें इतना धन उपलब्ध करे कि हमारे प्रान्त के किसी भी इलाके में जहां लोग पीड़ित होते हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सके।

यही नहीं बल्कि इसके अलावा मैं यह भी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यहां जो फैमिन रिलीफ फंड होगा उसकी तजवीज हमारी सरकार की ओर से बहुत जल्द आनी चाहिये। मुझे यह मालूम है कि यह डिपार्टमेन्ट बहुत पहले से यहां पर चला आ रहा है लेकिन वह उस जमाने का है जब ५ साल या १० साल में इस तरह की मुसीबतें आया करती थीं। तब इतनी खराब हालत नहीं थी। तब ५, ७ साल का इन्टरवल हुआ करता था लेकिन अब वह इन्टरवल गायब हो गया है। अब साल ब साल उस मुसीबत का दौर चला करता है। इसलिये अब इसके ऊपर पक्के तौर पर सोचने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि हमें इसको नजरन्दाज नहीं करना चाहिये क्योंकि हमारी सरकार की ओर से फैमिन ग्रस्त एरिया को जो सहायता दी गई वह बिलकुल नामिनल थी। अगर सेर, दो सेर अनाज किसी गरीब को मिल गया तो मैं समझता हूं कि उससे क्या लाभ हो सकता है। बड़े खान्दान जिसमें ४, १० बच्चे होते हैं उनको इससे क्या सहायता हो सकती है।

इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी मशीनरी में बहुत कमी है। वह बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। उस सहायता में छीज हो जाना, चोरी चले जाना और बटवारे में कमी हो जाना स्वाभाविक बात है। इससे आप समझ सकते हैं कि उस सहायता में उस फैमिन ग्रस्त एरिया के लिये कमी हो सकती है। इस प्रकार से उनको छोटी मात्रा में सहायता उपलब्ध होती है। इसलिये मैं यह तजवीज करूंगा कि हमारे देहात के इलाके में जहां पर फ्लड और फैमिन आता है वहां पर हमारी सरकार की तरफ से एक ग्रेन स्टोर होना चाहिये। चाहे फ्लड आये या न आये लेकिन सुरक्षा के लिये सरकार की तरफ से ग्रेन स्टोर हर साल भरे जाने चाहिये और ऐसी सुरक्षित और सेंट्रल जगह पर वह होना चाहिये कि वहां पर पक्की सड़कें हों और जरूरत पड़ने पर फैमिन ग्रस्त इलाकों में आसानी से सहायता पहुंचायी जा सके।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा बोलने का मंशा नहीं था लेकिन चन्द्र सिंह जी ने दो-एक बातें ऐसी कह दीं जिससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुझे लामुहाला बोलना पड़ेगा।

श्रीमन्, कुछ स्लोगन्स बन गये है कि कहीं कोई खराबी हो, फौरन ब्राह्मण व ठाकुर को गालियां देना शुरू कर दो। यह आजकल का प्रोग्रेसिविज्म है। चाहे कसूर उसका हो या न हो, लेकिन उसे गाली देना एक फैशन है। अगर कुछ माननीय सदस्य ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस रुक जायगी ऐसा लगता है। किसी एक ने कसूर किया हो तो सारे लोगों को गलियाना ठीक नहीं है मगर ऐसी गालियों की बौछार इधर से और उधर से, दोनों तरफ से होती हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कुछ लोगों को जाति विषेश के कारण दबाया गया, लेकिन टाइम बे टाइम कुछ लोगों को बिना कारण गालियां देने से तो देश की या पिछड़े लोगों की प्रोग्रेस नहीं होगी। उन लोगों के भी दिल और दिमाग हैं। उन्होंने भी दुनिया चलायी है। उन्हें गलियाने से तो मेल-

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

मुहब्बत नहीं बढ़ेगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन छोटी चीजों में जाति-पांत के झगड़े नहीं उठाने चाहिये। यह देश एक है, हम सब एक हैं और इसलिये इस तरह की बात हर समय नहीं होनी चाहिये। रात, दिन गाली सुनते-सुनते मेरे तो कान पक गये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। मैं कह रहा था....

श्री अधिष्ठाता—आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—दूसरी बात मेरे मित्र श्री चन्द्र सिंह रावत जी ने यह कही कि कुमायूं जमींदारी एबालिशन बिल नहीं आया। वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैं कहता हूं कि यह सही नहीं है। Kumaon Miscellaneous Provisions Act, 1956 के अनुसार वहां इविक्शन बन्द है और अगर कोई कार्यवाही हो तो दफा ४४७ ता० हि० और ५२२ जा० फौ० के अनुसार कब्जा वापस मिल सकता है। अगर कोई जाने नहीं और कह दे कि ऐसा कानून नहीं है, तो मैं कहूंगा कि पहले वह कानून पढ़ कर यहां आये, फिर अपनी बात कहे। जहां तक जमींदारी उन्मूलन का सवाल है और इंटरमीडिएरीज को समाप्त करने का सवाल है, यह होना चाहिये, लेकिन कुमायूं में कोई जमींदारी प्रथा नहीं है, वहां कोई जमींदारी नहीं है। कोई बड़ा एकरेज हिस्सेदारों के पास नहीं है और इसलिये मैं कहूंगा कि उसके लिये उल्टा, सीधा कहना भी एक फैशन हो गया है। जैसे अन्य बिलों में खामियां पाकर आपने उनको वापस लिया है, इसको भी आप वापस लेने की कृपा करें। इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है और जो ताकतवर हैं उनका ही भला होगा। अगर पिछड़े और गरीब लोगों का भला करना है, तो वह इससे नहीं होने वाला है। नया बिल बनाइये और तब जल्द सदन में लाइये।

तीसरी बात, मैं देख रहा था, एक किताब जो बांटी गयी है इससे पता चलता है कि पैदावार गल्ले की औसत में गिरी है, कम हुई है, कंडीशन फैक्ट के हिसाब से पैदावार का प्रतिशत इस प्रकार है: चावल ९८.९, गेहूं ८८.३, ज्वार ९६.९ आदि, तो पैदावार गिर रही है। दूसरी तरफ पृष्ठ २२ में हम देख रहे हैं पशुओं की संख्या भी १९४५ के मुकाबले में कम हुई है। दुधारू गाय जो १९५१ में ६०,९६,०५० थीं, १९५६ में केवल ५७,६१,२७६ ही रह गयीं। इसी तरह से बछड़े व बछियां जो १९५१ में ५७,६४,४२१ थे, सन् १९५६ में ५३,१७,६५८ ही रह गये।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

यह सब क्या लिखा है। हमें इसे देखना चाहिये। गो-रक्षा कानून हमने बनाया लेकिन वह अधूरा होने से नाकामयाब रहा। गोधन के ह्रास को बचाये बिना भारत में पैदावार बढ़ नहीं सकती।

तीसरी बात श्रीमन्, मैं बन्दोबस्त के बारे में कहना चाहता हूं। कुमायूं में बन्दोबस्त से लोग परेशान हैं। जिस तरह यहां चकबन्दी से लोग परेशान हैं, उसी तरह वहां पर लोग बंदोबस्त से परेशान हैं। यहां की तरह वहां भी उसके लिये हाहाकार मचा हुआ है। किसी गांव में अगर टिड्डी आ गयीं तो वह पत्ती या टहनियों को ही नहीं, पेड़ों की छालें तक का सफाया कर देती हैं। फसलों को बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार कुमायूं में बन्दोबस्त के अधिकारी गांवों को उजाड़ कर दे रहे हैं। घूसखोरी जोरों पर है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यहां पर चकबन्दी कमेटी होती है उसी तरह वहां के लिये भी अगर सेटिलमेंट कमेटी बना दी जाय तो अच्छा हो।

आज लोगों को यह पता नहीं चलता कि लोगों के नाम कौन-सा खेत है। वहां तो दिन में नक्शे बनते हैं और रात में रबड़ लगानी पड़ती है, वहां पर कुछ ए० आर० ओ० भेजे गये हैं जो शरीर से बहुत भारी हैं और पहाड़ पर चल नहीं सकते। मैं उनकी नीयत पर कोई शक नहीं

करता। वह वहां पर भेजे गये हैं लेकिन वे मौकों पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। पूरी तरह से वेरीफिकेशन्स होता ही नहीं है। पहाड़ों पर दो-दो मील ऊपर और दो-दो मील नीचे चढ़ना पड़ता है। उनको चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। नतीजा यह होता है कि वे मौकों पर तो जाते नहीं, अपने यहां ही बैठे-बैठे कागजों में खाना पूरी करते रहते हैं। गलत तरीके से खेत व कब्जे मार्क होते रहते हैं। जो नीचे से लिख दिया जाता है वही ऊपर से पास हो जाता है। उसी पर ऊपर से मोहर लगा दी जाती है। यह मैं सोलह आने ठीक कह रहा हूं। चकबन्दी से जो तकलीफ पश्चिमी जिलों में थी, वही तकलीफ बन्दोबस्त से वहां पर है।

जिस तरह से मेरठ, सहारनपुर वगैरह पश्चिमी जिलों से आकर लोगों ने प्रदर्शन किये और आपने फिर उसमें कुछ सुधार किया, उसी तरह वहां के लोग भी प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर मेरी मांग है यह सुधार बिना प्रदर्शन के किया जाय। मैं अभी गोंडा जिले में गया। वहां के लोग चकबन्दी का घोर विरोध कर रहे हैं। वहां तरबगंज के गांव वालों को मालूम तक नहीं किया गया कि चकबन्दी होने वाली है। वहां पर लोगों को बताया तक नहीं गया। आपके आफिसरों को पता है कि अगर वे चकबन्दी नहीं करायेंगे तो आप नाराज हो जायंगे। लिहाजा उन्होंने क्या किया? गांव में जाकर एक-दो आदमियों को अपनी तरफ मिला कर दस्तखत करा लिये और कह दिया गया कि वहां पर घोषणा कर दी गयी है। यह लिख दिया गया। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को बाद में यह मालूम हुआ कि उनके गांव में चकबन्दी होने वाली है। उन्होंने दरखास्त दी कि वहां चकबन्दी न की जाय। उनके उज्र जिलाधीश ने समाअत न किए। पांच हजार लोगों ने गोंडा कचहरी में प्रदर्शन भी किया। जब वहां के लोगों को एतराज है तो क्यों वहां पर चकबन्दी हो रही है। सरकार का तो कहना है कि जहां की जनता चाहती है वहां चकबन्दी हो, वहीं पर चकबन्दी की जाती है मगर तरबगंज में वास्तविकता इसके विपरीत है।

अब श्रीमन्, चूंकि आपने लाल बत्ती जला दी, इसलिये मुझे अल्मोड़ा की आग की याद आ गयी। वहां पर हर साल आग लग जाया करती है। मगर क्या करें? कुछ राजा का प्रताप होता है और उसे भुगतना ही पड़ता है। मैं कहता रह गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पियौरागढ़, रानीखेत और अलमोड़ा के लिये मैंने मांग की कि वहां पर फायरब्रिगेड का प्रबन्ध होना चाहिये। मैंने खत भी उसके लिये बार-बार मुख्य मंत्री को लिखे। उसके बाद पियौरागढ़ में आग भी लगी। मैंने कहा कि अगर मेरी बात को मान लिया गया होता तो यह आग क्यों लगती? मैंने फिर फायरब्रिगेड अल्मोड़े व रानीखेत में लगाने की बाबत लिखा। अल्मोड़ा में जब दोबारा आग लगी—तो मेरे पत्रोत्तर में सरकार कहती है कि वहां फायरब्रिगेड एग्जिस्ट करता है। मैंने चैलेंज किया तब दूसरे मंत्री कहते हैं कि गलती से नोटिंग हो गयी वह उत्तर गलत था। आपकी तो कागज में गलती होती है वहां सब चौपट हो जाता है।

दुःख तो यह है कि यहां पर लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई शिकायत करें तो कुछ सुनवाई नहीं होती और एक पटवारी जो लिख दे वह ब्रह्म-वाक्य और चित्रगुप्त का लेख हो जाता है। कम से कम हम जो कहें सरकार उसकी जांच तो करा ले, रेफ्यूट तो कर दे। अल्मोड़े की आग में मदद क्या दी गयी? दस, दस रुपया फी आदमी। क्या जले पर नमक छिड़का है आपने। गोविन्द बल्लभ पन्त जी और जवाहरलाल जी तो इस सरकार के नहीं हैं, उन्होंने ५ हजार रुपया व ३ हजार रुपया भेजा और हमारी सरकार ने १०, १० रुपये दे दिये कि मिठाई खाकर खुशी मनाओ। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि अल्मोड़े के अग्नि-पीड़ितों को ज्यादा मदद दे और घर बनाने के लिये काफी मदद व कर्ज तुरन्त दे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं। सबसे बड़ी कठिनाई आज यह हो रही है कि बैनामे जो हुआ करते थे वह पहले तो कानूनगो या

[श्री माताप्रसाद]

दूसरे लोग जाकर मौकों पर दाखिल-खारिज कर दिया करते थे, लेकिन इस समय उसका नियम ऐसा कर दिया गया है कि १–१ साल, २–२ साल मुकदमे कचहरियों में चलते हैं और कभी रजिस्ट्रार, कानूनगो, कभी तहसीलदार, या एस० डी० ओ० के यहां उसकी तारीखों पर तारीखें पड़ती हैं। इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह जनता की परेशानी दूर हो।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि दूसरे सदस्यों ने कहा, कि कागजों में ही अशुद्धियां हैं। कहीं पर कोई खेत जोत रहा हो तो उसका नाम नहीं है। हमारे जौनपुर जिले में १८८४ में कागजों की दुरुस्ती हुई थी, इसलिए कागजों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। शाहगंज में जब चकबन्दी हो रही थी तो ८ महीने तक चकबन्दी का काम स्थगित रख कर कागजों को दोबारा दुरुस्त किया गया। इसलिए अगर कागजों की दुरुस्ती हो जाय तो काश्तकारों की परेशानी दूर हो।

तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानी भूमि के विषय में। यद्यपि प्रान्तीय सरकार से इसका सम्बन्ध नहीं है, केन्द्रीय सरकार से है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वह भारत सरकार को ऐसा सुझाव दे कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान चले गये, उनकी जमीनें जो यहां पर लोग बहुत दिनों तक जोतते रहे उनके पास रसीदें थीं, वह लगान भी दे चुके थे, लेकिन दोबारा, तिबारा, ७–७ और १०–१० साल का लगान उनसे वसूल किया गया और उनसे जमीनें निकाल ली गयीं और तरह-तरह से उनको परेशान होना पड़ा। तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसा कानून जिस सूबे में है वही वहां के लिए लागू होना चाहिए। वहां भी वही नियम लागू हैं पाकिस्तानी भूमि के लिए। तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए जिससे काश्तकारों को जो तरह-तरह के मुकदमे चला कर परेशान किया जा रहा है वह खत्म हो। इस तरह का सुझाव सरकार को केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए।

लेखपालों के विषय में यहां बहुत कुछ कहा गया, और है भी सही बात, लेकिन एक बात हमें मालूम हुई पूछने से कि लेखपाल कहते हैं कि हर लेखपाल अपने अलावा एक आदमी को अपनी तरफ से और रखता है और उससे अतिरिक्त काम लेकर उसको कुछ देता है, क्योंकि लेखपाल के पास बहुत ज्यादा काम है और वह पूरा नहीं कर पाता। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लेखपालों के पास जो बहुत ज्यादा काम है जिससे वह ठीक से इन्दराज नहीं कर पाते हैं और ज्यादातर फर्जी काम करते हैं वह चीज दूर हो जिससे उनका भार हल्का हो सके। और यही कारण है कि जो कोई चीजें यहां से पूछी जाती हैं उनका अनुमानित ढंग पर जवाब आ जाता है।

मुझे एक कानूनगो ने बतलाया कि सरकार से पूछा गया था कि उनके हल्के में कितने मन्दिर हैं और वह सूचना तत्काल मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, अगर हम उसकी सही सूचना मंगाते तो कम से कम १०–१५ रोज लग जाते और उस बीच में बहुत ही जरूरी काम करने थे तो उन्होंने सभी लेखपालों को बुलाया और अन्दाजन सबसे पूछ लिया कि उनके हल्के में कितने मन्दिर हैं, इस तरह से ५ मिनट में ही पूरे सर्किल के आंकड़े आ गये और वह सरकार के पास चले आये। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों के पास इतने ज्यादा काम रहते हैं कि वह सही-सही काम नहीं कर पाते, फर्जी आंकड़े सरकार को दे देते हैं जिससे कई तरह की अड़चनें सरकार को उठानी पड़ती हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि गांवों में जो पंचायत सेक्रेटरी या दूसरे कर्मचारी होते हैं उनसे भी इन कामों में मदद ली जाय। इस पर मंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिये।

तीसरी चीज मुझे अपने जिले के बारे में कहनी है। मेरे जिले में पुराने जमींदारों के कुछ ऐसे कारिन्दे हैं जो जमींदारी के जमाने की रसीदों से आज भी परती जमीनों के पट्टे कर रहे हैं। गांव समाज की जमीन को वह रुपये लेकर पुरानी रसीदों से पट्टे कर देते हैं और रसीद दे देते हैं। और उन रसीदों के आधार पर जिसके नाम पट्टा किया जाता है वह अदालत में जीत जाता है

और गांव समाज की जमीन का नुकसान होता है। इस तरह से हमारे यहां लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में उन पुराने जमींदारों के कारिन्दों को ऐसा करने से रोकने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

चौथी चीज मुझे नागरिक क्षेत्रों के बारे में कहनी है। आजकल खासतौर से कस्बों के आस-पास रहने वाले काश्तकारों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनको तरह-तरह से परेशान किया जाता है। मैं खासकर मछलीशहर के कसबा घिसुवा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जमींदारी टूटी नहीं है। वहां पर जमींदार उसी तरह से लगान वसूल करते हैं, गांव सभा को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वहां पर या तो ग्राम सभा ही रहे या कसबा हो, जैसा भी उचित हो किया जाय।

पांचवीं चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी भूमि जहां पर लोग बहुत दिनों से आबाद हैं, खास कर हरिजन लोग उनकी जमीन आबादी नहीं लिखी गई है। लेखपाल से कहा जाता है तो वह उसका इन्दराज नहीं करते हैं। इसलिये सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जहां पर भी लोग बसे हुये हों, उनकी जमीन आबादी में जरूर दर्ज होनी चाहिये जिससे कि उनको जमीन मिल जाय। आबादी दर्ज न होने के कारण कई ऐसे केसेज चले हैं, हमारे जिले में बहुत दिनों से लोग बसे हुये थे लेकिन वह जमीन जमींदार या जिसके भी नाम दर्ज थी, उन्होंने मुकदमे चलाये और उसके कारण उनके मकान गिरा दिये गये और वह इस तरह से निर्वासित हो गये। तो इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि जो लोग बहुत दिनों से बसे हुये हैं, आबाद हैं उनकी आबादी दर्ज होनी चाहिये।

श्रीमन्, आज ग्राम समाज में जो जमीन निकलती है उसके लिये नियम बना हुआ है कि वह भूमिहीन खेतिहरों को दी जाय लेकिन प्रधान उसका पालन नहीं करते हैं और ज्यादातर ऐसे लोगों को जमीनें दे देते हैं जिनके पास पहले से जमीनें रहती हैं या अपने किसी भाई भतीजे या सम्बन्धी को लिख देते हैं। इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जो भूमिहीन हैं उनको ही जमीन दी जाय और कड़ाई के साथ इसकी जांच कराई जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री अमरनाथ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था कि परसों के बाद कुछ दिनों के लिये यह हाउस उठ रहा है और उसके बाद जब असेम्बली बैठेगी तो लेजिस्लेशन वर्क शुरू हो जायगा। लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं हो सका है कि यह कार्य किस प्रकार से आयेगा। वक्त पर सूचना न मिलने का नतीजा यह होता है कि न हम तैयार होकर ही आ पाते हैं और न वक्त पर संशोधन ही ला पाते हैं। नियम के अनुसार तीन दिन पहले सूचना हमें मिलनी चाहिये। ऐसा भी हुआ है कि इसके कारण एक-दो बार असेम्बली को स्थगित करना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न को आपको प्रश्नों के तत्काल बाद ही उठाना चाहिये था क्योंकि कार्यक्रम के बारे में पूछने का वही समय होता है। बीच में इस वक्त कोई जवाब नहीं मिल सकता। इसका जवाब आपको बाद को मिलेगा। जो मंत्री जो इस समय उपस्थित हों वे माननीय मुख्य मंत्री से सलाह कर लें और कल, माननीय नेता सदन या उपनेता सदन जो उस समय रहेंगे, वे सदन को सूचना दे देंगे।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)—मेरा सुझाव यह है कि १० मिनट के बजाय ५ मिनट का समय कर दिया जाय क्योंकि अभी बहुत से लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—जब अमरनाथ जी बोल लेंगे तब आपके सुझाव पर विचार होगा।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग का सम्बन्ध प्रदेश के एक बहुत बड़े समुदाय से है। इस विभाग का जो काम करने का तरीका है, उसके बारे में मैं आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से प्रदेश में मालगुजारी की वसूली हो रही है, खास कर हमारे जिला गोरखपुर में तो किसानों के साथ बड़ी भारी ज्यादती हो रही है। जो इलाका बाढ़ से तबाह है वहां किसानों को किसी तरह की मदद देना तो दूर रहा उनसे जबरदस्ती मालगुजारी वसूल की जा रही है और उनके साथ तरह-तरह के हथकंडे बरते जा रहे हैं। अभी जब मैं बजट सैशन शुरू होने के पहले गांवों में गया तो किसानों ने बताया कि साल भर की मालगुजारी उनसे एक साथ मांगी जा रही है। अगर कोई साल भर की नहीं देता है तो उसको रसीद नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि पूरी मालगुजारी दे दोगे तब रसीद देंगे। इस तरह की एक नहीं अनेक शिकायतें हैं। और कलेक्शन तहसीलदार से कहा गया तो उल्टे वह उन्हीं की तरफदारी करने लगा।

एक केस यह है कि १३६६ फसली की मालगुजारी किसान द्वारा अमीन को दी जा चुकी थी रसीद भी मिल चुकी थी लेकिन स्याहा में वह दर्ज नहीं हुई। जब दूसरा अमीन १३६७ फसली की मालगुजारी वसूल करने गया और पुनः १३६६ फसली की मालगुजारी मांगी तो किसान ने रसीद दिखाई और कहा मैंने अपनी मालगुजारी दे दी है। मगर अमीन ने उसकी बात नहीं मानी और उससे कहा कि तुमने मालगुजारी अदा नहीं की। जब तक उसने दी नहीं उसकी एक भी नहीं सुनी। २६ जनवरी को जब कि देश और प्रदेश में जनतंत्र दिवस मनाया जा रहा था गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में मालगुजारी वसूल की जा रही थी। मैं श्रीमन्, नाम तो लेना नहीं चाहता। बेसार के ३–४ व्यक्तियों से मालगुजारी वसूल की गयी। उनको धूप में बैठाया गया जब तक कि उन्होंने मालगुजारी नहीं दे दी। स्याहा में मालगुजारी के दर्ज न होने की एक शिकायत नहीं है बल्कि अनेक जगहों से ऐसी शिकायतें आयी हैं। ऐसी भी शिकायत है कि अगर किसानों का अधिक पैसा मालगुजारी और तकावी के साथ पहुंच जाता है तो वह वापस नहीं किया जाता है। इसकी शिकायत तहसीलदार से की गयी लेकिन तहसीलदार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

हरपुरपकड़ी गांव में भी इसी प्रकार की शिकायत है कि मालगुजारी और तकावी की वसूली में सख्ती की गई और साथ ही यह भी शिकायत है कि उन क्षेत्रों में आज मालगुजारी और तकावी जोरों पर वसूल हो रही है जहां कि बाढ़ और सूखा की वजह से किसान तबाह हैं। बाढ़ और सूखा के इलाके में मालगुजारी में छूट देने के लिये मालगुजारी की वसूली स्थगित की गयी थी मगर वह इस वक्त वसूल हो रही है। अब तक किसानों को छूट का पर्चा भी नहीं बांटा गया है जब कि किसानों को यह बताया गया और हल्ला है कि मालगुजारी में छूट हुई है। मुझे दुःख है कि अब तक न कोई छूट ही दी गयी और न छूट के लिये पर्चा ही बांटा गया है और अमीन लोग जबरदस्ती जाकर मालगुजारी वसूल कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार की बात कहां तक कहूं? भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कहते-कहते हम लोग भी थक गये और सुनने वाले भी थक गये। यह मुहकमा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहां भ्रष्टाचार बड़े जोरों पर फैला हुआ है। इस मुहकमे में कौन ऐसा स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो? अगर आप माल की अदालतों में जाइये, बिना पैसे दिये लोगों को तारीख नहीं मिल सकती। बिना पैसे लिये पुनर्वासन अनुदान नहीं मिलता, बिना पैसे दिये प्रतिकर नक्शा नम्बर २७ नहीं मिलता। बहुत से भाइयों ने शिकायत की कि उनको नक्शा नम्बर २७ नहीं मिला जिससे कि उनका पुनर्वास अनुदान निर्धारित नहीं हो सका। लेखपाल कब्जा दर्ज करने के नाम पर सौ-सौ और पचास-पचास रुपये किसानों से लेते हैं जब कि कानूनी तौर पर कब्जा

लिखने का कोई मूल्य नहीं है। तो कैफियत के खाने में कब्जा लिखने की व्यवस्था क्यों रक्खी जाय।

अगर सरकार को केवल अपनी आमदनी बढ़ाने की फिक्र हो या और कोई बात हो तो उचित नहीं है। मैं इसलिए माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस कैफियत में कब्जे के दर्ज करने की पद्धति से और मुकदमेबाजी के झंझट से किसानों को छुटकारा दिलाइये। इस कैफियत के कब्जे से कुछ होने वाला नहीं है। महज कुछ आदमियों का फायदा होगा जो वहां किसानों से कब्जा लिखने के नाम पर काफी पैसा ऐंठते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कब्जा लिखने वाली प्रथा तुरन्त खत्म की जाय और लेखपालों को जो कब्जा दर्ज करने का अधिकार दिया गया है उसे ले लिया जाय। अगर असली खाने में किसी का नाम तरमीम करने की जरूरत हो, और कोई रद्दोबदल करना हो तो उसे अदालत के जरिये कराया जाय तो बहुत मुनासिब होगा। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां ऐसी प्रथा बिलकुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं बिहार में ऐसा नहीं है, वहां कब्जा दर्ज की बात नहीं है। और प्रदेशों में भी इस तरह के उदाहरण मिल सकते हैं।

पहले वाले माल मंत्री जी तो कब्जा लिखने के पक्ष में थे लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो माल मंत्री हैं वे इस बात से सहमत होंगे कि जो कब्जा दर्ज करने का झंझट है उसे हटा दिया जाय। लेखपालों के अधिकार में बहुत कुछ कमी हुई लेकिन देहात के किसान समझते हैं कि अब भी उसमें कुछ कमी नहीं हुई है। कब्जे को वे बहुत बड़ी चीज समझते हैं। क्योंकि बहुत से किसानों का नाम शिकमी हो गया, और कई साल शिकमी रहने के बाद वह काश्तकार हो गया और सीरदार हो गया जिसकी वजह से किसानों के समझ में यह बात फायदे की आई और वह लेखपाल के पास दौड़ता है जिससे किसान की समझ में कब्जा लिखा जाना जरूरी हो गया। बहुत जगह तो कब्जा भी सही नहीं है, बहुत से कब्जे गलत लिखे जाते हैं।

अब श्रीमन्, चकबन्दी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे जिले में भी चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी का कार्य मेरी तहसील में तो नहीं हो रहा है लेकिन मेरे जिले में हो रहा है और उसके सम्बन्ध में मेरी भी कुछ जानकारी है। ए० सी० ओ० को पावर दी गई है कि वे स्थानीय फैसला कर दें ताकि किसानों का ज्यादा पैसा खर्च न हो सके और अदालतों में न जाना पड़े। लेकिन काश्तकारों की शिकायत है कि अच्छा चक देने के नाम पर किसानों से पैसे लिए गये और जिनके पास मोटरें थीं उनकी मोटरों से सफर किये गये। और उनकी मोटरों से दौरे किये जाते हैं, और इस तरह से साठगांठ करके चक बनाये जाते हैं। गोरखपुर की सदर तहसील में आयकोल एक गांव है तथा इसी तरह के अनेक गांव हैं जहां से माल मंत्री के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि बहुत से व्यक्तियों के अधिक खेत एक स्थान पर रहते हुए भी वहां उनको चक नहीं दिये गये जब कि कानून है और उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिए मगर ऐसा नहीं किया जाता है। अतः मैं चाहता हूं कि माल मंत्री जी इन शिकायतों की जांच करें और इस मसले को तय करें।

फरेंदा तहसील की बात है कि वहां पर एक घोंघी नदी है जिसके बायें किनारे पर एक बन्ध पहले से बना हुआ है, जिसकी मरम्मत जरूरी है लेकिन २० हजार रुपये के खर्चे से उसकी दायीं तरफ एक और बांध बनाने की योजना बनायी गयी है और काम शुरू है। यह २० हजार रु.या इसलिये खर्च किया जा रहा है ताकि एक कांग्रेसी साहब की २०० एकड़ जमीन को बाढ़ से तथा नदी के कटाव से बचाया जा सके। महज एक आदमी की जमीन को बचाने के लिये इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, यह कहां तक मुनासिब है जिसकी जिलाधीश से शिकायत भी की गई लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

एक मामले की तरफ मैं और सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि फरेन्दा तहसील के एक लेखपाल ने गलत कब्जा दर्ज किया, जिसकी शिकायत भी एस० डी० एम० से पीड़ित किसान ने की, एस० डी० एम० ने मामला तहसीलदार के यहां इन्क्वायरी के लिये भेजा, तहसील के कोर्ट में

[श्री अमरनाथ]

दोनों पक्ष तलब हुए और जिसकी तारीख पेशकार ने दी, यह तो आज आम शिकायत है कि तारीख पेशकार देते हैं, उन्होंने उस केस में जो तारीख किसान और लेखपाल को दी थी उसे किसान के विपक्ष में बदल दी जैसे कि किसान को बताया गया कि फलां तारीख को आना, जब वह उस तारीख को पहुंचा तो बताया गया कि तुम्हारी तारीख तो फलां दिन को थी, फर्द अहकाम को काट कर तारीख बदली गयी है। इस सब की शिकायत तहसीलदार तथा एस० डी० एम० से की गई लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और किसान के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। इसकी जांच होनी चाहिए।

यह सभी जानते हैं कि गांव समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। आज पंचायत के लोग भी समझने लगे हैं कि हम भी जमींदार हैं और जिस समय जमींदारी थी और जमींदारी के जो अधिकार थे उसी प्रकार के अधिकार अब हमारे हैं और जो चाहें करें मगर यह नहीं वह समझते हैं कि जो अधिकार भूतपूर्व जमींदारों से लेकर उन्हें दिये गये हैं उसे ठीक से इस्तेमाल करना है और साथ ही यह भी कि इन अधिकारों से कुछ किसानों को और कुछ गांव समाज को तथा कुछ जमींदारों को दिये गये हैं सभी गांव पंचायतों तथा किसानों को नहीं दिये गये हैं और न गांव समाज को दिये गये हैं। वह बागों तथा आबादी के पेड़ों को समझते हैं कि गांव समाज के हैं, जिनका नीलाम करने का उन्हें अधिकार नहीं है वह उसका नीलाम कर रहे हैं। पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है, गांव समाज के रुपये का बहुत सा मद हिसाब में दर्ज नहीं किया जाता है और न उनका पता ही है। ऐसे रुपयों का हिसाब घपले में पड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)----३ मिनट तो श्रीमन् कम होंगे।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आम तौर से सभी ७ मिनट से सहमत हैं इसलिए ७ मिनट ही अब मिलेंगे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, आप की इजाजत से कुछ लोगों को दो, एक मिनट अधिक मिल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---ठीक है, वह अधिकार तो मुझे है ही।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बात छिपी हुई नहीं है और बहुत ही स्पष्ट है कि यह विभाग एक ऐसे मन्त्री महोदय के हाथ में है कि जिन्होंने बहुत वर्षों से किसानों के हित में बराबर अनेक काम किये हैं और उससे उनका काफी लाभ हुआ है। उदाहरण के रूप में पिछले सालों में जब सूखे का प्रकोप हुआ जिसमें किसान काफी परेशान हुये, मन्त्री महोदय स्वयं गोरखपुर और देवरिया दोनों जिलों के गांव-गांव में जिस तरह से घूमे और दौरा किया उस से किसानों का वहां काफी लाभ हुआ और उन्हें यह बात कहने का मौका मिला कि हमारे ऊपर जो आपत्ति पड़ी है उसको हल करने के लिए सरकार अपने सीमित साधनों के अनुसार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वह एक ही दिन में देवरिया से लार, पडरौना और पुसीनगर व हाटा, चार-चार स्थानों पर गये और उस परिक्रमण के द्वारा जो कुछ तात्कालिक सहायता वहां के किसानों की कर सके, वह उन्होंने की, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अभी सूबे में ओला पड़ा, मन्त्री जी कुछ अस्वस्थ भी थे लेकिन तत्काल ही उन्होंने उन जिलों में जाकर स्थिति का अध्ययन किया और जो कुछ तात्कालिक सहायता हो सकती थी, वह दी गयी है और हमें आशा है कि भविष्य में भी उनका ऐसा ही इरादा अवश्य होगा।

अब जहां तक भ्रष्टाचार की बात है मैं समझता हूं कि कोई भी विभाग ऐसा न होगा जो इस से बचा हो। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें काफी मजबूत कदम आगे बढ़ाना होगा। परन्तु भ्रष्टाचार को दूर करना केवल मन्त्री जी का ही काम नहीं है बल्कि सूबे के हर नागरिक का और इस सदन के हर सदस्य का भी उतना ही दायित्व है जितना कि सरकार का है। मेरा

भी कर्तव्य है, हमारा सब का कर्तव्य हो जाता है कि हम सभी मिलकर मजबूती के साथ इसे दूर करें। हमें इसके लिए अपने नैतिक स्तर, जीवन चरित्र और आत्मबल द्वारा काफी सुधार करना होगा। यह तो बात रही यहां की।

अब मैं अपने देवरिया जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाटा तहसील की जनता परेशानी में है और मैं समझता हूं सरकार का ध्यान उधर है और विचार कर रही है। केवल उसमें थोड़ी-सी तेजी अगर कर दी जाय। वह प्रश्न यह है कि देवरिया जिले की हाटा तहसील का केन्द्र देवरिया तहसील से बिलकुल मिला हुआ है, देवरिया तहसील से केवल २ मील की दूरी पर है।

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदासिंह जी ऐप्रीशियेट कर रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद---मैं समझता हूं कि गेंदा सिंह जी भी इससे सहमत होंगे। दो मील की दूरी से ही हाटा तहसील शुरू हो जाती है और नेपाल के बार्डर तक हाटा तहसील फैली हुई है, करीब ४५ मील उत्तरी एरिया में आबाद है, खड्डा के आगे नारायणी और छोटी गण्डक के बीच लोग बसे हैं उन को बरसात में तहसील के केन्द्र पर आने में काफी परेशानी होती है; इसलिए अगर तहसील का केन्द्र कप्तानगंज में कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

हाटा तहसील के कुछ गांव ऐसे हैं जो कई मील में बसे हुये हैं, जैसे कौवासार एक गांव है वह ४ मील के एरिया में बसा है और कटाई भरपुरवा ३-४ मील के एरिया में है। इनके कागजात कुछ पहले से ऐसे चले आ रहे हैं कि किसानों को उससे बड़ा असन्तोष है। अगर उन गांवों के कागजात को नये तरीके से ठीक किया जाय तो किसानों को लाभ होगा।

इसके अलावा चकबन्दी जो इस समय चल रही है उसके बारे में पता नहीं लोगों को क्यों एतराज है? वह तो ऐसी योजना है जिससे लोगों को लाभ ही हो सकता है। शुरू में भले ही परेशानी हो लेकिन मैंने स्वयं चकबन्दी के क्षेत्र में जा कर देखा है कि पहले उस क्षेत्र के लोग परेशान थे लेकिन बाद में जब चकबन्दी का काम समाप्त हो गया तो उससे लोगों को लाभ होने लगा और वे उस की तारीफ करते हैं। माननीय उग्रसेन जी भी चाहेंगे कि देवरिया जिले में चकबन्दी हो। मेरा तो निमन्त्रण है कि देवरिया जिले में सब से पहले मेरे ही क्षेत्र से चकबन्दी शुरू की जाय। चूंकि गण्डक योजना सरकार चालू करने जा रही है इस वजह से वहां चकबन्दी योजना सरकार ने रोक रखी है। लेकिन जब चालू की जाय तो पहले हाटा तहसील ही ली जाय।

जिन जिलों में चकबन्दी हुई है उनमें हरिजन बस्तियों के आस-पास की जमीन उनकी बस्ती के लिए सुरक्षित रखी जाय क्योंकि उन की बस्तियां हर जगह काफी तंग हैं। अंग्रेजी शासन में भी और जमींदारों ने भी उनका शोषण किया है। लेकिन आज अपनी सरकार है और सरकार चाहती है कि हरिजनों का कल्याण हो, इस तरफ विशेष ध्यान है और हो भी रहा है, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिव प्रसाद जी से इस मानी में आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि जहां तक माननीय माल मन्त्री का सवाल है, उन की योग्यता, अनुभव तथा इरादे पर किसी को शुबहा नहीं है। अभी हमारे यहां ओला पड़ा, बारिश हुई, आंधी आयी उससे रबी की फसल बरबाद हुई। यहां पर सूचना मिलते ही अस्वस्थ रहते हुये भी माननीय माल मन्त्री दौड़ पड़े व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए। मुझे कोई तजुर्बा नहीं कि किसी माल मन्त्री ने ऐसा किया हो। इससे माननीय मन्त्री का इरादा साफ जाहिर होता है कि यह भला काम करना चाहते हैं।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि इतने दिनों तक अपने देश में अपना राज्य होने के बाद भी भूमि सम्बन्धी कानूनों में एकरूपता और सरलता नहीं आ पायी है। जो भूमि सम्बन्धी कानून हैं तथा तत्सम्बन्धी नियम हैं वे बहुत जटिल होते चले जा

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

रहे हैं, उनसे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और भ्रम पैदा हो रहा है। एक जमाना था, सन् १९५२ से पहले जब कि हर जिले में और सूबे में इने-गिने कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको लोग रेवेन्यू ला पर अथारिटी मानते थे, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूं कि सारे सूबे में हाई कोर्ट से लेकर जिले के स्तर तक एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता जिसे रेवेन्यू ला पर अथारिटी कहा जा सके।

जब सुधार के आधार पर भूमि की व्यवस्था हो रही हो, समाजवादी व्यवस्था कायम हो रही हो, और हमारी सरकार समाजवादी सरकार होने का दावा करती हो तो लैण्ड टु दि टिलर (Land to the tiller) के सिद्धान्त पर जमीन का पुनः वितरण हो। हम चकबन्दी से घबड़ाते नहीं हैं। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे विरोधी दल को बौखलाहट हो जाती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमको चकबन्दी से या सहकारी खेती से बौखलाहट बिलकुल नहीं है लेकिन नाक टेढ़ी न पकड़िये, चकबन्दी से पहले जो और काम जरूरी हैं उनको करके चकबन्दी करिये। पहले जमीन का बटवारा करिये, भूमिहीनों को जमीन दी जाय, इन्दराजात की दुरुस्ती की जाय फिर किसी को एतराज नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है चकबन्दी में उसे पहले रोकिये तब चकबन्दी करिये। भूमि-व्यवस्था कानून में सरलता लाइये, जटिलता को खत्म करिये, एकरूपता लाइये तब चकबन्दी करिये।

भूमिधर, सीरदार, असामी इतने क्लासिफिकेशन नहीं होने चाहिए। एक भूमिधर है, एक सीरदार है, एक असामी है, एक ही किस्म की पैदावार है और एक ही किस्म के खेत हैं; लेकिन सर्किल रेट अलग-अलग है। यह विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। भूमिधर है तो सर्किल रेट ८ आने देता है और अगर ठीक उसके बगल में कोई सीरदार है तो सर्किल रेट एक रुपया, डेढ़ रुपया हो जाता है। यह भेदभाव मेरी समझ में नहीं आता कि एक ही किस्म की जमीन का कोई ८ आने के हिसाब से लगान दे, कोई एक रुपये के हिसाब से दे और कोई तीन रुपये के हिसाब से। इसलिए यह भूमिधर, सीरदार और असामी का जो क्लासिफिकेशन है इसको आप समाप्त करिये और एक प्रकार के टाइटिल-होल्डर बनाइये, सारे सूबे के अन्दर। अगर भूमिधर रखिये तो सब को भूमिधर बनाइये, सबको जमीन में समान अधिकार दीजिये।

चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार हैं वह सर्वविदित हैं। माननीय मन्त्री जी स्वयं इसको मानने के लिए तैयार हैं। यह तालिका जो इस किताब में दी गयी है कि चकबन्दी सम्बन्धी कितने अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें आयीं, कितनों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, कितनों को सजा दी गयी, कितनी शिकायतें निराधार थीं, इसी से यह साफ जाहिर है कि २५ फी सदी चकबन्दी अधिकारियों को कन्सालिडेशन अफसर से लेकर चकबन्दी लेखपाल तक को दण्डित किया गया है और शिकायतें साधार साबित हुई हैं। अगर इसमें और व्यापक रूप से जांच हो तो मैं समझता हूं कि ५० फीसदी से ऊपर वे शिकायतें सही पायी जायंगी।

शिकायतों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि माल मन्त्री जी जौनपुर जिले में शाहगंज तशरीफ ले गये थे। वहां के लेखपालों ने इतनी हिम्मत करके एक मेमोरैण्डम दिया था जिसमें लिखा था कि फलां-फलां कानूनगो, नायब-तहसीलदार, तहसीलदार आदि हम से इतना रुपया मांगते हैं और न देने पर हमको परेशान करते हैं। मैं नहीं जानता कि उस पर क्या हुआ लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन छोटे अहलकारों के ऊपर आज क्या मुसीबत हो रही है, उनमें से कितनों को नौकरी से अलग कर दिया गया, कितनों को चकबन्दी से तबादला करके रेगुलर लाइन में भेज दिया गया और रेगुलर लाइन वालों को चकबन्दी में भेज दिया गया, इस तरह की धांधली मची हुई है। तो मैं माल मन्त्री जी से कहूंगा कि जो शिकायतें उनको मिलें, उन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए।

माल विभाग जनता से बराहरास्त सम्बन्ध रखता है और अगर मैं कहूं कि यह पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट है तो उपयुक्त होगा। लेकिन देखा यह जाता है कि जो मौजूदा माल

विभाग के अफसरान तथा कर्मचारी हैं उनकी मनोवृत्ति, उनका काम करने का तरीका, उनका बरताव ठीक वही है जो अंग्रेजी जमाने का था। मौजूदा प्रजातांत्रिक प्रणाली में वे फिट इन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, आजमगढ़ जिले में ६ तारीख को ओले पड़े और ८ तारीख को माल मन्त्री जी लखनऊ से वहां पहुंच जाते हैं लेकिन क्या उससे पहले आजमगढ़ जिले के कलेक्टर अपने बंगले से निकल कर उस नुकसान को देखने गये थे? मैं मानता हूं कि माल मन्त्री जी सूबे के हर गांव को नहीं देख सकते हैं लेकिन जिनको आपने जिम्मेदार बनाया है क्या वे अपना बंगला छोड़ कर निकले? आज २०० बीघे के जोतिया लोग चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि साल भर हमारे बच्चे कैसे जिन्दा रहेंगे। क्या कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ७ तारीख को मैं आजमगढ़ में मौजूद था। जिला परिषद् के एक मेम्बर ने जब इस सवाल को उठाया तो कलेक्टर ने और अधिकारियों से पूछ ताछ शुरू की . . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप भी गये थे?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---मैं भी हो आया हूं। होली की छुट्टियों में मैं गया था और जिन-जिन हिस्सों में आप गये थे उससे ज्यादा घूम कर आया हूं। हमारे प्रावि न्शियल चेयरमैन, पंडित उदित नारायण शर्मा मेरे साथ उन इलाकों में गये थे। मान्यवर, यह उसी मनोवृत्ति का असर है। माननीय मन्त्री जी तो आजमगढ़ तक चले गये लेकिन उनके जिलाधीश अपने बंगले तक से नहीं निकल सके। सिर्फ मन्त्री जी के साथ जहां तक गये वहां देख लिया। इस के बाद उन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि और हिस्सों को भी देख लेते।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के अनुदान पर सदन में चर्चा चल रही है उसका सम्बन्ध न केवल इस प्रदेश के, बल्कि सारे देश के जनजीवन से इतना घनिष्ट है कि माननीय सदस्यों द्वारा जितने भी सुझाव इस के सिलसिले में आयें, उन पर ध्यान देना परम आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि यह विभाग जैसा कि एक हमारे साथी ने कहा कि सब से बूढ़ा और पुराना है। इस में सन्देह नहीं है कि जितना यह पुराना है उतने ही वृद्धत्व के कारण इसमें दोष या खराबी आ जाना स्वाभाविक है। जिसकी परम्परा पुरानी होगी उस की अच्छाई या बुराई की परम्परा भी पुरानी होगी। इसको मानते हुये हमें सन्तोष है कि इस वर्ष के बजट के सामान्य विवाद के समय हमारे माननीय सदस्यों ने इस विभाग के ऊपर इतनी कृपा रखी कि उन्होंने इसकी सामान्य विवाद में चर्चा नहीं की, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसका कार्य धीरे-धीरे अपनी पुरानी परम्परा के बावजूद सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है।

आज भी जितने माननीय सदस्यों ने चर्चा की है उससे स्पष्ट है कि उन्होंने कोई ऐसी आम बात या जनरल बात नहीं कही जिसकी चर्चा उन्होंने इसी वर्ष की हो। विशेषकर दो-तीन-चार बातें कही गयीं। एक तो यह कि इस विभाग के जितने कानून हैं उनमें एकरूपता नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी ने इस ओर ध्यान दिलाया। यह इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें भूमि-व्यवस्था बहुत पुरानी चली आ रही है और इतनी रूढ़ियां हैं कि हम यदि इनमें एकरूपता लाने का प्रयास करते तो कोई भी कानून अभी तक पास न कर सके होते, इसलिए हमने जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था का कानून आगरा और अवध प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था की और इस दिशा में हमारा प्रदेश आगे चल रहा है और जितने कानून हैं वह सभी सदन के सामने पेश हैं। कुछ पर विचार किया जा रहा है, कुछ कमेटी की स्थिति में हैं और धीरे-धीरे यह पास हो जायेंगे। जो भी सरकार होगी उसका यह प्रयास होगा कि इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश की राजस्व की व्यवस्था में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाय।

माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा कि दुर्भिक्ष के सिलसिले में रिपोर्टिंग का जो तरीका है वह पुराना ही चला आ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अपनी जानकारी ताजी करनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में अब पुराने नियम नहीं हैं। आजकल गांव समाज है और उसका प्रधान है और लेखपाल, जो जांच-पड़ताल करते हैं, उसमें प्रधान की सलाह लेते हैं।

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

इसके अतिरिक्त हमारे विभाग के उच्च कर्मचारी तहसीलदार, एस० डी० ओ० और कलेक्टर उनको देखने के लिये जाते हैं, ऐसे आदेश हैं। इसके अतिरिक्त नहर विभाग के कर्मचारी और कृषि विभाग के कर्मचारी भी जाते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके परिणामस्वरूप सदन को विदित है कि इस वर्ष जो सहायता दी गई वह कितनी व्यापक रही है।

मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दैवी आपदाओं के सिलसिले में सरकारी अहेतुक सहायता तकावी और टेस्ट वर्क आदि के सिलसिले में सरकार को एक करोड़ ३३ लाख रुपया व्यय करना पड़ा है। इसके अलावा मालगुजारी में छूट आदि १ करोड़ २७ लाख के करीब दी गई है। यदि रिपोर्ट ठीक नहीं होती तो इतना भार इस प्रदेश पर नहीं पड़ता। यह बात इससे स्पष्ट है कि हमारी रिपोर्ट ठीक है और व्यापक है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों से इस प्रकर की रिपोर्ट आई हैं, वह ठीक आई हैं और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसके लिये यह कहा गया हो कि नुकसान यथार्थ से कम दिखाया गया है सिवाय इस सदन में जो कहा गया। आम विवाद में कोई चर्चा नहीं उठाई गई। इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता जो सहस्त्रों आंखों से इस प्रदेश के शासन को देख रही है और जिसको इस प्रदेश की व्यवस्था के सिलसिले में सहस्त्र मुखों से बात करने का अधिकार है, उसने कभी ऐसी चर्चा नहीं की है।

मैं सिद्धांतों के विषय में उठायी गयी बातों की ही चर्चा करना चाहता हूं। एक बात उधर से यह कही गई कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर दिया जाय। यह भी कहा गया कि सवा छः एकड़ तक की जोतों का लगान आधा कर देना चाहिये। इस प्रदेश में अधिकांश खाते ऐसे हैं जिन्हें अलाभकर कहा जाता है। अगर उनका लगान माफ कर दिया जाय तो इससे कोई लाभकर जोत भी रह सकेगी या नहीं, यह सोचने की बात है। जब कि हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है, और न बनाने का इरादा है कि होल्डिंग के डिसइंटीग्रेशन को रोक सकें, तो जब परिवारों में बटवारे होंगे, तो क्या कोई लाभकर जोत रह जायगी? जब हम सीलिंग लगाने जाते हैं तो उधर से कहा जाता है कि यह सब डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब लगान माफ करेंगे तो क्या एक भी खाता ऐसा होगा जो लाभकर होगा? यह केवल नारे की बात है।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उधर के माननीय सदस्य इधर बैठ जायं तो वह भी कभी यह मांग पूरी नहीं कर सकेंगे। यह असम्भव सी बात है। मान्यवर, एक और बात कही गई कि मालगुजारी की वसूली में खर्चा बहुत पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मालगुजारी की वसूली में केवल ४, ५ प्रतिशत व्यय हो रहा है, जो कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम है और जो इस प्रदेश में जमींदारी से पहले खर्च होता था, उससे भी कम है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा गया कि गांव सभाओं को क्यों नहीं मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया जाता है। सरकार की यह हमेशा नीति रही है कि गांव सभाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं और जो अन्तरिम जिला परिषद् का विधेयक सदन के सामने आने वाला है उसमें गांव सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई है। दूसरी तरफ माननीय श्री अमरनाथ मिश्र और दूसरे मित्रों ने कहा कि गांव समाज अपनी सम्पति का दुरुपयोग कर रही है, अपने कोष का ठीक उपयोग नहीं कर रही है, अगर उधर के सदस्यों का ही यह विचार है कि गांव समाजें अपने पूर्ण उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही हैं और सार्वजनिक कामों में जितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिये उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही हैं तो इस समय जब कि एक-एक पाई का सदुपयोग करना है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि प्रदेश का कोष

संग्रह करने में दिक्कत पैदा होने दें। ऐसी अवस्था में यह काम धीरे-धीरे ही हो सकता है। जैसे-जैसे गांव समाज मालगुजारी वसूल करने में समर्थ होते जायेंगे, वैसे-वैसे सरकार इस कदम को आगे उठावेगी।

कुछ सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी नई बात नहीं है। जब से यह देश स्वाधीन हुआ है और स्वतन्त्र देश के विधान मण्डल हमारे देश और प्रदेश में मिलने लगे हैं, तब से इस सम्बन्ध में सभी विभागों के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। मैं इस सम्बन्ध में क्या अधिक कहूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष सामान्य विवाद के उत्तर में और पिछले वर्षों में जो कुछ कहा था उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज इस विधान मण्डल की गैलरी में अगर कोई विदेश का आदमी बैठा हो, या वह हमारी रिपोर्ट पढ़े तो वह क्या सोचेगा कि इस देश के विधायकगण जब बोलते हैं तो यही कहते हैं कि सर्वत्र भ्रष्टाचार है तो इस देश की क्या अवस्था है? इसके कहने से किसका लाभ होता है यह समझ में नहीं आता है।

जब सभी विभागों में भ्रष्टाचार दिखायी पड़ता है, चाहे वह माल विभाग हो, या कोई अन्य विभाग हो, तो क्या यह सरकारी कर्मचारी किसी विदेश से आते हैं। हमारे आप के घरों के ही लोग सरकारी कर्मचारी हैं। यदि उनमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखायी पड़ता है, तो यदि उधर के माननीय सदस्य इस बात का जिम्मा लेते हों कि उनके पास ऐसे आदमी हों जिनको भ्रष्टाचार प्रभावित नहीं कर सकता, तो उनको एक दो वर्ष के लिये इस कसौटी पर किसी विभाग में रखा जाय। अगर वह भी भ्रष्टाचारी सिद्ध हों तो कहां से आदमी आयेंगे? आज के समाज में जहां सहस्र नेत्रों व कानों से देखा व सुना जाता हो यह असम्भव है कहीं भ्रष्टाचार हो और दण्ड न दिया जाय।

हमारे समाज में चरित्र की कमी है। उसका असर हमारे सर्वत्र जीवन में सर्वत्र है चाहे माल विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो। ऐसी अवस्था में हमारा केवल एक ही प्रयास है कि जहां हमारी जानकारी में आये उस पर हम सख्ती से कार्यवाही करें। आज राजस्व विभाग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जितनी सख्ती से काम लिया है उसको थोड़े से समय में बताना सम्भव नहीं होगा। लेकिन सम्भवतः माननीय सदस्यों को हमारे विभाग का कार्य विवरण मिला होगा, जिसमें इस बात की चर्चा है कि कितने तहसीलदारों, कितने नायब तहसीलदारों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कर्यवाही की गई या और तरह-तरह से उनको दण्डित किया गया।

जिनकी शिकायतें आती हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जाती है। लेकिन यह मान लेना कि इस विभाग में या और भी सरकारी विभागों में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है, तब तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से आप अपनी दृष्टि बनायेंगे उसी प्रकार से आपको दिखायी पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की चर्चा जितनी हमारे माननीय सदस्य करते हैं उससे उस भ्रष्टाचार को दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती है। अपितु, वह बातें भ्रष्टाचार इस प्रदेश और देश में बढ़ाने में ही सहायक होती हैं। यह एक साइकोलाजिकल फैक्ट है कि यदि किसी को बीमार बनाना हो तो उसको बीमार कह दो। इसी तरह भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहें तो उससे भ्रष्टाचार को और प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये यह परम्परा दस-बारह वर्षों के बाद अब हम दूर करें तो अधिक उचित होगा।

मान्यवर, कुछ इस सदन में चकबन्दी विभाग के विषय में भी चर्चा की गई। माननीय सदस्यों ने चकबन्दी विभाग पर इस वर्ष के विवाद में ज्यादातर कानून के सम्बन्ध में ही और नियमों के सम्बन्ध में ही अपने सुझाव दिये हैं और उसकी कार्य पद्धति के सम्बन्ध में नई कार्य-प्रणाली कितनी प्रभावशाली हुई है उसके सम्बन्ध में उन्हों ने संतोष ही प्रकट किया है। इससे यह जान पड़ता है कि विभाग ने कुछ अपने कार्य की दिशा में प्रगति की है और सुधार किये

[महाबीर प्रसाद शुक्ल]
हैं। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सुझावों को भी नोट कर लिया गया है और जो उनमें सम्भव और व्यवहार्य होंगे, उनके ऊपर ध्यान दिया जायगा।

जहां तक कि आचार्य दीपंकर जी ने कुछ कानून के सम्बन्ध में बात की थी और उन्होंने कहा था कि ए० सी० ओ० फैसला कर देते हैं उसमें कोई आगे अपील नहीं होती, और कोई सुनवाई नहीं होती तो यह उनकी भ्रांति है। मैं उनका ध्यान इस चकबन्दी कानून की धाराओं की ओर दिलाना चाहूंगा, उनको यहां पढ़ना तो समीचीन भी नहीं है और समय भी उतना नहीं है लेकिन जो धारा ८, १२ और २१ हैं उनकी तरफ वह ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इस चकबन्दी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था भी है। हर जगह उसकी रोक है और अगर कोई आवश्यकता हुई तो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी इस बात को देखते हैं। धारा ४८ के अन्तर्गत चकबन्दी आयुक्त को अधिकार है दुरुस्त करने का। फिर यह बात भी ध्यान में रखने की है कि इस दिशा में जितने भी प्रयास किये जाते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के या नियमों, कानूनों में ऐसी व्यवस्था करने के, वह सब मानवीय प्रयास हैं। मानवीय बुद्धि और कल्पना जितनी दूर जा सकती है उतनी ही दूर तक के प्रयास एक समय में हम कर सकते हैं और इस प्रयास में सभी पक्षों के सदस्यों की सहायता अपेक्षणीय होती है।

मान्यवर, हमें इस बात का सन्तोष है कि इस विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में आज जैसा वातावरण इस सदन के माननीय सदस्यों ने रखा है उससे हमको सहायता मिलेगी उस काम को करने में और दृढ़ता के साथ उस तरफ बढ़ने में जिधर कि माननीय सदस्यों का इशारा है जिस तरफ कि वह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की प्रगति हो और इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं यह आशा प्रकट करता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ भी सुझाव देंगे वह रचनात्मक होंगे और व्यवहार्य होंगे, केवल इसलिये नहीं होंगे कि एक आलोचना हो या कि उनका एक दल का नारा है तो हर जगह उनको कह दिया करें कि अलाभकर जोतों का लगान माफ हो और जमीन का बटवारा हो।

जहां तक मालगुजारी की वसूली में सख्ती की बात कही गयी, उसके लिये भी दो बातें कहना चाहता हूं। इस तरह की भी जो बातें कही गईं वह व्यक्तिगत या किसी गांव या जिले के किसी हिस्से के बारे में कही गईं। लेकिन यह कहना कि यह बात सर्वव्यापी है और सारे प्रदेश में इस तरह की सख्ती हुई, यह भी बात सही नहीं है। हमारे संग्रह विभाग के जो काम करने वाले आदमी हैं वह अस्थायी हैं। अभी तक उनके स्थायी करने में जो विलम्ब हो रहा है उसका मूल कारण यह रहा है कि जो व्यवस्था चलाई गई थी वह परीक्षण में थी। हम इसको देख रहे थे कि इससे काम कितना हो सकता है और इसमें काम करने वाले कर्मचारी यदि भ्रष्टाचारी सिद्ध होते हैं तो न केवल साल ब साल बल्कि सीजन ब सीजन इस बात का मौका होता है कि उनको छांट दिया जाय और दूसरे रख दिये जायं। इसलिये माननीय सदस्यों को यदि किसी व्यक्ति विशेष से शिकायत हो तो उसकी सूचना वह दें, उस पर तवज्जह दी जायगी और बराबर दी जाती रही है। हमारा कदापि यह उद्देश्य नहीं है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार का पालन-पोषण हो, किसी प्रकार से देश की जनता का त्रास हो और जनता दुखी हो। जो उद्देश्य माननीय सदस्यों का है वही शासन का भी है और उसी दिशा में जाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा तथा माननीय पद्माकरलाल जी ने भी कहा कि माल विभाग के इतिहास में जैसा कि अभी हाल ही, में ओले, और आंधी पानी पड़ा तो माल मन्त्री महोदय ने उन क्षेत्रों का जाकर निरीक्षण किया। मैं समझता हूं माल मन्त्री इसके लिये बधाई के पात्र हैं और मैं भी उनको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं और यह

आशा करता हूं माल मन्त्री जी से कि जिस तरह से उन्होंने इस मौके पर तत्परता दिखाई है उसी तरह से वह उन सुझावों को, जो आज उनके सामने रखे जा रहे हैं, उनको वह तत्परता के साथ लागू करेंगे।

मुझे माल विभाग के सम्बन्ध में ३, ४ बातें कहना हैं । सबसे पहले मैं दाखिल खारिज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दाखिल खारिज के सम्बन्ध में जो प्रत्येक तहसील में व्यवस्था की गई है उससे किसानों को सन्तोष नहीं है। इसके पहले जो व्यवस्था थी, जिसको हम लोग खराब कहा करते थे, कानूनगो और पटवारी अगर किसी का बाप मर जाता था तो उसके लड़के का नाम चढ़ाता था और उसको हम खराब कहते थे लेकिन आज पटवारी दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसील में करता है। किसानों को ४, ४ तारीख पर तहसील में दौड़ना पड़ता है। प्रधान जाता है, लेखपाल जाता है, और लेखपाल को खसरा खतौनी को इन्तखाब दाखिल करनी पड़ती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माल मन्त्री जी इसके बारे में सोचें। पहले का जो तरीका था वह बहुत बेहतर था। अगर हो सके तो उसी को लागू करें क्योंकि वह लोगों के हित में था। कानूनगो या लेखपाल या प्रधान के हाथ में दाखिल खारिज का अधिकार रहे तो बहुत अच्छा है।

दूसरी बात, मान्यवर, जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। बेहाती क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन बहुत पहले से हो चुका है जिसके लिये माननीय माल मन्त्री को बधाई दी गई कि उनके हाथों से ही वह कानून बना था। आज हमारे गोविन्द सिंह जी ने कहा कि कुमायूं डिवीजन के अन्दर जमींदारी उन्मूलन नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात नहीं है। वहां के किसानों के हक में यह बात है कि जमींदारी का उन्मूलन जितनी जल्दी हो सके वहां पर किया जाय। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी तब और ज्यादा बधाई के पात्र होंगे। इसके साथ ही नागर क्षेत्र में बहुत मुसीबत है। शहरों के अन्दर, टाउन एरियाओं के अन्दर जमींदारी उन्मूलन जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी माननीय माल मन्त्री बधाई के पात्र होंगे। वहां पर अभी तक जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है।

एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट बहुत पुराने जमाने का बना हुआ है। आज आये दिन किसानों की जमीन सार्वजनिक कार्य के लिये जैसे स्कूल, नहर, ट्यूबवेल्स आदि के लिये ले ली जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि उनको जो मुआवजा मिलता है वह बहुत कम मिलता है। वह कानून इतना पुराना है कि जब जमीन के दाम बहुत कम थे। उस समय १०० रुपये एकड़ या २०० रुपये एकड़ जमीन का दाम था। अब जमीन की कीमत ३ हजार और ४ हजार रुपये एकड़ तक पड़ती है। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसके ऊपर सोचें और तत्काल अगर कोई रास्ता निकल सकें तो निकालें और उसमें तरमीम करें उससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

एक बात बृहत जोतकर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जिस वक्त यह कानून आया था तो उस समय के माल मन्त्री जी ने यह कहा था कि बृहत जोतकर लगाने का मतलब यह है कि जो बड़े-बड़े भूस्वामी हैं वह टैक्स अदा नहीं कर पावेंगे, तो उनकी जमीन बिक जायगी और गरीब किसान उसको खरीद लेंगे। मैं यह कहना चहता हूं कि भू स्वामी बहुत तिकड़मी लोग हैं। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन रहती है। उसके लिये मैं ४, ६ उदाहरण आप के सामने बता सकता हूं। कुछ लोगों के बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। उन्होंने अपनी पतोहू के नाम, लड़के के नाम और लड़की के नाम जमीन करा ली है। वह कर का रुपया जमा नहीं कर रहे हैं। उनके पास वसूली की नोटिस जाती है तो वह उसका जवाब लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारा अलग बैल चन्दी और खेत चूल्हा सब कुछ बताते हैं। आज इस तरह के मुकदमे प्रदेश के अन्दर बहुत चल रहे हैं। इसके लिये कोई रास्ता निकालना चाहिये। इस तरह से यह मुसीबत हल होने वाली नहीं है।

[श्री ऊदल]

एक बात मैं जमीन के सुधार के बारे में कहना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन के बाद सीरदारी का कानून बना उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है जो कि होना चाहिये था। मैं माल मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर रिपोर्ट को उठाकर देखें तो मालूम होगा कि प्रदेश में लाखों किसान इस तरह से बेदखल हो गये हैं। कुछ को अपना खुद इस्तीफा देना पड़ा और बहुतों का फर्जीतौर पर इस्तीफा ले लिया गया। लाखों की तादाद में ऐसा हुआ है जिनका नाम ५६ तथा ५९ में दर्ज था वह बेदखल कर दिये गये। कुछ लोग बचे हैं लेकिन वह बहुत थोड़े हैं। असल में आप की मन्शा यह थी कि जो जमीन को जोतता है उसको जमीन मिले और जमीन गरीब को मिले जो हल जोतता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसके बारे में सोचें। जब सरकार की मन्शा यह थी कि ५६ में, ५९ में जो काबिज थे उनको हक मिले तो उनको हक मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसकी छान बीन हो और उन सब लोगों को हक दिया जाय जो उस समय काबिज थे और सारे इस्तीफे रद्द कर दिये जायं।

लगान वसूली के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने कहा। उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हमारे प्रदेश में लगान में एकरूपता नहीं है और लगान कई किस्म का है। मैं चाहता हूं कि आप के करकमलों से ऐसा कोई कानून आये कि जमीन की क्वालिटी के हिसाब से प्रदेश भर में तीन चार किस्म का लगान तय हो जाय। आज पूर्वी जिलों में काश्तकार तो एक एकड़ का ५, ६ और ८ रुपये एकड़ तक लगान देता है और जमींदार उसी तरह की जमीन का लगान १२ आने और एक रुपया एकड़ के हिसाब से देता है। सरकार इस पर विचार करे और जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करे कि लगान में प्रदेश भर में एकरूपता आ जाय और वह जमीन की क्वालिटी के हिसाब से हो जाय। इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और एकरूपता भी आयेगी और किसान परेशान नहीं होगा।

दूसरे सीलिंग का बिल जो आने वाला है उस पर बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है लेकिन उससे फायदा कम होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में पैदावार बढ़े और जमीन जोतने वालों को मिले तो आप को पूरे प्रदेश का एक सर्वे कराना चाहिये और देखें आप कि कहां कौन-कौन खेती के अलावा दूसरा रोजगार करता है। अगर किसी के पास दूसरा कोई रोजगार है तो उसे जमीन रखने का हक नहीं होना चाहिये। ऐसा करने से देश की और प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सकती है और इसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिये। इसके लिये जो व्यवस्था हो सकती हो, उसे माल मन्त्री जी सोचें ताकि ज्यादा जमीन निकले और जमीन भूमिहीनों को मिल सके।

इसके अलावा परगना हाकिम और तहसीलदारों के जो दौरे होते हैं उसको मैंने देखा है कि वह जिस क्षेत्र में जाते हैं उसके अलावा दूसरे क्षेत्र वालों के मुकदमें वहां लगा दिये जाते हैं। बनारस की मुझे जानकारी है, हो सकता है कि और जगहों पर ऐसा न हो। होना यह चाहिये पूरे सूबे के पैमाने पर कि जहां वे जायं उसी क्षेत्र के मुकदमें लगाये जायं। बनारस तहसील के तहसीलदार का एक दौरा हुआ था। फूलपुर में तीन दिन तक उनका टेन्ट खड़ा रहा, लेकिन वह एक दिन भी दौरे पर नहीं आये। तमाम किसान वहां आये और परेशान रहे। तो अगर किसी वजह से वह दौरे पर न जा सकें तो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि किसानों को सूचित किया जा सके ताकि उनको बेकार तकलीफ न हो। इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

इसके अलावा फैजाबाद जिले में जो खरीफ की छूट मिली है खासकर अकबरपुर तहसील में उसकी पर्चियां अभी तक किसानों को नहीं मिली हैं। इसके अलावा इस वर्ष गत खरीफ से खसरे के फार्म भी वहां के लेखपालों को नहीं बांटे गये। इससे वहां के किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मैं जानकारी के लिये एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि कुमायूं जमींदारी एबालिशन बिल नहीं आना चाहिये या वहां जमींदारी एबालिशन नहीं होना चाहिये। मैंने कहा था कि यह वहां के लिये उपयुक्त नहीं है। जैसे मिसाल के लिये उसमें व्यवस्था की गयी है कि सिंघाड़े वाली जमीन या कुवें की। तो पहाड़ पर कुवें को कोई समझता नहीं। तो मैंने कहा था कि इसमें उचित तरमीम होनी चाहिये और उसके बाद अगर यह यहां आये तो ठीक होगा। जब वह सेलेक्ट कमेटी में गया था तो चन्द्रजीत यादव जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी। लेकिन अब शायद पेकिंग से कोई नये लेंस आ गये हैं इसलिये उनको कुछ बदल नजर आती है, कुछ तब्दीली दिखायी देती है।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप बैठिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह विभाग हमारे प्रदेश का कितना महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय मंत्री जी ने इसका जिक्र किया, और भी सदस्यों ने इसका जिक्र किया। इस विभाग का सबसे अधिक जनता के सम्पर्क में आने वाला कर्मचारी लेखपाल है। जहां तक इसके महत्व का संबंध है यह बात सत्य है कि इसके बिना कोई कार्य चल नहीं सकता। कोई कागज तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक कि लेखपाल उसे न चलाये। मैं यह कहने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं कि लेखपाल रिश्वत लेता है या बेईमानी करता है। किन्तु मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं लेखपाल के कर्त्तव्यों के बारे में। मैं चाहता हूं कि लेखपाल के कार्यों को वितरित किया जाय। कुछ उसका कार्य दूसरों को दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में घोर अशान्ति है। लोग बहुत जोर-जोर से बातचीत कर रहे हैं। कृपया शान्ति रखें।

श्री जगदीशप्रसाद--लेखपाल के जिम्मे बहुत से कार्य हैं। यह नियम में है कि जो लेखपाल एन्ट्री करें उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाया करे। किन्तु अनुभव ऐसा बताता है कि ५ फीसदी भी ऐसा नहीं होता। उन लोगों को सूचना नहीं दी जाती है। यही नहीं बाढ़ आदि के कारण जो लगान माफ होता है, वह भी लेखपाल के लिखने पर ही होता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बाढ़ आदि के कारण लगान माफ होता है उसमें भी लेखपाल कहता है कि जब तक रुपये में ४ आना हमको नहीं दोगे, तब तक माफी के लिये हम नहीं लिखेंगे। यदि वह नहीं लिखता है तो लगान माफ नहीं होता है।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, आप किसी भी काम को ले लीजिये, जब तक लेखपाल नहीं चाहेगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। रास्ता ठीक नहीं होगा, खरन्जा नहीं बनेगा, कोई काम नहीं होगा। यह सब काम उसी के जरिये होते हैं। हमारी प्रदेशीय सरकार ने माननीय गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की। उसका संबंध कहीं भी गरीब लेखपाल से नहीं था। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है--

"That people have considerable distrust in the agency of the Lekhpal with regard to his method of approach and capacity to implement the Panchayat schemes and further in view of the fact that as Secretaries of the Land Management Committees, they have failed to inspire public confidence, we do not recommend such a merger."

इसमें लेखपाल के बारे में, जनता को उनकी शिकायत के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनके काम करने के तरीकों के बारे में विश्वास नहीं है।

[श्री जगदीशप्रसाद]

एक दूसरी जगह कहते हैं —

a "feeling of dislike and distrust which the people in general have against the Lekhpal"

एक अविश्वास व नापसन्दगी की भावना लोगों में लेखपाल के विषय में है। हम देखते हैं कि आपने पटवारियों को तबदीली की और लेखपालों को बनाया। यह सही है कि लेखपाल इस महत्वपूर्ण विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं और उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बारे में यह राय भी दी गयी है कि उसकी ड्यूटीज बहुत अधिक हैं उन्हें बहुत समय तहसील में रहना पड़ता है। मुझे अपने जिले का अनुभव है कि लेखपाल अपने निजी क्लर्क रखते हैं। अपना बहुत सा कार्य वे उनसे लेते हैं। अब उसकी तनख्वाह वगैरह वे कहां से देते हैं यह पता नहीं। लेकिन उनकी बहुत सी ड्यूटीज ऐसी हैं जिनको वे खुद नहीं करते। इसीलिये यह जरूरी है कि उनके कार्यों को बांट दिया जाय और उनके कुछ कार्य को गांव सभा को दे दिया जाय और कुछ लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी को दे दिया जाय। इस तरह से उनके काम को बांट देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक दूसरा कार्य इस विभाग का हमारे प्रदेश में चकबन्दी का है। इसमें संदेह नहीं कि चकबन्दी एक आवश्यक योजना थी और उसको चलना चाहिए। चाहे हम उसकी कितनी ही नुक्ताचीनी करें, लेकिन कोई सदस्य यह नहीं चाहता कि हमारे इलाके में चकबन्दी न आये। जैसा कि उपमंत्री जी ने कहा, हम हर वक्त यह सोचते हैं कि यहां भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, तो यह अच्छा नहीं है। हमें जो कुछ आंकड़े मिले हैं उन्हें देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे क्षेत्र में चकबन्दी नहीं हुई थी, दो तीन वर्ष से अब हुई है और मैं देख रहा हूं कि चकबन्दी में आज आज किसान का भाग्य चकबन्दी से आने वाली बुराइयों से सदा के लिये बिगड़ गया। अगर चकबन्दी अफसर चाहें तो अच्छे से अच्छे किसान के बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दें। मैं देखता हूं कि एक एक चकबन्दी अफसर ३–३, ४–४ बार कागजों में तबदीली करता है और उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने तबदीली क्यों की। एक बार जब कागज बन जाय और मुकम्मिल हो जाय तो बगैर किसी दूसरे ऊंचे अधिकारी के पास गये जैसा कि आपके द्वारा, दोबारा तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद पहुंचेंगे इसी नतीजे पर।

आपने जो पुस्तिका वितरित की है जिसमें राज्य के राजस्व कार्य का विवरण है, उसमें यह दिया हुआ है कि हमारे प्रदेश में १९६ चकबन्दी आफिसर ह और ८२ अफसरों को आपने सजा दी, यानी ४१ प्रतिशत को सजा दी। हमारे यहां चकबन्दी अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी है और ४१ प्रतिशत को आपको सजा देनी पड़ी। उससे नीचे जो सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं। वह हमारे यहां २८० हैं और ४४६ को सजा देनी पड़ी, यानी साढ़े पैंतालीस प्रतिशत को सजा देनी पड़ी। तो समझिये उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर १० कसूर होते हैं तो उनमें से बमुश्किल तमाम एक साबित होता है। तो जब ४१ प्रतिशत चकबन्दी अधिकारियों को सजा देनी पड़ी और उधर साढ़े पैंतालीस प्रतिशत सहायकों को सजा देनी पड़ी तो जब ९० प्रतिशत ने गुनाह किये होंगे तब इतने पकड़ पाये होंगे। मैं क्रिटिसिज्म की निगाह से नहीं कहता, बल्कि यह एक गम्भीर परिस्थिति है। हमारे प्रदेश में ९,४३८ गांवों में चकबन्दी हुई। १ लाख गांव हैं और हम आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे ९० प्रतिशत अधिकारी खराब हैं, तो क्या आप प्रदेश के भाग्य का निर्माण ऐसे हाथों में देने जा रहे हैं ?

एक और बड़ी दिक्कत है जिसका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, वह है लगान और उसकी वसूलयाबी। जो वसूल करने जाता है उसके पास कोई विवरण नहीं होता। एक योजना जो आपने बनायी है जिसमें एक आदमी कई विभागों की वसूली करेगा, वह अच्छी है, लेकिन आपके पास पूरा विवरण होना चाहिए। आपने एक नियम बनाया कि बागों को काटने के

लिए इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन बाग इस बुरी तरह से कटे हैं कि मंत्री जी देखें, कितने कटे हैं और कितने लगे। अब इस आज्ञा को वापस ले लें। अब बाग काटना या न काटना तहसीलदार की मरजी पर न रहे।

एक बात मैं और कहूं। छोटी-सी बात है। यह जो रेवेन्यु की हवालातें हैं तहसीलों की, इनमें ईमानदार व सचरित्र आदमी आ सकते हैं। जिसने कभी कोई बेईमानी नहीं की हो, वह अगर लगान न दें, तो वहां जाना होगा और जेलखानों की हालत, जहां कत्ल तक के कैदी रक्खे जाते हैं ठीक हो गयी, लेकिन इन हवालातों की भी हुई? मैं हसनपुर तहसील की हवालात की बात कहता हूं कि अगर किसी आदमी को पेशाब लगता है तो जब वह आधा घंटा चिल्लाता है तब आदमी बाहर से आता है और ताला खोलता है और पेशाब कराता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है।

दूसरी बात, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उनके खाने की बड़ी अव्यवस्था रहती है। वह लगान न देने के कसूर में आते हैं। उनसे कहा जाता है कि १२ आने खूराक के पड़ते हैं, अगर १२ आने दोगे तो खाना मिलेगा। उसको बड़ी परेशानी होती है। १० रुपया लगान न देने के कारण जब वह बन्द हुआ है, जो कि १२ आने में सारे खानदान को खिलाता हो वह कैसे दे सकता है? ३-३ रोज तक उसको खाना नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष--श्री उग्रसेन, आपको ध्यान रहे कि आपके लिए ७ मिनट का समय है।

श्री उग्रसेन--उपाध्यक्ष महोदय, दो एक मिनट और दे दीजियेगा। अभी प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में एक माननीय मंत्री जी, जो सदस्य इलाहाबाद हैं, वह भाषण दे रहे थे कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी हटायी जाय, इसके लिए कोई खास औचित्य नहीं है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन कमेटी के समक्ष जो भूतपूर्व राजस्व मन्त्री का वक्तव्य हुआ तो उन्होंने अपने बयान में माना कि सवा छः एकड़ के खाते अलाभकर हैं। उन्होंने आगे यह नहीं कहा कि मालगुजारी जरूर ही लेनी चाहिये।

श्रीमन्, एक मिनट में, प्रदेश की करोड़ों जनता पर जो गुजर चुका है उसे बतलाना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन के पहले का जरा माननीय मंत्री जी ध्यान रखें। प्रदेश के भूतपूर्व जमींदार जो आज हैं वह पहले २४ करोड़ रुपया किसानों से लेते थे जिसमें से १७ करोड़ रुपया खुद लेते थे और ७ करोड़ रुपया सरकारी खजाने में देते थे। जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश हुआ तो सोशलिस्ट दल के नेता ने कहा था कि माननीय मंत्री जी केवल ७ करोड़ रुपया ही लें और १७ करोड़ छोड़ दें। अगर उसको माननीय मंत्री जी उस समय मान लिये होते तो अलाभकर जोतों की मालगुजारी हट जाती। मन्त्री जी ने कहा कि ७ करोड़ लेंगे और १७ करोड़ गांव समाज, जलकर मलकर और मछली न मालूम काहे काहे से लेंगे, और दो तीन करोड़ रुपया और वसूल करेंगे और उन्होंने कहा मालगुजारी में जो लीकेज हैं, उसमें डेढ़ करोड़ लेंगे, इस तरह से करीब करीब २८ करोड़ के आस पास पहुंच गया। पहले ७ करोड़ सरकार पाती थी तो सोशलिस्ट पार्टी ने सुझाव दिया कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ की जाय। पहले अलाभकर जोतों की मालगुजारी साढ़े १० करोड़ असेस की थी। वह अगर निकाल दें, तब भी साढ़े १७ करोड़ अब भी आप पाते हैं। लेकिन मन्त्री जी का पेट बहुत बड़ा है वह अभी और लेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जनता पर कौन सा अहसान कर रही है? मैं याद दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र के एक वित्त मन्त्री ने दक्षिण में एक भाषण में कहा था कि प्राफिटलेस एग्रीकल्चर पर मालगुजारी न हो, यह सिद्धान्त देश और प्रदेश में मान्य होना चाहिये। भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने स्टेटमेन्ट दिया था कि प्रदेश को साढ़े दस करोड़ रुपये की हानि होगी अगर

[श्री उग्रसेन]

अलाभकर जोतों पर से मालगुजारी हटा दी जाय और अगर यह रकम कहीं से मिल जाय तो वह हटाने के लिये तैयार हैं। दूसरे प्रान्तों में इसका स्वागत भी हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि यही हमारी मांग है और इसी को लेकर पहली मई से हमारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन होने जा रहा है। इसलिये इसमें राजस्व विभाग और सरकार का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता।

कहते हैं कि ८० फीसदी खेत अलाभकर हैं और २० फीसदी लाभकर हैं, साढ़े दस करोड़ अलाभकर जोतों से आता है और बाकी दूसरों से आता है तो इसमें क्या औचित्य है। ७ करोड़ रुपया केन सेस का सरकार के पास बकाया है और तीन करोड़ पूंजीपतियों पर इनकम टैक्स का बकाया है और इसी तरह से कई करोड़ रुपया बड़ी बड़ी योजनाओं में बह गया। तो फिर सरकार के पास क्या औचित्य है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग की जो कर-नीति है वह प्रगतिशील नीति नहीं है बल्कि सामन्तवादी नीति है। इतिहास से मालूम होगा कि शेरशाह ने इस मसले को उठाया था, उन्होंने कहा कि आखिर मालगुजारी किस आधार पर ली जाय। उसको राजा टोडरमल ने अकबर के जमाने में फसल के आधार पर सिद्धान्त को तय किया। उसी सिद्धान्त की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनाया और कांग्रेस सरकार ने भी उसी सिद्धान्त को अपनाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने कौन सा नया कदम उठाया वह जरा बता दें। इसीलिये मैंने कहा कि मालगुजारी की नीति बिल्कुल सामन्तवादी है।

दूसरी बात दुर्भिक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। उसके लिये तकावी की बात कही जाती है। बेदरिया जिले की बात करते हैं कि ४७ लाख रुपया वहां तकावी का बाकी है। माननीय गेंदासिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि सलीमपुर में २४ अक्टूबर सन् ५४ के आदेशानुसार १,८४,००० रुपये की तकाबी की माफी हुई थी। जो टैक्टर चलाते थे उनकी माफी हुई लेकिन जो गरीब बाढ़-पीड़ित थे वे वैसे ही रहे। मैंने तो माननीय राजस्व मंत्री से कई बार निवेदन किया, पत्र भी लिखता रहता हूं, उनकी कृपा होती है और उनका जवाब भी समय से मिल जाता है। माननीय मंत्री जी देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में गये होते तो ११,६ और २१ तारीखों का ओला नहीं पड़ता। हमारे गोरखपुर बस्ती को आपने अपने प्रोग्राम से निकाल दिया और बादलों को इशारा कर दिया जिससे वहां सब नष्ट-भ्रष्ट हो गया। तारीफ यह है कि माननीय मंत्री जी भी भुक्तभोगी हो गये और बहराइच में भी भीषण वर्षा और ओला पड़ा। देवरिया के कलेक्टर ने मुझसे कहा कि क्यों उग्रसेन जी, ४०० गांवों में ओला कहां पड़ा। मैंने कहा कि आप के बंगले में नहीं पड़ा होगा।

जो जमीन नदियों से निकल कर इधर उधर जाती है उसका मंत्री जी सर्वे करा रहे हैं। मेरे यहां पैना और तेलिया में सर्वे हो रहा है और बड़ी मुकदमेबाजी हो रही है। इससे किसान, गरीब किसान, पिटे जा रहे हैं।

लगान की वसूली की बहुत बात आई। सीतापुर के डाक्टर अवधेश बैठे हुये हैं। इन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार ने लोगों को पकड़ कर खूंटे में बंधवाया और उनको खाने को घास दी। कानूनगो के खिलाफ शिकायत थी तो उन्हें नायब तहसीलदार बना दिया। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वह कीचड़ गंगोत्री और जमनोत्री से जमा है। उसके लिये हमारे यहां शायद स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कहने से सरकार बुरा भी मान जाती है।

हमारे पूर्वी जिलों में भूमिहीनों की समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। क्यों नहीं ९०,००,००० एकड़ जमीन जो फालतू पड़ी हुई है उसे गरीबों में बांट देते हैं? लैन्ड टू दी टिलर (Land to the Tiller) के ऊपर अगर यह विभाग कार्य करे तो इसका सब काम ठीक हो सकता है। वरना तो बड़ी मुश्किल है कि आगे चलकर हम किसानों का क्या होगा। इसका उपचार माननीय मंत्री जी अपने भाषण में बतलायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत समझ बूझ कर देवरिया की बात कहना कम कर दिया है । जिन महानुभावों ने इस विवाद में हिस्सा लिया और जो सुझाव पेश करने की कोशिश की या मेरी आलोचना भी की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मुझे माननीय रामलखन जी की उक्तियों से कुछ आश्चर्य हुआ । जिस भाषा और टोन में वह बोल रहे थे आमतौर से उस तरह से नहीं बोलते हैं । मैंने देखा कि वह बड़े नाराज मालूम हो रहे थे माननीय माल मंत्री जी के ऊपर । इसलिये नाराज मालूम हो रहे थे कि माननीय माल मंत्री जी ने उधर का दौरा किया और उससे कुछ उन्हें ऐसा दिखलाई दिया कि लोगों को छूट मिल जायगी । छूट की चर्चा उन्होंने की । छूट उनको मिलेगी जो दाने-दाने को तरसते हैं और जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, फसल बरबाद हो गई है । उसके बाद भी उनसे यदि लोटा-थाली बिकवाकर मालगुजारी लेंगे तो वे बड़ी बददुआ देंगे ।

मैं समझता हूं इस पर सोचना चाहिये और इसलिये नाराज माननीय मंत्री जी से नहीं होना चाहिये । एक बात जरूर हुई कि माननीय मिश्र जी की नाराजगी से माननीय माल मंत्री जी को इधर के लोगों की सहानुभूति अवश्य प्राप्त हो गयी । मैंने देखा कि उसके बाद कई माननीय सदस्य अपने को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा कि हम माननीय मंत्री जी के काम की सराहना करते हैं । यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने बड़े साहस से काम किया । उन्होंने सोचा कि आखिर सदन में तो जवाब देना ही पड़ेगा । २-३ दिन हाउस से गैर-हाजिर हो जायं । लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं भी माननीय मंत्री जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने और मंत्रियों के लिये भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर में कितनी तत्परता दिखायी जा सकती है ।

श्री गेंदासिंह---जब आप ही अनुग्रहीत हैं तब तो सभी अनुग्रहीत होंगे ही । उसके विरोध में कोई कैसे कहेगा । लेकिन यह जरूर है कि यह बड़ा पवित्र काम हुआ और जिले के अधिकारी उससे सबक लें तो अच्छा होगा ।

मिश्र जी ने कहा कि कागजात की दुरुस्ती हो रही है और वह चकबन्दी के जरिये दुरुस्त हो रहे हैं । तो इस प्रकार से तो हमारी और उनकी जिन्दगी बीत जायगी क्योंकि चकबन्दी तो बहुत दिनों में हो पायेगी । जहां चकबन्दी हो रही है वहां तो कागजात की दुरुस्ती हो रही है तो क्या जहां नहीं हो रही है वहां के लोगों को कागजात की दुरुस्ती कराने का कोई अधिकार है या नहीं ? इस पर मिश्र जी को सोचना चाहिये और सरकार को सलाह देनी चाहिये क्योंकि मिश्र जी को मैं उन मेम्बरों में से समझता हूं जिनकी राय की कुछ कद्र है ।

मैं शुक्ल जी को एक सलाह दूंगा कि वे इस समय जिस तरह की गाड़ी रखे हुए हैं उस तरह की न रखें । वे लैन्ड रोवर या जीप रखें और उससे सफर करें । अगर वे लैन्ड रोवर या जीप में सफर करेंगे तो जिले के आफीसरों से हम कह सकेंगे कि अगर आप घोड़े पर सफर नहीं करेंगे तो निकाल दिये जायेंगे । मैं मंत्री जी को सलाह दूंगा कि कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर आदि को यह लाजिमी कर दिया जाय कि वे साल में २०० या ४०० मील घोड़े पर अवश्य दौरा करें । अगर कोई अफसर ऐसा न कर सके तो उसको हर्गिज भी ऐसी जगह न रखा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

शुक्ल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की बाबत अगर कहा जायगा तो बाहर के लोग क्या कहेंगे ? वे कहेंगे कि ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन हम क्या कहें, वे ही हमें रास्ता दिखा दें ? लेखपाल चार आने के बजाय १०-१० और २०-२० रुपया वसूल करता है तो क्या कहें कि नहीं वह चार आना ही ले रहा है ताकि बाहर के लोग कहें कि वह बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन गांवों के आदमी जिनके वोट से हम यहां आते हैं क्या कहेंगे ? हमें तो सही तस्वीर ही रखनी चाहिये, गलत नहीं।

मैं यह आदरपूर्वक कह देना चाहता हूं कि अगर अपनी सरकार के जमाने में भी हम लेखपालों की जहनियत नहीं बदल पाये तो कर क्या पायेंगे। उसको तो इस काम के लिये हमने रखा है कि वह गांव वालों की खिदमत करे। वे गांव वालों की खिदमत करने के बजाय उन पर अपना रोब गालिब करते हैं। मैं इस बात को नहीं पसन्द करता कि वे गांव वालों पर अपना रोब गालिब करें। सरकार को उन्हें बतलाना चाहिये कि वे अपने को जनता के सेवक समझें। शुक्ल जी की इस जहनियत से मैं समझता हूं कि उनको रिश्वत लेने में बल मिलेगा और वे लोगों को तंग करेंगे।

अलाभकर जोतों के बारे में मैं बहुत नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस सम्बन्ध में कहा है। मैं कुछ और न कह कर ठाकुर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी अबालेशन कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को वह देखें तो उनमें लिखा हुआ है कि १० एकड़ से नीचे के किसानों की मालगुजरी में छूट होनी चाहिये। वह कमेटी कोई हमारी नहीं है बल्कि वह उन्हीं बुजुर्गों की है जो आज यहां से दिल्ली तक बैठे हुये हैं। तो इन बातों को देखकर आप सोचें और कृपा करके मालगुजारी में छूट दें और दूसरी जगह से उस कमी को पूरा करें तो बहुत अच्छा हो।

कुमायूं जमींदारी एबालीशन विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि मैं विष्ट जी से बिल्कुल डिस्एग्री करता हूं और मैं समझता हूं कि जमींदारी का नाम इस देश में कहीं नहीं रहना चाहिये। कुमायूं जमींदारी एबालीशन बिल को जल्दी से जल्दी लाकर पास करना चाहिये।

तराई भावर के सम्बन्ध में जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि वहांके किसान जिन्दा रहें तो, जो सालों से जमीन को जोते हुये हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार को एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये। उसे बेदखल नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो जमीन जोते उसे जमीन दी जाय इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। एक सवाल हमने उठाया था उसका कोई जवाब शुक्ल जी ने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब लोगों की कमर में रस्सी लगायी गयी परन्तु कितने ऐसे बड़े बड़े लोगों की कमर में रस्सी लगाने की धमकी भी दी गई जिनके ऊपर बड़ी बड़ी रकमें बकाया हैं ? एक भी उदाहरण शुक्ल जी देदें कि उन्होंने एक भी मिल मालिक के खिलाफ उंगली तक उठाने की हिम्मत की जिनके खिलाफ लाखों और करोड़ों रुपये बकाया हैं। लेकिन जो गांवों में आप के और शुक्ल जी के खैरख्वाह लोग लाखों की तादाद में हैं जिन्होंने उनको वोट दिया और अपना प्रतिनिधि बना कर यहां भेजा उनकी कमर में जरूर रस्सी लगती है, उनके ऊपर मार पड़ती है, उनके बैल खोले जाते हैं और जब भ्रष्टाचार की बात सदन में कही जाती है तो शुक्ल जी उसका कोई जवाब नहीं देते। मैं समझता हूं कि उनको इस पर सोचना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का विवाद ऐसा हुआ है जिसके लिये मैं मजबूर हूं कि अपने तमाम साथियों, जो इधर बैठे हुए हैं और उधर बैठे हुये हैं, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करूं। हमारे मित्रों ने बड़ी सावधानी के साथ अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं और आज के विवाद की पिकुलियरिटी यह है जिसे मेरे ख्याल में आप

ने भी मार्क किया होगा कि यह अनुदान शुरू हुआ श्री राज्यपाल के नाम से और बहस खतम हुई लेखपाल के नाम से। दो ही इम्पार्टेन्ट फीगर्स रहे इस डिबेट में।

हमारे कुछ मित्रों ने करप्शन की बात कही। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता हूं कि इतने बड़े विस्तृत विभाग में जिसमें लेखपाल से लेकर कहां तक के सब लोग काम करते हैं, लाखों की तादाद में काम करते हैं, उनमें सब दूध के धोये हुये नहीं हैं। उनमें त्रुटियां हैं और उनको हमें और आप को रफा करना है। इस बात से तो जरूर सिद्ध हुआ जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि यह जो किताब विभाग की तरफ से दी गयी है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को सजा, तनज्जुली या उनकी सर्विस कम की गई है। तो इस तरह से यह कहा गया कि हमने खुद तसलीम किया है कि हां, है।

हम कब इन्कार करते हैं लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, हम ने खुद साफतौर से बताया है कि कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई, कितनों को बरख्वास्त किया गया, कितनों को रिवर्ट किया गया, कितनों को ससपेंड किया गया, इस सब से इस बात का अन्दाजा हो सकता है कि हमारा प्रयास करप्शन को मिटाने के लिये है। हमारे माननीय सदस्य जैसा कहते हैं कि करप्शन हर विभाग में विकट रूप धारण किये है और उनकी बात ठीक है तो वह करप्शन मेरे एक आदमी के हटाने से नहीं मिटेगा। वह मिटेगा तब जब हमारा आप का सब का सहयोग होगा क्योंकि मेरा ऐसा खयाल है और सही खयाल है कि एक्सटारशन को तो हम रोक सकते हैं लेकिन वालंटरी ब्राइब को हम नहीं रोक सकते। कोई खुले मैदान किसी को झुका कर रिश्वत लेता है तो हम मुकदमा चला सकते हैं साबित कर सकते हैं और सख्त सजा भी दिला सकते हैं लेकिन जो अपना निजी लाभ उठाने की गर्ज से २ बजे रात को अफसर की जेब में जाकर रुपया डाल आता है, न जिसका जिक्र देने वाला करता है न लेने वाला करता है उस करप्शन को हम नहीं रोक सकते। कमजोरी वह आफिसरों में भी है और देने वालों में भी है।

ऐसे तो हमने बहुत कम देखे हैं कि जो जेब से रुपया निकाल कर फेंक दें ऐसे तो लाखों करोड़ों में दो चार ही होंगे। इसलिये इस दिशा में हमारा आप का सब का प्रयास होना चाहिये, जब तक हमारा आम नैतिक स्तर नहीं उठेगा और लोग खुद ही गलत लाभ उठाने के लिये रुपया देना बन्द नहीं करेंगे चाहे फांसी पर ही क्यों न चढ़ा दिये जायं तब तक हम एक्सटारशन को भले ही काफी हद तक रोक ले लेकिन वालंटरी ब्राइब को रोकना किसी के काबू की बात नहीं है। शिकायत होती है तो इन्क्वायरी बराबर करायी जाती है। यह जो बुकलेट में ब्योरा दिया है कि ऐक्शन लिये गये यह सब शिकायतों पर ही तो हुआ है। बाकी अगर शिकायत आये और उसका आधार न हो सबूत न हो तब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि शिकायत हो और इन्क्वायरी न हो। मैं तो स्वयं सरप्राइज विजिट या दौरा करके मामले पकड़ने की कोशिश करता हूं। कलेक्टर भी मेरे आदेश से करेंगे, अगर वह नहीं करते तो मेरे पास दरख्वास्त दी जाय मैं आप को दावत देता हूं।

माननीय गेंदा सिंह जी ने यह शिकायत की कि भूमिधरों को रहन दखली का हक नहीं दिया गया है केवल बैनामा करने का हक है लेकिन वह सबजेक्ट टु सरटेन लिमिटेशन्स है। उस वक्त जब कानून बन रहा था माननीय गेन्दा सिंह भी थे, मैं तो था ही, असिल बात यह थी कि जिसकी जमीन है उसके पास रहे और जमींदारी विनाश इसीलिये किया गया था कि बड़े-बड़े मोटे आदमी यह सब जमीन ग्रैप कर लेते हैं और असिल जोतने वालों के पास कुछ नहीं रहता।

जमींदारी अबालीशन इसलिये किया गया था कि जिस के पास जमीन है वह उसके पास रहे, यह सिद्धान्त माना गया था, यहां तक कि शिकमी देने का अधिकार भी नहीं रखा था, साझे का था केवल। इसलिये ऐसी बन्दीशें की गई थीं कि अगर रेहन दखली का हक होगा तो

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

कानूनी शक्ल ऐसी हो जायगी कि जमीन निकल जायगी। इसलिये केवल सिम्पिल रेहन का अधिकार दिया गया था और वह अब भी है। वह मुन्तकिल करना चाहता है, रुपया लेना चाहता है, हम नहीं चाहते कि उसकी जमीन निकल जाय, जमीन निकल गई, तो कहां से आयेगी, वह अब सब खत्म हो रही है जो निकलेगी भी वह अब सीलिंग के बाद खत्म हो जायगी। तो वह कर्जा लें, उन्हें कर्जा लेने में रुकावट न पड़े और सिम्पिल मार्गेज कर दें। अगर देंगे नहीं तो आप ही नीलाम हो जायगी, तब तो मजबूरी है। तो नीलाम के डर से वह रुपया दे देंगे। तो उनके पक्ष में नहीं है कि बिना किसी रुकावट के सेल करने का अधिकार दे दिया जाय। सिम्पिल मार्गेज किया जाता है, बयनामा करने का अधिकार है बशर्ते की साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा न हो, ऐसे ही कुछ लिमिटेशन्स हैं। भूमिधर को राइट आफ ट्रांसफर है, सीरदार को नहीं है। लेकिन हम तो सीरदार को भी करना चाहते हैं कि कम से कम मार्गेज बैंक में दे करके कुछ रुपया हासिल कर ले और अपनी खेती की तरक्की कर सके।

लगान की वसूली के सम्बन्ध में कहा गया कि बड़े बड़े मिल ओनर्स के रस्सी नहीं लगायी गई, छोटे लोगों के लगा दी जाती है। जानते तो हम भी नहीं कि रस्सी लगायी गई, ऐसी नौबत नहीं आने देते हैं, कोई न कोई रिट दाखिल कर देते हैं और उससे रुकावट हो जाती है। सेस वाले मामले में प्रिवी काउन्सिल तक लड़ते रहे। तो ऐसी ऐसी तरकीबें वह लोग कर लेते हैं, किसान बेचारा नहीं कर पाता है। लेकिन एक दिक्कत हमारी और है कि हमारी ड्यूटी बड़ी पेनफुल है। यों तो अगर आप किसानों के बड़े खादिम हैं तो हम भी छोटे खादिम हैं .....

श्री मोतीलाल अवस्थी—असेम्बली में रह कर ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी, असेम्बली और कांग्रेस, दोनों में रह कर। स्कूल में रह कर नहीं। तो हम यह थोड़े ही चाहते हैं कि उनको तकलीफ पहुंचावें। लेकिन जो ड्यूटी हमारी है .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मन्त्री जी कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं, आप लोग बीच में रोकेंगे तो दिक्कत होगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो ड्यूटी बड़ी पेनफुल है और खासकर कुछ जिले ऐसे हैं जहां लोग देना नहीं जानते। जब २५ लाख रुपया तकावी माफ कर दी गई उसके बाद से जो देने वाले थे वह भी नहीं देते हैं, वह सोचते हैं कि रोके रहो शायद वह भी माफ हो जायगी। तो जब ऐसी मेंटेलिटी हो तो हम क्या करें ? जो लोग वाकई नहीं दे सकते उसको हम कंसीडर भी करते हैं और जिलाधीशों को ऐसे आदेश भी हैं। लेकिन जो देने की स्थिति में होते हुये भी नहीं देते हैं तो वारन्ट जारी करना पड़ता है।

चौधरी साहब ने कहा पुराने जमाने में बड़ा अच्छा तरीका था। इस वक्त बहुत खराब है। जब जमीन्दार थे और किसानों को मुर्गा बना कर पीठ पर ईंटा रख दिया जाता था वह तरीका उनके खयाल से अच्छा था और जो तरीका आजकल है वह उन्होंने खराब बताया। तो मैं पुराने तरीके को अच्छा नहीं समझ सकता। आप बतलाइये, हम तो घास खिलाते थे, तब तो पत्थर खिलाते थे। मैंने सिधौली के मामले की इंक्वायरी कराई, बिलकुल निराधार साबित हुई। घास का किस्सा बिलकुल गलत है। मेरे एक मित्र थे उन्होंने दूसरे के नाम से तकावी ली और ले ली खुद और जब खुला मामला तो देने से कासिर। जब परेशानी हुई तो यह लगा दिया कि घास डाली। भला आज के जमाने में ऐसा हो सकता है, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स करेगा और हम मान लें कि सही है तो वह सही सलामत अपनी जगह पर नहीं रह सकता। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी बात डेमोक्रेटिक सेटअप में हो नहीं सकती। जरा सी बात पर तो सवाल जवाब होने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो तूफान बन्ध जाता है। फिर हमारे नायब तहसीलदार अगाड़ी-पिछाड़ी बांध कर घोड़ा बना कर घास डालें और खिलायें यह हो नहीं सकता।

लैंड रिकार्ड के बारे में शिकायत हुई। वाकई लैंड रिकार्ड गलत है ।बड़ी शिकायतें हैं जमीन्दारी एबालीशन के सिलसिले में। एक किस्म से कयास था। जमीन्दारी टूटने पर ज्यादातर जमीन्दारों ने दूसरों के नामों से अट्टे पट्टे लिखे और काबिज हो गये। वे दुरुस्त नहीं हुये। चकबन्दी के सिलसिले में एक, एक तहसील में लाखों गलतियां निकलती हैं। चकबन्दी में करेक्शन हो रहा है और लैंड रिकार्ड सर्वे भी हमारा हो रहा है, पहाड़ों में सेटिलमेंट हो रहा है और प्लेन्स में लैंड रिकार्ड आपरेशन कर रखा है। उसके जरिये से करेक्शन हो रहा है। इससे रेकार्ड ठीक हो रहा है।

बहुत सी जमीनें बाग की ऐसी हैं जो बाग नहीं रहीं और ७, ८ वर्ष से उनको जोता जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है। मालगुजारी से वे मुस्तस्ना थीं। उनका भी रेकार्ड हो रहा है और मालगुजारी एसेस हो रही है। लेकिन चूंकि उनका ७, ८ साल का इकट्ठा लगान देना मुश्किल हो जायगा इसलिये मैंने यह आदेश दिया है कि करेन्ट ईयर का और एक साल पिछला बकाया देते रहो। इस तरह से वे धीरे धीरे अदा कर दें तो उनको ज्यादा जहमत नहीं होगी और सरकारी मालगुजारी भी वसूल हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--७ साल बाद कैसे मालूम हुआ कि अब बागों पर लगान लगना चाहिये, पटवारी आप के सोते रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब मालूम हुआ तब से एसेस किया। लेखपाल खराब हैं आप ही लोग शिकायत करते हैं। मिला लिया होगा और किसी तरह से रेकार्ड नहीं होने पाया। जब चीज मालूम हो गयी तो एसेस किया जा रहा है। लैंड रेकार्ड का काम इस तरह से हो ही रहा है। एक बात और कही गयी--भाई उग्रसेन ने नहीं कहा कि टेस्ट वर्क में जुरमाना हुआ। यह हमारे भाई गेंदासिंह ने कहा था। जुरमाना नहीं हुआ। शायद उनकी जानकारी में कुछ कमी है। बात यह है कि एक सिस्टम ऐसा था कि १० आने रोज बेलदार को, ८ आने रोज मिट्टी डालने वाले को और ६ आने रोज उन लड़कों को जो काम कर सकते हैं, दिये जायं। एक दूसरा सिस्टम यह था कि ७ रुपया प्रति हजार घन फुट मिटटी खोदने के हिसाब से दिये जायं। देवरिया और गोरखपुर में यह सिस्टम चलाया गया। उसमें यही होता है कि गांव समाज को रुपया दे दिया जाता है और प्रधान के जरिये सब मजमुआ नाप कर रुपया बंटवा दिया जाता है। तो देवरिया जिले में कम काम किया गया। उसी हिसाब से उनको कम पेमेंट हुआ। कोई जुरमाना नहीं हुआ। लेकिन उग्रसेन जी ने शिकायत की तो मैंने जांच करवायी थी। मैंने देखा कि देवरिया के लोगों को यह सिस्टम सूट नहीं करता है तो मैंने कहा कि वही पुराना तरीका कर दो।

श्री उग्रसेन--आर्डर यही हुआ था कि जुरमाना हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह तो अनाड़ियों की बात है पढ़े लिखे लोग उसे जुरमाना नहीं कहेंगे।

एक बात यह कही गयी और उस पर बड़ा जोर दिया गया कि कलेक्शन की एजेन्सी कौन हो। हमने एक्सपेरीमेंट किया था और सन् ५३ में २८७ या कितनी गांव पंचायतों को आफर किया था। उसमें से १२७ या १२९ ने उस आफर को ऐक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद क्रमशः यह नम्बर कम होता गया। दरियाफ्त करने से पता चला कि यह एक 'थैंकलेस जाब' है, गांव में अगर कोई अड़ियल असामी हो जाय तो कौन प्रधान मार खाये। बड़ी दिक्कत उसको पड़ती है। गांव में पार्टीबन्दियां हैं। तो अव्वल तो गांव पंचायतें राजी नहीं होतीं और उनको वसूल करने में बड़ी दिक्कतें हैं। और यह एक इतना बड़ा काम है कि इसका एक्सपेरीमेन्ट करना मुश्किल है और बड़े खतरे का एक्सपेरीमेंट है। ऐसी हालत में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि छट के इन्तजार में जो लोग दे सकते हैं वे भी

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

देने के लिये तैयार नहीं हैं । तो ऐसी हालत में जब हम ही वसूल न कर पायेंगे तो बेचारे प्रधान क्या करेंगे । ऐसा न हो कि कत्ल होने लगें । अभी चलने दीजिये, हम कतई उनको बैन नहीं करना चाहते लेकिन सरेदस्त उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डालना उनके साथ ज्यादती करना होगा । थोड़ा लोगों को पढ़ लेने दीजिये । बहुतों के लिये तो हिसाब किताब रखना मुश्किल है और जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा लेखपाल उनके ऊपर हावी हो जाते हैं । हम देखेंगे, जैसे जैसे हमारी पंचायतें डेवलप होंगी, ज्यादा एफिशेन्ट होंगी तो हमको यह करने में भी एतराज नहीं होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---रेवेन्यू का कुछ हिस्सा गांव पंचायतों को दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---मौका आयेगा तो देंगे और फिर उनका तो सब है ही, कोई मेरे अख्तियार में है ?

हमारे कुछ मित्रों ने इशारा भी किया कि मैं कुछ कह दूं अब की साल मानसून बड़ी देर से आयी । कहीं कम हुई कहीं ज्यादा और ज्यादा तो कम हुई, कम ही अधिक हुई जिसकी वजह से खरीफ की बुवाई पर भी असर पड़ा । सितम्बर के मध्य तक वर्षा बहुत कम हुई क्योंकि मुझे खयाल है कि सितम्बर के महीने में मैं ड्राट के सिलसिले में गया था लेकिन सितम्बर के आखिर हफ्ते में और अक्टूबर के पहले हफ्ते में बारिश ठिकाने की जगह ब जगह हो गयी तो इससे लेट पैडी को काफी फायदा हो गया और रबी की बुवाई में काफी सहूलियत हो गई । लेकिन खरीफ की फसल को बहुत नुकसान हुआ । जो रिलीफ मेजर्स दिये गये हैं उनको दुहराने की आवश्यकता नहीं है । अभी तक १ करोड़ २७ लाख के रेमीशन्स ३३ जिलों से आये हैं । इस तरह से हम समझते हैं कि काफी तादाद में सहायता दी जा रही है और इस दर्मियान में जो भी सहायता दी उसको क्या दुहराऊं, आप सब लोग जानते ही हैं । मैंने इतनी जल्दी की कि शायद ऐसा कभी न हुआ हो । मैंने सारे गवर्नमेन्ट ड्यूज की वसूलयाबी को स्टे कर दिया । मैं समझता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की। हमने कर दिया जो आप चाहते थे । इसके बाद छूट वगैरह का भी हम कर रहे हैं । इस तरह से जहां तक हम से हो सकता है, हम करते हैं । ओला, पानी को हम नहीं रोक सकते हैं, हम क्या कोई भी नहीं रोक सकता है ।

अब इस सिचुयेशन का मुकाबला करना है और परसों रात को १२ बजे तक मैंने कलक्टरों को फोन किया और तार भी चलाये । शाम को ओला पड़ा और रात को ही मैंने खटखटाना शुरू कर दिया तो इतनी जल्दी खबर नहीं आ सकती थी । अभी तक खबरें आ रही हैं इसलिये मैं डिटेल में नहीं कह सकता हूं । लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रयास इधर हुआ । इसमें कोई हैरानी और परेशानी की बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इस भावना को निकाल दिया जाय कि हमारे कलक्टर और मातहतान नुकसान को अन्डर ऐस्टीमेट करेंगे । एक्चुअल तो कोई नहीं जान सकता क्योंकि वह तो एक गैस वर्क होता है । लेकिन जहां तक होगा वह ठीक ही नुकसान का तखमीना करेंगे, कोई खसीस नहीं हूं । वह कंजूसी क्यों करेंगे ।

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह सही तखमीना करेंगे । गवर्नमेन्ट नुकसान बरदाश्त करने के लिये और सहायता देने के लिये तैयार है । यह बात मैं कह सकता हूं। आप यकीन करें या न करें यह बात दूसरी है । लेकिन हमने ऐसा किया । मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे कलक्टर भी बहुत एक्टिव हैं और जब मिनिस्टर पहुंच जाता है तो वह इनएक्टिव नहीं रह सकते । यह बात दूसरी है जैसा पद्मकर लाल जी ने कहा कि कलक्टर बंगले तक से नहीं निकला । हम कहते हैं कि वह भी नहीं निकले और वह लखनऊ चले आये । हम से जब कसूर हो सकता है तो कलक्टर से भी हो सकता है। अगर आप गये होते तब तो शिकायत करने का आपको हक था कि कलक्टर नहीं मिला या बंगले से

नहीं निकला और आप लखनऊ चले गये। जब मैं पहुंचा तो हर एक गांव में वह मेरे साथ गया। नहीं गया कह देना दूसरी बात है। हम को जितने कलेक्टर, एस० डी० ओ०, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो मिले सबको स्टिर अप कर दिया।

कंसालिडेशन के बारे में बात कही गयी। मैं बड़ा आभारी हूं, भाई दीपंकर और अपने साथियों का। यह कंसालिडेशन का काम जो है, जब मैं माल मंत्री हुआ तो सबसे ज्यादा इस काम से नावाकिफ था क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन मैंने ऐक्ट और रूल्स को पढ़ना शुरू किया। लोगों ने बहुत बहकाने की कोशिश की कि यह गड़बड़ है, वह गड़बड़ है। जानकारी थी नहीं, तो न हां कहता था, न न कहता था। धीरे धीरे जब मैंने जानकाब हासिल करली तो एक साहब आये कहने लगे कि हमारे जिले मेरठ में चकबन्दी हुई थी, तो नियम गड़बड़ थे, अब नियम अच्छे हो गये हैं लिहाजा दोबारा करवा दीजिये। वह एक कालेज के प्रिंसिपल थे। अवस्थी जी सुन लें। पढ़ाते थे, हम को भी पढ़ाने आये थे। हमारे देहात में एक मसल है 'गबद्दा दर्जी दिन भर सिये और रात भरि उल्झे'। हमने चार वर्ष में चकबन्दी की और फिर चकबन्दी करें। यह काम मैं नहीं कर सकता। तब लोग समझने लगे कि इन्होंने जानकारी हासिल कर ली है। अब मेरे पास मुश्किल से महीने में दो, एक शिकायतें आती हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वह कोई कांग्रेसी होंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह कानपुर के लगभग के थे।

हमारे कुछ भाइयों ने भी कहा है कि शिकायतें कम आती हैं। नो न्यूज इज गुड न्युज (No news is good news) नहीं तो आजकल के जमाने में हवन करने लगो तब भी शिकायत कर दें। फिर शिकायतें क्यों कम न आयें? हमारे कंसालिडेशन कमिश्नर और उनके यहां का जो ऊपर का स्टाफ है बहुत ही योग्य है। दो, एक शिकायतें मेरे पास आयीं। मैंने भेजा। वैसे सब जानते हैं कि जुडीशल प्रोसीडिंग्ज हैं। हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रोज यहां कहा जाता है एक कटमोशन भी रामशरण यादव जी का था। वह कहते हैं कि तमाम लोगों ने अफसरों के फैसले के खिलाफ दरख्वास्ते दी हैं। वहां से जवाब आ गया मेरे पास (श्री रामशरण यादव के खड़े होकर कुछ कहने पर) जरा सुनिए तो अभी मैंने कहा ही क्या। असली बात तो अभी कही ही नहीं मैंने। अब आप कहते हैं कि उसमें दखल दीजिए उनके फैसले में और वह जुडिशियल प्रोसीडिंग है।

यहां रोज नारा लगता है और परसों लगेगा कि सेपरेशन आफ जुडिशियरी ऐंड एग्जीक्यूटिव होना चाहिये। तो यहां तो सेपरेशन आफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का नारा लगाया जाय और वहां हमसे कहा जाय कि उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐज ए मिनिस्टर दखल दीजिए। तो मैं तो डरता हूं कंटेम्प्ट आफ कोर्ट से, माननीय राजनारायण जी समझते होंगे, मैं तो उससे डरता हूं। वह प्रैक्टिसिंग लाइयर हैं, शायद न डरते हों लेकिन हम तो डरते हैं भाई। तो इस तरह की बातें हैं। (व्यवधान) हां कंसालिडेशन का भी है। उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। यह काम ही कुछ ऐसा मुश्किल है क्योंकि हर एक का अपने खेत बाड़ी से असोशियेशन होता है। जब छूटने लगता है तो कहता है कि हमारे दादा के समय से चला आ रहा था। तो काफी दिक्कतें आती हैं। और ७५ फीसदी तो कमी बेसी हो ही सकती है वैल्यूएशन में। ऐसी हालत में कुछ लोगों को नागवार भी गुजर सकता है और उसका अपोजीशन भी हो सकता है। लेकिन उनको समझाबुझाकर के काम किया जा सकता है। मुझे मालूम है मिसाल एक जिले की कि एक साहब ने दरख्वास्त दी थी कि हमको खराब से खराब दे दिया जाय लेकिन एक चक दे दिया जाय। तो उनको नार खोह मिलाकर एक दे दिया गया। ऐंड ही इम्प्रूव्ड इट (and he improved it)

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अब जैसा हमारे माननीय रामशरण जी यादव ने कहा--एक कोई सक्सेना थे, कोई सी० ओ० थे या क्या थे, उनका काम खराब था। उनको हमने रिवर्ट कर दिया कि जाओ कानूनगोई करो जाकर। उसके बारे में वह कहते हैं कि अच्छी एंट्री तो भेजी ही नहीं गई उनको। सब खराब ही खराब भेजी गई। तो हम कहते हैं कि जब सब खराब ही खराब एंट्री है तो अच्छी हम कहां से भेज दें। उनके काम की जांच अफसरों ने की तो बहुत खराब पाया। तो फिर रिवर्सन न हो तो क्या तरक्की होगी ? जब आप मालिक हों तो कर दीजिएगा तरक्की। हम तो यही करेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---कुमायूं जमींदारी एबालीशन का भी कह दीजिएगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुमायूं जमींदारी एबालीशन बिल हम बहुत जल्दी ला रहे हैं। आप घर नहीं जाने पायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---अमेंड करके लाइयेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अमेंड आप करेंगे। हम क्यों करें? इतने दिन से एम० एल० ए० हैं और अमेंड हम करेंगे ? ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से आ गया है। अब यहां अमेंड करेगा तो सदन करेगा। (व्यवधान) वह तो है सदन के सामने। उसको जगह नहीं मिलती है। अब की जगह मिलेगी भगवान की दया से। वह आ चुका है और पेश हो चुका है।

श्री उग्रसेन---एजेंडे पर हमेशा वह अन्त में छपता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, इस चीज को तो आप जानते हैं और हम जानते हैं, और लोग तो इसको समझते नहीं।

इसके बाद सीलिंग वाला बिल जो है २५ तारीख तक वह भी आ जायगा। हमने काम कर दिया है। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। अगर पास होने में आप जल्दी कर दें तो हम इसी जुलाई से लागू कर दें (व्यवधान)।

नगरों के अन्दर जो जमींदारी है उसके लिए सारे सूबे में जितनी यूनिट्स हैं म्युनिसिपल बोर्डो की उनका हम डिमार्केशन करा रहे हैं और करीब करीब सौ या दो सौ --आप जानते ही हैं मुझे आंकड़ा ज्यादा याद नहीं रहता --तो सौ या दो सौ के करीब यूनिट्स में डिमार्केशन करीब करीब मुकम्मिल हो गया है और बाकी का हो रहा है। डिमार्केशन जब तक न हो तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जिस जिस में मुकम्मिल होता जायगा उसमें हम उसे लागू करते जायेंगे। उसमें और ज्यादा देर होने की गुंजायश नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जैसे चकबन्दी कमेटी बना दी है वैसे ही एक सेटिलमेंट कमेटी भी बना दीजिए।

श्री हुकुमसिंह विसेन---चकबन्दी कमेटी जैसी बनी है उसको चलने दीजिए। जैसा मैंने कहा सब काम खैर सल्लाह चल रहा है। तो उसमें कोई हेरफेर मैं नहीं करना चाहता। इन शब्दों के साथ जिस मूड में हमारा हाउस इस समय है उसको मैं बरबाद नहीं करना चाहता। गेंदासिंह जी से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने इतने तो काम करने हैं और रुपया कम करते जा रहे हैं तो काम कैसे करेंगे ? इसलिये अपनी कटौती को वह वापस ले लें तो अच्छा है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---मैं आपकी आज्ञा से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक ऐसे ढंग से इस आदरणीय सदन में भ्रम पैदा करने की चेष्टा की है कि जैसे बड़ी कोई खास बात थी। किसने और क्यों इस प्रकार की

लेखपालों का यह हाल है कि बाप मर जाये तो बेटे का नाम नहीं लिखेंगे। पुराने जमाने के डिप्टी क्लेक्टर, क्लेक्टर और कमिश्नर को कुछ घोड़े पर चढ़ने की आदत होती थी, कुछ कमर मरदानी जरूर होती थी। लेकिन अब जो क्लेक्टर व डिप्टी क्लेक्टर होते हैं, जो कुछ भी हो, वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। उनके लिये गाड़ी चाहिये। गाड़ी भी जीप न हो, गाड़ी कुछ ऐसी हो जिसके गद्दों में वे डूब जायें। लेकिन गांव की मेड़ पर यह गद्दे वाली गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिये परताल गलत रहेगी। मैंने बड़े बड़े अंग्रेज कमिश्नर देखे, वे घोड़े पर चढ़ कर २०, २५ मील सबेरे भागते थे और उस वक्त आप देखते कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार तथा डिप्टी क्लेक्टर की हालत क्या होती थी और कागजात की दुरुस्ती कैसे होती थी।

मैं ने एक क्लेक्टर से कहा कि नाव पर बैठ जाइये। उन्होंने कहा कि क्या आज ही तक आप मुझे जिन्दा रखना चाहते हैं। मैं क्या कहूं, नाम उनका नहीं लेना चाहता। उनके दिल में गड़बड़ी होने लगी। जवाहरलाल जी जिस वक्त नैनीताल गये तो वहां के क्लेक्टर, डिप्टी क्लेक्टर तथा डी० एस० पी० ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और यह चाहा कि जवाहर लाल जी उस रास्ते से न जायं, जो घोड़े का रास्ता है, बल्कि उस रास्ते से जायं जिस रास्ते से घोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं जरा उनको मरदाना रखना चाहता हूं। आप लोगों को तो मैं घोड़े पर चढ़ना पसन्द नहीं करता लेकिन मोटर में आप लोग चढ़िये और गांव जाइये। लेकिन जब तक ऊपर के अफसर गांव में नहीं पहुंचेंगे तब तक कागजात दुरुस्त नहीं हो सकते। मैंने बताया कि बाप की जगह पर बेटे का नाम लिखने में ८–८, १०–१० वर्ष लग जाते हैं और कागजात दुरुस्त नहीं होते। पहले जमाने में बन्दोबस्त होता था जिसकी वजह से ये सारी गलतियां दुरुस्त हो जाती थीं, लेकिन अब बन्दोबस्त नहीं होता है। ऐसी हालत में जब ऐडमिनिस्ट्रेशन ही यह काम करेगा तभी कागजात ठीक हो सकते हैं।

तहसीलों के बारे में मैं कह दूं कि तहसीलें इस वक्त भ्रष्टाचार का अड्डा बन गयी हैं। सफेद पोश जमीन्दार जो रिहेबिलिटेशन ग्रांट वगैरा लेने जाते हैं आप एक भी जमींदार साबित कर दें कि जिसको बिला नाजायज पैसा दिये वह मिल जाता हो। नहीं मिल सकता। जो लोग तकावी लेते हैं उनसे भी तहसील वाले एक रकम वसूल करते हैं, और जब वह तकावी देते हैं तब भी उनको कुछ न कुछ देना पड़ता है। तहसीलदार जमाबन्दी के मुकदमें लेता है, आज लिया कल रद्द कर दिया और लिख देता है कि ५ वर्ष पहले से यह कब्जा था। सीलिंग से बचने के लिये यह हरकतें की जा रही हैं और मालूम नहीं कि कहां-कहां की जा रही हैं। इसको रोकने का बन्दोबस्त होना चाहिये।

काबिज का जो इन्दराज होगा उसके बारे में लेखपाल को हक मिला है। सरकार ने यह जरूर व्यवस्था कर दी है कि गांव समाज के लोग भी उसमें शामिल रहें। लेकिन लेखपाल गांव समाज के मन्त्री होते हैं और आम तौर पर गांव समाज के सभापति उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं जिसकी वजह से लेखपाल उनके ऊपर रोब गालिब करते हैं और यह हरकत करते हैं कि उस सभापति को एक न एक मामले में फांस कर फिर फर्जी कागजात पर उनसे अंगूठा लगवाया करते हैं।

इसके अलावा गांव समाज के वकीलों की बाबत भी मुझे कुछ कहना है। गांव समाज की सम्पति आज दुर्बल आदमी की जोरू के समान हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष—मसला है कि 'गरीब की जोरू हर आदमी की भाभी'।

श्री गेंदासिंह—जी हां, यही समझिये। इसके अलावा, मैं इस सिलसिले में दुर्भिक्ष का नाम हटवाना चाहता हूं। हमें आजादी प्राप्त हुए बहुत दिन हुए लेकिन मैं करूं क्या, दुर्भिक्ष है। दुर्भिक्ष के माने यही हैं कि जो मजदूरी लिखी हुई हो उस पर हजारों की तादाद में लोग मिल जायें तो दुर्भिक्ष है। माननीय उग्रसेन जी इस मामले को अक्सर उठाया करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। आज देवरिया में हजारों आदमी ४ आने, ८ आने रोज पर मजदूरी करने

[श्री गेंदासिंह]

को तैयार हैं। जब वहां हजारों आदमी मजदूरी करने पहुंच गये तो वहां के अधिकारियों को खयाल हुआ कि इसमें उनकी बदनामी होगी ; लिहाजा यह उपाय करें कि इस तादाद को कम करें उसके लिये उपाय ढूंढ़े गये और पहले तो उनक मजदूरी कम कर दी गई। लेकिन जब सरकार ने उनको मजबूर किया कि ऐसा काम न करो तो उन्होंने कहा कि दूसरे हथकड़ें से पेश आओ। उन्होंने जुरमाना करने शुरू कर दिये कि इन्होंने काम नहीं किया और उस पीरियड में, जिसकी चर्चा उग्रसेन जी करते हैं, हजारों आदमियों पर जुरमाना हो गया। उनका मतलब था कि यह लोग काम छोड़ कर भागें। वह इसलिये हरकत करते हैं कि लोगों की दयनीय स्थिति का दिग्दर्शन न होने पाये। मालगुजारी विभाग गांवों से और किसानों से सम्बन्धित है। इसलिये अगर किसानों की दशा को दुरुस्त करना है तो मालगुजारी विभाग को दुरुस्त कीजिये। उसके दुरुस्त किये बिना गांवों का उद्धार नहीं हो सकता है।

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय माल मन्त्री जी ने अनुदान पेश करते समय अपने कुछ विचार नहीं रखे, जिससे हमें कम से कम दुःख हुआ। आज हमें आशा थी कि बहुत दिनों के बाद हमारे माल मन्त्री जी ने जो अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है उस समय वह अपने विचार भी रखेंगे। पिछली बार यह विभाग दूसरे मन्त्री जी के पास था इसलिये भी हम जानना चाहते थे कि उन मन्त्री जी और आज के मन्त्री जी के विचारों में कुछ हेर फेर हुआ है या नहीं। लेकिन उनके विचार न सुनकर हमें थोड़ा दुख हुआ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे माल मन्त्री जी शायद क्रिमिनल प्रैक्टीशनर थे। क्रिमिनल प्रैक्टीशनर की यह चालाकी होती है कि जब वह सैशन्स में जाता है तो अपने डिफेन्स को प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिये उसको राइट हो जाता है कि प्रोसीक्यूशन की बहस के बाद वह बहस करे। हमारा खयाल है कि हमारे माल मन्त्री जी ने यही चालाकी की है।

इसके बाद माल मन्त्री जी की तत्परता पर, जो उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों में ओला और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करके दिखायी है, उसके लिये हम उनको बधाई देते हैं। आज यह एक बड़े संयोग की बात है कि हमारे माल मंत्री जी वही हैं जिन्होंने जमीन्दारी अबालीशन अपने हाथ से किया था। आज उसको दस वर्ष का समय गुजर गया। इसके बाद जमीदारी अबालीशन से हमारे प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया हुई, उसको देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त है। हम चाहेंगे कि वह कम से कम उन दिनों की याद करें जब उन्होंने जमींदारी अबालीशन के कानून का मसविदा पेश किया था। उस समय उनके मंसूबे क्या थे जिनको लेकर उन्होंने उसको पेश किया था। हमें आशा है कि उनकी तरफ वह ध्यान देंगे और उन अरमानों को देखेंगे जिनको लेकर उन्होंने जमींदारी अबालीशन किया था और एक नई भूमि-व्यवस्था कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी राय में जिन अरमानों को लेकर उन्होंने नया मसविदा पेश किया था वह कारगर होता दिखाई नहीं देता है।

हम चाहेंगे कि जिन किसानों की भलाई के लिये उन्होंने इसको पेश किया था, उनकी हालत पर वह गौर करें कि जैसी उनकी दस साल पहले हालत थी आज उससे उनकी हालत अच्छी है या खराब। हम जानते हैं कि उनका सम्बन्ध देहातों से है और वह किसानों के बीच में जाते हैं। इसलिये हमें आशा है कि वह उनकी दशा जानने की कोशिश करेंगे। उनकी जबान से यह सुनकर हमें तकलीफ हुई है कि हमारा इन्तजाम ठीक चल रहा है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि आज का किसान दस साल पहले के किसान से सुखी नहीं है। जमीन पर से आज उसका विश्वास हट गया है। इन सबके कारण क्या हैं? कारण जमींदारी अबालीशन की त्रुटियां हैं। इसीलिये जमींदारी अबालीशन बिल में दसियों अमेन्डमेंट हो चुके हैं। आखिरकार यह किस की गलती है? यह फेमर्स की गलती है, जिन्होंने आगे की बात नहीं सोची। अगर ऐसा कानून बनाना है जिसमें दस साल के अन्दर १० अमेंडमेंट करते हैं, तो आप विचार करें कि कहां गलती है।

माननीय मन्त्री जी जिस भावना से जमींदारी आबालीशन को लेकर चले थे, उसमें कामयाब हुये या नहीं। किसान बड़ी उम्मीद बांधे हुये थे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला कि हम लगान आधा करेंगे। उसको उम्मीद थी कि जिस वक्त कांग्रेस आयेगी लगान आधा होगा और उसके नहर के रेट कम होंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह कुछ कारगर नहीं हुआ। दूसरा तरीका निकाला गया कि दस गुना जमा करके सारा लगान आधा हो जायगा। नतीजा क्या हुआ? जरा परसेंटेज लें कि कितने लोगों ने दस गुना जमा किया और कितने लोगों का लगान आधा हुआ? इसका मतलब यह है कि जो आपने स्कीम चलायी वह लोगों ने पसन्द नहीं की। इसका दूसरा नजरिया यह भी हो सकता है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि दस गुना देकर लगान आधा करा सकें। आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आपने जो कानून अपने हाथों से बनाया है जरा उसका निफाज देखें और अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें।

किसान को जो सबसे बड़ी परेशानी है वह लेखपालों से है। मैं जानता हूं कि माल मंत्री जी का भी यही विश्वास है। वह आगे कोशिश करेंगे कि जो तकलीफें किसानों को लेखपालों के जरिये से हो रही हैं वह किसी न किसी तरह से दूर की जायें। पहले के माल मन्त्री जी ने लेखपालों को हटाया, दूसरे लेखपाल आये; फिर पुरानों में से भी कुछ लेखपाल आये। लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। इसलिये मैं इशारा करूंगा माल मन्त्री जी से कि वह इस तरफ ध्यान दें तो शायद कुछ तकलीफें दूर हो सकें।

जैसा कि भाई गेंदा सिंह ने कहा, मालगुजारी वसूल करने का जो गांव सभाओं को हक दिया गया है--३९८ गांव सभाओं को--और गांव सभाओं को भी यह हक दिया जाय। इसका नतीजा बड़ा सुन्दर होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी और किसानों को जो परेशानियां होती हैं वह दूर हो जायेंगी क्योंकि अमीन को जोर जबरदस्ती से गांव वाला कभी कभी यह कह देता है कि इससे तो हमारे जमींदार अच्छे थे, यह सुन कर बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं को ज्यादा से ज्यादा हक दिया जाय कि वह अपना लगान वसूल करें और गवर्नमेंट को दें।

दो शब्द उपनिवेशन के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह (विसेन)--वह ग्रांट पास हो गयी।

श्री रामनाथ पाठक--उपनिवेशन इस साहित्य में मौजूद है। अगर वह पास हो गया है तो भी इतना माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि आप जो पंजाब और बंगाल के रिफ्यूजीज को अपने प्रान्त में बसा रहे हैं यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने प्रान्त की मर्दुमशुमारी पर भी जरा गौर करना होगा। बलिया वह जिला है जिसमें एक वर्ग मील पर एक एक हजार आदमी बसते हैं। जब आपके प्रान्त में कुछ ऐसे हिस्से ओवरपापुलेटेड हैं जिनमें एक वर्ग मील पर एक हजार आदमी बसते हों, ऐसी हालत में आप दूसरे प्रान्तों के आदमियों को लाकर अपने प्रान्त में बसायें, तो यह कुछ ज्यादा जंचता नहीं है। पहले आप अपने घर को ठीक कर लें, फिर चाहे जितनी जमीन दूसरों को दे सकते हैं।

अन्त में एक मिनट में और चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने जिले के बारे में थोड़ा सा कहने के लिये। हमारा जिला दो तरफ से बिहार प्रान्त से घिरा हुआ है और उसकी सीमा घाघरा और गंगा नदी है। आज निरन्तर सैकड़ों वर्षों से इन नदियों से यह बलिया जिला कट रहा है और कम से कम उसका एक चौथाई इस तरफ से बिहार प्रान्त को चला गया। इसका नतीजा क्या हो रहा है? जो कानून मिड स्ट्रीम के नाम से मशहूर है उसका नतीजा यह होता है कि जो जमीन नदी के उस पार चली जाती है वह बिहार प्रान्त की हो जाती है। जमीन बिहार प्रान्त की हो जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर उस गांव के किसान भी बदल जाते हैं। बिहार के किसान आकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। वहां पर कोई सालाना इन्दराज नहीं होता है। लेकिन इस समय इतनी तेजी के साथ सर्वे हो रहा है कि जैसे कोई लड़ाई छिड़ गई हो।

[श्री रामनाथ पाठक]

वह चाहते हैं कि उस पर बिहार प्रान्त के लोगों के नाम दर्ज हो जायं, इसलिये कि एक परमानेंट बाउंड्री होने वाली है। उसमें इन्दराज न होने से उसका दावा नहीं किया जा सकेगा। हमने बड़ी कोशिश की कि यह तब तक के लिये रोक दिया जाय जब तक कि परमानेंट बाउंड्री न हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मान्यवर, आज राजस्व मन्त्री के इस अनुदान पर प्रस्तुत कटौती का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अन्य प्रश्नों पर समय लेने की अपेक्षा चकबन्दी के बारे में दो लफ्ज कहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चकबन्दी के काम में पिछले चार-पांच वर्ष की अपेक्षा, जो साल भर से या छः महीने से कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा, काम का तरीका इख्तयार किया गया है उससे किसानों की बेचैनी में अपेक्षाकृत कमी आ गई है और उसमें कुछ तरीके जो तब्दील किये गये, वह तरीके इस प्रकार के थे जिनके लाने के लिये लगातार जनता की तरफ से और उनके नुमाइन्दों की तरफ से आवाज उठाई गई थी; परन्तु सरकार ने लगातर जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हें स्वीकार नहीं किया था। बाद में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वह चीजें स्वीकार की गईं और उनकी वजह से चकबन्दी के काम में काफी सुधार हुआ है। परन्तु अभी तक कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पूरी जानकारी सदन को नहीं दिलायी गयी। जिस प्रकार पहले माल विभाग की तरफ से प्रत्येक वर्ष चकबन्दी के कार्य की प्रगति को देखते हुये साहित्य रखा जाता है उसी प्रकार का साहित्य अब की मर्त्तबा विभाग की तरफ से नहीं रखा गया। मैं समझता हूं कि यह एक गलत बात हुई है और उसके कार्य की प्रगति का सूचक साहित्य रखा जाना चाहिये था।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली मर्त्तबा चकों तक जाने के रास्ते चकरोड़ मुहैया करने का कानून न होने की वजह से जिन जिलों में पुराने कानून की बुनियाद पर चक बनाये गये थे, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, और मेरठ की सरधना तहसील इनमें चकों तक पहुंचने के लिये किसान इतना परेशान होता है कि इस चकबन्दी की वजह से जो सहूलियत मिली उसको भी वह भूल गया और नई परेशानी उसके सामने आ गई। सरकार को कोई कानून में इस प्रकार की तरमीम करनी चाहिये कि पुराने कानून की बुनियाद पर बने हुये चकों तक भी पहुंचने का रस्ता मुहैया किया जा सके। पिछली मर्तबा जब एक चकबन्दी की मीटिंग हुई थी तो मैंने उसमें यह अपना सुझाव रखा था और निवेदन किया था तो सरकार की तरफ से यह आपत्ति प्रकट की गई कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी बुनियाद पर, इसमें पब्लिक यूटिलिटी का कोई उद्देश्य न होने की वजह से, चकबन्दी रोड को मुहैया करने के लिये किसानों की जमीन को लिया जा सके। मैं इसको बहुत अर्जेन्ट समझता हूं और इसी कारण सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं देखता हूं कि नये संशोधित कानून के आधार पर नये क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है। अब चकों को बड़े रूप में निर्धारित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह आदेश गये हैं कि जहां तक मुमकिन हो ७५,८० फीसदी किसानों को एक चक दिया जाना चाहिये। निःसन्देह पहले की निस्बत इसमें कुछ सुधार है लेकिन मैं अपनी जानकारी से यह निवेदन करता हूं कि एक किसान को ५, ६, और ९ तक चक दिये गये हैं। इस प्रकार की चकबन्दी का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। मगर इस नई प्रक्रिया के मुताबिक चक अधिकारी दूर के काश्तकारों तक जाने की कोशिश करते हैं और इस प्रयास में रहते हैं कि जहां तक हो सके १०० फीसदी, ८० फीसदी, या ९० फीसदी, या ७५ फीसदी चक एक होनी चाहिये।

मैं सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार करता हूं कि जहां तक मुमकिन हो चक एक होना चाहिये लेकिन मुझे यह जानकारी हुई, किसी की सुनी हुई बात नहीं है, कि जो बड़े किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात पैदा करने की चेष्टा की ? सर्व प्रथम प्रश्न उसमें कार्यकर्त्ता का है। उसको आप समझ लें। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। पहले वहां पर चमार मारा गया था.....

श्री उपाध्यक्ष---बस आपका स्पष्टीकरण हो गया।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया मेरी शिकायत के सिलसिले में तो मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह अपने को सही कर लें। यहां पर पहली दरख्वास्त २३ अक्टूबर के पहले आई और उसके बाद २३ तारीख को आई जो ए०सी०ओ० के खिलाफ थी। यह मंत्री जी देखें कि उस पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद दफा ४८ में रिवीजन हुआ ? उस वक्त मामला ऊपर अदालत में नहीं गया था। माननीय मंत्री जी की इत्तला इस सम्बन्ध में गलत है। उसके बाद १०-१२ दरख्वास्तें दी गईं। तब जाकर रिवीजन हुआ। जो मेरी शिकायत थी उसके अनुसार ही फैसला हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया करदी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

टैस्ट वर्क में दी जाने वाली मजदूरी की कमी और उसके खोलने में पक्षपातपूर्ण नीति तथा सूखा बाढ़ के अवसरों पर प्रभावित व्यक्तियों को सहायता न दिये जाने की चर्चा करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८---दुर्भिक्ष सहायता---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ३५,१६,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २-भू-राजस्व (मालगुजारी)-लेखा शीर्षक ७-भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ६,५५,८६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन-४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१५ पर)

ग्राम कड़सखा, थाना खामपार और ग्राम मझौली, थाना लार की डकैतियों का विवरण

फरवरी २८, १९६० को श्री लाल बचन आत्मज श्री जतन भगत के मकान पर जो ग्राम कड़सखा, थाना खामपार में है एक डाकुओं के गिरोह ने जिस में २०–२५ आदमी थे, प्रातः काल ७–१५ मिनट पर हमला किया। इन लोगों के पास बन्दूकें थीं। इस डकैती में चार आदमी घायल हुये, जिसमें श्री लाल बचन के भाई और चाचा भी सम्मिलित थे। इन लोगों को मामूली चोटें लगीं थीं और अब सब स्वस्थ हो गये हैं। डाकुओं ने कुल ३८५.५० नये पैसे की सम्पत्ति, जिस में कपड़े और गहने सम्मिलित हैं, लूटे।

इसी तिथि को १०–०५ मिनट पर श्री राजेन्द्र आत्मज श्री रघुनाथ प्रसाद के घर में जो ग्राम मझौली थाना लार में है १०–११ आदमी गांठदार बांस की थूधियों की सहायता से दीवालों पर चढ़ कर उतरे और ४२७) रु० की सम्पत्ति, जिस में कपड़े और गहने सम्मिलित हैं, लूट ले गये। इसी समय घर के लोग जग गये और श्री राजेन्द्र ने बंसी नौनियां नामक एक व्यक्ति को पकड़ लिया। इन लोगों के पास बन्दूक या पिस्तौल नहीं थी। ये लोग सबरी और लाठियों से दो व्यक्तियों को घायल करके भाग गये। घायल व्यक्तियों की हालत सन्तोषजनक है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२६ पर)

तालिका

कत्थे के व्यापारियों की सूचीमय धनराशि के जिन पर कत्थे की चुंगी बाकी है

क्रम-संख्या	नाम व्यापारी	धनराशि जो बाकी है
		रु० न०पै०
१	मेसर्स सरजू प्रसाद पीतम लाल	२८१.२५
२	मेसर्स सरजूप्रसाद पीतम लाल	६,५०१.८१
३	मेसर्स सरजूप्रसाद पीतम लाल	२४६.५६
४	मेसर्स अरुण कुमार कैलाश चन्द	१८४.१३
५	श्री जमुनाप्रसाद	१,२३६.६६
६	श्री रघुनाथ प्रसाद	६१४.६०
७	श्री नारायण प्रसाद	१३४.४०
८	श्री जगदीशप्रसाद	४०२.८३
६	श्री सेवक राम	३४७.४६
१०	श्री लक्ष्मी नारायण	१३३.५६
११	श्री पूरन चन्द	६५०.६६
१२	श्री ओंकारनाथ नारंग	२८.१२
१३	श्री राधेश्याम	८२.३७
१४	श्री मोहनलाल	३४.६६
१५	श्री सुन्दर लाल	१७६.६६
१६	श्री दिनेश सिंह	७८५.७४
१७	श्री रामचन्द्र	२४८.४४
१८	श्री दिनेश सिंह	७७१.६२
१६	श्री रामसुन्दर सिंह ठाकुर	४१७.७७
२०	श्री राम	२३०.०६
२१	श्री रामलाल	२७.५३
२२	मेसर्स रामेश्वर दयाल केदारनाथ	२२.०६
२३	श्री राम सुन्दर	१८०.६४
२४	श्री मेवालाल	५६.०२
२५	श्री लक्ष्मी नारायण	३६३.२८
२६	श्री चिन्तामनी	३५५.२५
२७	श्री हौसला प्रसाद	१६१.६६
२८	श्री किशन	३५०.६७
	योग ..	१५,६६०.७५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२९ पर)

तालिका "क"

जिले का नाम	१९५९ में अपहृत महिलाओं की संख्या जो बरामद की जा सकीं	जिले का नाम	१९५९ में अपहृत महिलाओं की संख्या जो बरामद की जा सकीं
१—आगरा	६	२७—मिर्जापुर	५
२—एटा	८	२८—गाजीपुर	४
३—इटावा	१३	२९—अलीगढ़	११
४—फर्रुखाबाद ..	१४	३०—मथुरा	६
५—बिजनौर ..	९	३१—मैनपुरी	१२
६—बदायूं	१६	३२—बरेली	२४
७—मुरादाबाद ..	३४	३३—शाहजहांपुर	२४
८—पौड़ी-गढ़वाल ..	—	३४—पीलीभीत	३
९—गोरखपुर ..	१२	३५—रामपुर	१३
१०—बहराइच	१८	३६—नैनीताल	१३
११—देवरिया	६	३७—कानपुर	३०
१२—बस्ती	१५	३८—हमीरपुर	३
१३—गोंडा	१३	३९—झांसी	८
१४—फैजाबाद	११	४०—लखनऊ	४४
१५—सुल्तानपुर ..	७	४१—सीतापुर	२७
१६—फतेहपुर	—	४२—हरदोई	१४
१७—बांदा	४	४३—प्रतापगढ़	९
१८—जालौन	२	४४—सहारनपुर	७
१९—उन्नाव	१३	४५—बुलन्दशहर	९
२०—रायबरेली ..	१२	४६—टिहरी-गढ़वाल	१
२१—खीरी	२१	४७—बलिया	—
२२—बाराबंकी ..	१७	४८—वाराणसी	१९
२३—देहरादून	११	४९—जौनपुर	८
२४—मुजफ्फरनगर ..	७	५०—इलाहाबाद	२३
२५—मेरठ	१३	५१—अल्मोड़ा	—
२६—आजमगढ़ ..	४		

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

तालिका 'ख'

जिले का नाम	अपहृत महिलाओं की संख्या	अपहृत महिलाओं की संख्या जो बरामद न की जा सकीं	जिले का नाम	अपहृत महिलाओं की संख्या	अपहृत महिलाओं की संख्या जो बरामद न की जा सकीं
१--आगरा ..	८	२	२७--मिर्जापुर ..	५	..
२--एटा ..	१०	२	२८--गाजीपुर ..	४	..
३--इटावा ..	१६	३	२९--अलीगढ़ ..	१५	४
४--फर्रुखाबाद ..	१७	३	३०--मथुरा ..	६	..
५--बिजनौर ..	११	२	३१--मैनपुरी ..	१५	३
६--बदायूं ..	२१	५	३२--बरेली ..	३३	९
७--मुरादाबाद ..	४०	६	३३--शाहजहांपुर ..	३२	८
८--पौड़ी-गढ़वाल ..	..	..	३४--पीलीभीत ..	५	२
९--गोरखपुर ..	१४	२	३५--रामपुर ..	१४	२
१०--बहराइच ..	२५	७	३६--नैनीताल ..	१३	..
११--देवरिया ..	१०	४	३७--कानपुर ..	३५	५
१२--बस्ती ..	१९	४	३८--हमीरपुर ..	५	२
१३--गोंडा ..	१५	२	३९--लखनऊ ..	४९	५
१४--फजाबाद ..	११	..	४०--झांसी ..	८	..
१५--सुल्तानपुर ..	७	..	४१--सीतापुर ..	३१	४
१६--फतेहपुर ..	..	..	४२--हरदोई ..	१७	३
१७--बांदा ..	५	१	४३--प्रतापगढ़ ..	११	९
१८--जालौन ..	५	१	४४--सहारनपुर ..	९	२
१९--उन्नाव ..	१४	१	४५--बुलन्दशहर ..	१०	१
२०--राय बरेली ..	१४	२	४६--टिहरी गढ़वाल	१	..
२१--खीरी ..	२३	२	४७--बलिया ..	..	..
२२--बाराबंकी ..	२०	३	४८--वाराणसी ..	२२	३
२३--देहरादून ..	१२	२	४९--जौनपुर ..	९	१
२४--मुजफ्फरनगर ..	९	२	५०--इलाहाबाद ..	२७	४
२५--मेरठ ..	१५	१	५१--अल्मोड़ा ..		
२६--आजमगढ़ ..	४	..			

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३४ पर)

जिला	नाम उन कमेटियों का जिनमें भूतपूर्व जिला बोर्ड अध्यक्ष, सदस्य, अथवा अध्यक्ष थे, किन्तु अन्तरिम जिला परिषद् बनने के बाद नहीं रहे
१—देहरादून ..	डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट पी० डब्ल्यू० डी० ऐडवाइजरी कमेटी।
२—मुजफ्फरनगर	रोडवेज एडवाइजरी कमेटी, मेरठ, भवन निर्माण सामग्री वितरण समिति, पंचायत पंचों की चुनाव समिति, नार्मल स्कूल के अभ्यर्थियों की चुनाव समिति, हरिजन सहायक उपसमिति, शुक्रताल मेला समिति।]
३—अलीगढ़ ..	पंचायत मन्त्री चुनाव समिति तथा न्याय पंचायत पंचों की चुनाव समिति।
४—आगरा ..	जिला पंचायत चुनाव समिति, हरिजन कल्याण समिति, शिक्षा उपसमिति, लेबर वेलफेयर कमेटी, महाकल्याण समिति तथा सरोजनी नायडू हास्पिटल, फीरोजाबाद।
५—एटा ..	शिक्षा परामर्शदात्री समिति।
६—बरेली ..	.. .. ..
७—बदायूं ..	.. .. ..
८—मुरादाबाद	डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव रिओरियेन्टेशन स्कीम कमेटी, हरिजन सहायक समिति, डिस्पेन्सरीज ऐडवाइजरी कमेटी।
९—शाहजांहपुर	समाज कल्याण समिति।
१०—पीलीभीत ..	हरिजन सहायक उपसमिति, पशुपालन उपसमिति, सहकारी समिति, वन विभाग उप समिति, शिक्षा समिति तथा सिंचाई उपसमिति।
११—रामपुर ..	पहले जिला बोर्ड ही नहीं था।
१२—फर्रुखाबाद ..	जिला भवन सामग्री वितरण परामर्शदात्री समिति, पंचायत पंचों के मनोनयन की समिति।
१३—इटावा ..	भूतपूर्व अध्यक्ष जिला बोर्ड ने त्याग-पत्र दे दिया अस्तु प्रश्न नहीं उठता।
१४—कानपुर ..	सार्वजनिक निर्माण सलाहकार समिति, नहर सलाहकार समिति, चिकित्सालय सलाहकार समिति, मद्यनिषेध बोर्ड तथा हरिजन सहायक समिति।
१५—बांदा ..	फ्लड रिलीफ तथा नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ कमेटी।
१६—हमीरपुर ..	अपराध निरोधक समिति, जल बाढ़ समिति, डिस्पेन्सरी ऐडवाइजरी समिति, हास्पिटल ऐडवाइजरी समिति, सोल्जर्स बोर्ड, अल्प बचत योजना समिति, हरिजन सहायक समिति, शिक्षा समिति, नहर समिति तथा लोक निर्माण ऐडवाइजरी समिति।

जिला	नाम उन कमेटियों का जिनमें भूतपूर्व जिला बोर्ड अध्यक्ष, सदस्य, अथवा अध्यक्ष थे, किन्तु अन्तरिम जिला परिषद् बनने के बाद नहीं रहे
१७--झांसी ..	पंचायत मन्त्री चुनाव समिति, हरिजन उपसमिति, शिक्षा उपसमिति, एच० टी० सी० चुनाव समिति, ऐन्टीकरप्शन कमेटी, सार्वजनिक निर्माण ऐडवाइजरी समिति, जे० टी० सी० चुनाव समिति तथा डिस्पेन्सरी ऐडवाइजरी कमेटी।
१८--जालौन ..	स्वास्थ्य समिति, हरिजन कल्याण समिति, पंचायत मन्त्री चुनाव समिति।
१९--मिर्जापुर ..	जिला बोर्ड अवक्रान्त था अस्तु प्रश्न नहीं उठता।
२०--जौनपुर ..	भ्रष्टाचार निरोधक समिति, हरिजन कल्याण समिति तथा रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी इलाहाबाद की कमेटी।
२१--बलिया ..	हरिजन कल्याण समिति, पंचायत मन्त्री चुनाव समिति, जिला विद्यालय के जिला कार्यकारिणी समिति (रिओरियेन्टेशन स्कीम)।
२२--गोरखपुर	सार्वजनिक निर्माण परामर्शदात्री समिति, चिकित्सा परामर्शदात्री समिति, कृषि स्कूल गोरखपुर गवर्निंग बाडी, उद्योग समित तथा हरिजन सहायक समिति।
२३--बस्ती ..	ऐन्टी टचूबरक्लोसिस एसोसिएशन, रीजनल ट्रांस्पोर्ट एथारिटी, हास्पिटल ऐडवाइजरी कमेटी, आई रिलीफ सोसाइटी तथा हरिजन सहायक समिति।
२४--देवरिया ..	रोडवेज कमेटी तथा अस्पताल कमेटी।
२५--नैनीताल ..	ऐन्टीकरेप्शन कमेटी, ट्रांस्पोर्ट ऐडसवाइजरी कमेटी, रीजनल कौंसिल आफ स्पोर्टस्, कोआपरेटिव सोसाइटी उपसमिति, उद्योग, एक्साइज, पशुपालन, सिंचाई तथा हरिजन सहायक उप समिति।
२६--अल्मोड़ा ..	डिस्पेन्सरी ऐडवाइजरी कमेटी, ऐन्टी करप्शन कमेटी।
२७--गढ़वाल ..	.. .. ..
२८--टेहरी-गढ़वाल	पहले बोर्ड ही नहीं था अस्तु प्रश्न नहीं उठता।
२९--उन्नाव ..	क्षेत्रीय ट्रान्सपोर्ट कमेटी तथा चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति।
३०--रायबरेली	हरिजन सहायक समिति।
३१--सीतापुर ..	मेडिकल ऐडवाइजरी कमेटी, जिला डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स कमेटी।
३२--हरदोई ..	शिक्षा प्रसार उपसमिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति।
३३--खीरी ..	हरिजन कल्याण समिति तथा उद्योग समिति।
३४--फैजाबाद ..	पंचायत मन्त्री चुनाव समिति तथा हरिजन कल्याण समिति।
३५--बहराइच ..	नार्मल स्कूल अभ्यर्थी चुनाव समिति, चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, हरिजन सहायक समिति तथा पंचायत मन्त्री चुनाव समिति।
३६--सुल्तानपुर ..	हरिजन कल्याण समिति।
३७--प्रतापगढ़ ..	.. .. ..
३८--बाराबंकी ..	हरिजन सहायक उपसमिति।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८–५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

संलग्नक

५८––समाज कल्याण विभाग द्वारा जो धनराशि बस्ती जिले को सन् १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में दी गयी उसका विवरण इस प्रकार है:––

	रु०
१९५४–५५	२,२९५.००
१९५५–५६	१०,७८८.००
१९५६–५७	१७,३९२.००
१९५७–५८	१४,६८५.००

उपर्युक्त धनराशि जिस मद पर व्यय की गयी उसका विवरण इस प्रकार है:––

१९५४–५५

१––महिला मंगल योजना पर व्यय	.. ..	२,२९५.००

१९५५–५६

१––महिला मंगल योजना पर व्यय	.. ..	९,७८८.००
२––प्रशासकीय संस्थाओं को दी गयी अनुदान	..	१,०००.००
योग	..	१०,७८८.००

१९५६–५७

१––महिला मंगल योजना पर व्यय	.. ..	१५,४३२.००
२––प्रशासकीय संस्थाओं को दी गयी अनुदान	..	१,४६०.००
योग	..	१६,८९२.००

१९५७–५८

१––महिला मंगल योजना पर व्यय	.. ..	१२,४३५.००
२––ग्रामीण युवक शिविर पर व्यय	.. ..	७५०.००
योग	..	१३,१८५.००

५९--समाज कल्याण विभाग द्वारा जो धनराशि देवरिया जिले को सन् १९५४-५५, ५५-५६, ५६-५७ तथा ५७-५८ में दी गयी उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

				रु०
१९५४-५५	..	..	..	६,३४३.५५
१९५५-५६	..	..	..	११,२७१.५६
१९५६-५७	..	..	..	२०,२८१.७१
१९५७-५८	..	..	..	२५,३०८.३४

उपर्युक्त धनराशि जिस मद पर व्यय की गयी उसका ब्योरा इस प्रकार है:--

१९५४-५५

महिला मंगल योजना पर व्यय	..	..	६,३४३.५५

१९५५-५६

महिला मंगल योजना पर व्यय	..	..	११,२७१.५६

१९५६-५७

महिला मंगल योजना पर व्यय	..	..	२०,२८१.७१

१९५७-५८

महिला मंगल योजना पर व्यय	..	..	२३,३०८.३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा